हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 मार्च, 2008

खण्ड-1, अंक-5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 13 मार्च, 2008

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 1
कमेटी का गठन	(5) 4
तारांकितन प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(5) 5
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5) 21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5) 35
अनुपस्थिति के बारे में सूचना	(5) 36
अनुपस्थिति की अनुमति	(5) 36

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं (5) 36

डी०ए०वी० कालेज सढौरा के छात्रों का अभिनंदन (5) 38

आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी गैर सरकारी संकल्प (5) 74

बैठक का समय बढाना

आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण सम्बंधी गैर सरकारी संकल्प

अभिवचन (5) 78

हरियाणा विधान सभा

बीरवार, 13 मार्च, 2008

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात : 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सवाल जवाब होंगे।

Loans to the Farmers and Traders

***853. Shri Randhir Singh :** Will be the Cooperation Minister be pleased to state—

(a) the types of loans which are made available to the farmers and traders by the Cooperative Apex Bank togetherwith the scheme under which these loans are given ; and

(b) the scheme under which the minimum and maximum loan amount is made available by the abovesaid Bank ?

Agriculture Minister (Sardar H.S. Chatha) : Sir,

(a) **The statement regarding types of loans together with the schemes which are made available to the farmers and traders by the Central Cooperative Banks are given as under :—**

Sr. No.	Name of Scheme	Types of loans
1.	Kisan Credit Card Scheme	Under this scheme, crop loan with a maximum credit limit of Rs. 1,00,000/-(Rs. 75,000/- Cash Component+ Rs. 25, 000/- Kind Component) is provided to the farmers for raising of crops through Primary Agriculture Cooperative Societies without collateral security.
2.	Revolving Cash Credit Scheme	Besides crop loan progressive farmers can avail a credit limit up to Rs. 5.00 lacs against collateral security to meet their socio-economic requirements through District Central Cooperative Banks.
3.	Scheme for Purchase of land	Under this scheme small and marginal farmers can avail loan for purchase of land up to 5 acres non-irrigated or 2.5 irrigated acres with 10% margin.
4.	Scheme for financing to farmers for two wheelers	Under this scheme, loan equal to 75% of the cost of vehicle is being provided to the farmers by the District Central Cooperative Banks.

1	2	3
5.	Medium Term loan sponsored scheme	Under this scheme loans are being advanced to the farmers for purchase of bullocks, carts, buffaloes, buggy, cross breed cows, sheep, goats etc. as per scale of finance fixed by District Rural Development Agency (DRDA) or as per economic unit.
6.	Cash Credit facility to businessmen/traders	Under this scheme, cash credit limit up to Rs. 5.00 lacs is being provided by the District Central Cooperative Banks to businessmen/traders against collateral or hypothecation of stock in trade.

(b) The minimum and maximum amount of loan under the above schemes made available by the District Central Coop. Banks is as under :—

Sr. No.	Name of the Scheme	Minimum/Maximum loan amount
1.	Kisan Credit Card Scheme	Amount of loans is worked out on the basis of farmer's land holding crops raised by him and prevailing scales of finance with a maximum loan up to Rs. 1.00 lac.
2.	Revolving Cash Credit Scheme	The maximum amount of loan under this scheme is up to Rs. 5.00 lacs.
3.	Scheme for purchase of land	The maximum amount of laon under this scheme is equal to 90% of the cost of land to be purchased by the farmer.
4.	Scheme for financing to farmers for two wheelers	The maximum amount of loan under this scheme is equal to 75% of the cost of vehicle to be purchase by the farmer.
5.	Medium Term loan sponsored scheme	The amount of loan is beng determined on the basis of assets like bullocks, carts, buffaloes, buggy, cross breed cows etc. to be purchased by the borrower as per scale of finance fixed by District Rural Development Agency (DRDA).
6.	Cash Credit facility to businessmen/traders	The maximum amount of limit is Rs. 5.00 lacs.

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन स्कीन्ज का मंत्री जी ने ब्यौरा दिया है इनके तहत हमारे किसान भाई रजिस्ट्री पेंच करवा देते हैं और उनको लोन मिलने में 3-3, 4-4 महीने का समय लग जाता है। इसमें करप्शन भी फैलती है और किसानों को जिस समय पैसा चाहिए होता है उस समय उनको पैसा नहीं मिलता है। क्या मंत्री जी इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे ?

सरदार एच०एस० चट्ठा : स्पीकर सर, 2.50 एकड़ उपजाऊ भूमि और 5 एकड़ अनउपजाऊ भूमि तक लोन दिया जाता है। लोन देने का जो प्रोसीजर है वह तो एडोप्ट करना ही पड़ेगा। जमीन पर पहले कर्ज लिया हुआ है या नहीं लिया इसका सर्टीफिकेट देना पड़ता है। उसके बाद लोनिंग में कोई देरी नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे माननीय साथी की जानकारी में कोई स्पेसीफिक इंसटांस है तो उसके बारे में वे मुझे बता दें, हम अवश्य इन्क्वायरी करवायेंगे। इसके साथ-साथ मैं सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि यदि कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसके बारे में वे हमें बतायें, हम अवश्य हल करेंगे।

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि इन्हीं केसिज के तहत उचाना के घांसों गांव में 6 करोड़ रुपये का एम्बैजलमैंट हुआ है। वहां पर एक किसान को 3.25 लाख रुपये में से केवल 1.25 लाख रुपये ही दिए गए। इसी तरह से मेरे हल्के के गांव मतलोडा में कोपरेटिव सोसायटीज में 72 लाख रूपये का एम्बैजलमैंट हुआ और जिस अधिकारी ने एम्बैजलमैंट किया था उसी अधिकारी को वहीं पर दोबारा सर्विस में रख लिया। इसी तरह से कैरोड़ी गांव में एक करोड़ रुपये का एम्बैजलमैंट हुआ है। घांसो और काकरोड गांवों की कोपरेटिव ब्रांचिज की इन्क्वायरी हो रही है। क्या इन दो केसिज में जिनमें उन कर्मचारियों को जिनको वापिस लिया गया है उनकी दोबारा इन्क्वायरी करवाकर मंत्री जी उनके खिलाफ क्रिमीनल केस दर्ज करवायेंगे।

सरदार एच०एस० चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी इस बारे में मुझे लिखकर दे दें, हम इस पर अवश्य कार्यवाही करवायेंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने माननीय साथी के प्रश्न के जवाब में कोआपरेटिव लोन की विभिन्न स्कीम्स के बारे में और जिस प्रकार से हम लोन देते हैं उस बारे में जानकारी दी है और उन पर चर्चा भी हुई है। अध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए इण्डियन नैशनल लोक दल के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि उनके पिता के समय में कई हजारों करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए गए और उन्होंने कई हजारों करोड़ रुपये की फिगर्ज भी सदन में पेश की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन को बताना चाहूंगा कि उनका यह क्लेम सरासर झूठा था। उन्होंने इस सदन को गुमराह किया है। उन्होंने इस सदन के अंदर झूठ और असत्य बोला और सदन को तथा इस सदन के सदस्यों को अपनी पूरी चर्चा में गुमराह करने का एक प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास अब सारे आंकड़े मौजूद हैं। 1987-88 में जो इन्ट्रस्ट लोन वेवर स्कीम चौधरी देवी लाल की सरकार ने लागू की थी, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस समय उस स्कीम के तहत कुल 33 करोड़, 64 लाख और 27 हजार रुपये का लाभ लोगों को दिया गया था न कि कई हज़ार करोड़ रुपये का। श्री चौटाला जी झूठ बोल रहे थे। इसमें 3,94,582 लोगों का 26 करोड़ 67 लाख रुपये का और 8544 लॉंग टर्म लोनज़ में 7 करोड़ 64 लाख यानि कि कुल मात्र 33 करोड़ 64 लाख रुपये माफ हुए। जबकि वे कल यहां सदन में झूठ बोल कर चले गये।

श्री अध्यक्ष : फलाका साहब, क्या आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो कल श्री ओम प्रकाश चौटाला असत्य बोल कर चले गये। क्या यह सही है कि जो पार्लियामैंट्री अफेयरस मिनिस्टर बता रहे हैं इतना ही लोन माफ हुआ है ?

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, हमने इस बारे में आंकड़े दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : पलाका जी, आंकड़ों में ही असत्य बोला गया था। श्री ओम प्रकाश चौटाला यह भी कह रहे थे कि हज़ारों करोड़ रुपये के ऋण माफ हुए हैं।

श्री ईश्वर सिंह पलाका: अध्यक्ष महोदय, हमने सदन में आंकड़े दिए हैं हम उसी के आधार पर ही बोल रहे थे। हम आपको भी लिखित में आंकड़े दे देंगे और मंत्री जी को भी लिखित में आंकड़े दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : पलाका जी,, आंकड़ें तो विधान सभा में दिये जा चुके हैं उनके बारे में लिखित में देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : कल हमारे नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो आंकड़ें दिये थे वे सारे देश के लोगों के कर्जे के बारे में थे। कांग्रेस के एक सांसद ने सवाल पूछा था और उसका जवाब उस समय के मन्त्री जी ने दिया था।

श्री अध्यक्ष : पलाका साहब, वह तो बाहर की बात है। इस सदन में हरियाणा प्रदेश के कितने कर्जे माफ हुए वह रिकार्ड संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है। संसदीय कार्य मंत्री उन्हीं आंकड़ों की ही बात कर रहे हैं। मंत्री जी जो आंकड़े बता रहे हैं इनका कहना है कि ये ही लोन माफ हुए हैं। इनका यह भी कहना है कि जो श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा आंकड़े दिए गए हैं वे असत्य हैं और इसके आधार पर उनके खिलाफ हाऊस कार्यवाही करे। आप या तो यह कहो कि जो असत्य बोल रहा है उसके खिलाफ हाऊस सदन की मान-मर्यादा के उल्लंघन का मोशन लेकर आये। कल श्री ओम प्रकाश चौटाला ने जो फीगर्ज बताई थी उन फीगर्ज की एवज़ में पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर दूसरी फीगर्ज़ बता रहे हैं। पलाका जी, क्या आप और आपके साथी इस बात से एग्री करते हो कि जो असत्य बोल रहा है उसके खिलाफ हाऊस की मान-मर्यादा का उल्लंघन करने का प्रस्ताव लाया जाये, आप इस बारे में बतायें।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर,.....

श्री अध्यक्ष: पलाका साहब, आप बैठें। Now next question please.

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, पहले आप इस बारे में कोई फैसला करें।

कमेटी का गठन

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि या तो श्री चौटाला जी झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से कुछ गलत बात कही जा रही है। अगर पलाका साहब यह मानते हैं कि ये आंकड़े सच है तो हाऊस की एक कमेटी बना दी जाये जो यह जांच करे कि जो आंकड़े श्री चौटाला जी ने दिए हैं वे गलत है या सरकार द्वारा इस बारे में जो बयान दिया गया है वह गलत है। जांच के दौरान अगर यह पाया जाये कि श्री चौटाला ने झूठ बोला है तो उनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आये और अगर मुझे गलत पाया जाये तो मेरे खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लाया जाये। दोनों में से एक को तो सज़ा होनी ही चाहिए।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है श्री चौटाला ने कल यह भी कहा था कि वे हरियाणा की तरफ से प्रेजिडेंशियल रैफ्रेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में गये थे यह भी असत्य है। ऐसी बहुत सारी बातें कल उन्होंने कही। यहां पर अगर कोई व्यक्ति ऑन रिकार्ड कोई

बात कहता है तो उसे असत्य बात नहीं कहनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर वे कोई बात करें तो उनको सत्य बोलना चाहिए। जो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रेजिडेंशियल रैफ्रेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी ऐसी बात नहीं है इसके लिए यू०पी०ए० की गवर्नमैंट गई थी। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में आप यहां रूलिंग दें कि जो व्यक्ति ज़ीरो ऑवर में गलत किस्म की बात कहते हैं और जो गलत तथ्य उठाते हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अगर आप सभी यह चाहते हैं कि इसके लिए हाऊस की एक कमेटी बनाई जाये जो इन तथ्यों की सत्यता का पता लगाये। मैं श्री मांगे राम गुप्ता, जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री भी रहे हैं, की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाता हूं। श्री ईश्वर सिंह पलाका को भी उसका मैम्बर बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त श्री फूल चन्द मुलाना, श्री करण सिंह दलाल, बहुजन समाज पार्टी के श्री अरजन सिंह और निर्दलीय सदस्य श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान भी उस कमेटी के सदस्य होंगे।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Grant of sanction for prosecution of public servants

*881. **Shri Karan Singh Dalal**
@Shri S.S. Surjewala } : Will the Chief Minister be pleased to state–

(a) whether the State Government has received any request from S.P. Central Bureau of Investigation for grant of sanction to prosecute the public servants in case No. RC 3 (A) /04/ACU-9 under sections 120B/ R/W 420, 467, 468 and 471 IPC and B (L) R/W 13(1) (D) of PC Act 1988 registered against the officials of Haryana Government or against Ex-Chief Minister in the recruitment of J.B.T. teachers in the year 2000 in Haryana Government;

(b) if so, the contents of the grounds of seeking sanction to prosecute the public servants alongwith the names of such public servants; and

(c) the action taken by the Govt. on the request of C.B.I. in (a) above alongwith the fate of the J.B.T. teachers who were fraudulently appointed and the J.B.T. teachers who were genuinely selected but denied appointment ?

Power Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) :

(a) Yes, Sir,

(b) The Central Bureau of Investigation (CBI) has sought sanction from the State Government to prosecute the following public servants in case No. RC. 3(A)/04/ACU.IX for hatching a conspiracy to tamper the merit lists of the candidates aspiring for selection as J.B.T. teachers and replacing the same with forged list in order to favour certain candidates and appointing them as J.B.T. teachers on the basis of the said forged merit list :—

@ Put by Sh. S.S. Surjewala.

Sr. No.	Name & Designation of Chairperson & Members of District Level Selection Committees.	Name of District
1.	Ms. Vinod Kumari, Member the then Principal Govt. Girls Senior Secondary School, Bhiwani	Bhiwani
2.	Smt. Kanta Sharma, Chairperson, the then District Primary Education Officer, Jhajjar Haryana	Fatehabad
3.	Shri Anar Singh, Member the then Deputy District Education Officer, Jhajjar	Jhajjar
4.	Shri Mahavir Singh Lather, Member the then Block Education Officer, Julala District, Jind	Kaithal
5.	Shri Ram Kumar, Member the then Block Education Officer Kalayat-Kaithal	Kaithal
6.	Shri Bani Singh Member Principal at Satnali, District Mahendergarh Haryana From July 1988 to 1-2-2002	Mahendergarh
7.	Shri O.P. Tiwari, Member the then Deputy District Education Officer, Sirsa, Haryara	Sirsa
8.	Shri Rajender Pal Singh, Chairman the then District Primary Education Officer, Yamuna Nagar, Haryana	Yamuna Nagar

(c) Sanction to prosecute above mentioned eight officers/officials of the Education Department has been accorded and conveyed to the C.B.I. in so far as the fate of the J.B.T. teachers who are alleged to have been fraudulently appointed and the J.B.T. teachers who were genuinely selected but denied appointment would depend on the outcome of the petitions pending before the Hon'ble Supreme Court of India for adjudication.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जे०बी०टी० के ये जो सलैक्शन हुए थे इसके लिए क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया गया था ? क्या ये सलैक्शन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने की थी या कोई विभागीय कमेटी थी, यदि कोई कमेटी थी तो उस कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष कौन थे यह भी बताया जाये ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये 3206 जे०बी०टी० टीचर्ज की सलैक्शन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के प्रव्यू से बाहर निकाल ली थी। उसके बाद डिपार्टमैंटल सलैक्शन कमेटी द्वारा यह भर्ती की गई थी। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और कोर्ट ने पाया कि इन सारी भर्तियों के अन्दर भारी अनियमितताएं बरती गई थी। इसमें श्री ओमप्रकाश चौटाला, उनके बेटे श्री अजय चौटाला, उनके उस समय के विशेष कार्य अधिकारी श्री विद्याधर तथा बहुत सारे और अधिकारियों का नाम आया था। उसमें यह भी पाया गया कि किस प्रकार जो लोग योग्यता के आधार पर चुने गये उनको ताक पर रख दिया और वे सारी लिस्टें श्री चौटाला जी और उनके बेटों द्वारा बदल दी गई। यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने सी०बी०आई० को इन्क्वायरी दी है। उस इन्क्वायरी में यह सब बातें सच पाई हैं।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता था कि इन सलैक्शन्ज के लिए जो कमेटी बनी थी उनके अध्यक्ष और सदस्य कौन थे ? इस मामले में जो पोलिटिकल आदमी और कुछ सीनियर ऑफिसर्ज शामिल हैं क्या उनके खिलाफ भी एफ०आई०आर० रजिस्टर कर रहे हैं और क्या हरियाणा सरकार ने या स्पीकर साहब ने उनकी अनुमति प्रदान कर दी है क्योंकि श्री ओमप्रकाश चौटाला जी भी इस हाउस के मैम्बर हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग जिलों के डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर इस सलैक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। दूसरी बात माननीय सदस्य ने एफ०आई०आर० की पूछी है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि एफ०आई०आर० दर्ज हुई है जिसका नम्बर है RC3(A)/04/ACU-IX under sections 120B/R/W 420, 467, 468 and 471 IPC and B (L) R/W 13(1) (D) of PC Act 1988. इस सारे मामले की जाँच सी०बी०आई० के द्वारा की गई उसमें पाया गया कि श्री ओमप्रकाश चौटाला पूर्व मुख्य मंत्री, श्री अजय चौटाला, श्री शेर सिंह बड़शामी राजनैतिक सलाहकार, श्री विद्याधर (आई०ए०एस०) आफिसर औन स्पैशल डयूटी, 57 ऐजुकेशन डिपार्टमैंट के अधिकारी, Chairpersons and Members of the 18 District Level Committees और श्री संजीव कुमार आई०ए०एस०, इन सब लोगों को दोषी पाया गया है और इस समय उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से इन सब अधिकारियों की प्रोसिक्यूशन के लिए हमने मन्जूरी दे दी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आई०ए०एस० अधिकारियों का सवाल है, इनकी प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन भारत सरकार ने देनी है इस बारे में हमने अपनी रिकमैंडेशन भेज दी हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल माननीय श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला तथा मैंने दिया है। माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें (c) के जवाब में इन्होंने कहा है:

> "In so far as the fate of JBT teachers who are alleged to have been fraudulently appointed and the JBT teachers who were genuinely selected but denied appointment would depend on the outcome of the petitions pending before the Hon'ble Supreme Court for adjudication."

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इसमें कौन-कौन सी पैटीशन्ज इस समय पड़ी हुई हैं, उनके टाईटल क्या हैं और कौन-कौन सी पैटीशन्ज हैं। स्पीकर सर, संजीव कुमार वर्सिज स्टेट ऑफ हरियाणा एण्ड अदर्ज में सुप्रीम कोर्ट ने सी०बी०ई० परोब का हुक्म दिया उसी जजमैंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आदेश दिए थे आपकी इजाज़त से मैं वह पढ़ कर सुना देता हूं। In case titled Sanjiv Kumar v/s State of Haryana and others, Writ petition (Cri.) No. 93 of 2003, decided on November 25, 2003, it has been mentioned–

> "The result of the inquiry would depend on the fate of these two sets of persons ? It is only one set of persons which would be found to be genuine and hence entitled to hold the posts of teachers and the persons from the list, if found to be false, shall have to make room for the others."

स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट के आर्डरज़ स्पष्ट हैं कि सी०बी०आई० की इन्कवायरी आएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने माना है कि यह इन्क्वायरी आ गई है कि किस तरीके से इस प्रदेश के पूर्व मुख्य

मन्त्री ने प्रदेश के लोगों को शर्मसार किया है। शिक्षा जैसे विभाग में पैसे ले कर अध्यापकों की भर्ती की और योग्य अध्यापकों को दरकिनार करके अपने चहेतों को, न सिर्फ हरियाणा से बल्कि यू०पी० और दूसरे प्रदेशों से भर्ती किया, जहां पर ये राजनीति करने में लगे हुए थे। अध्यक्ष महोदय, अगर जांच की जाए तो उनमें से कई लोगों के सर्टिफिकेट भी नकली पाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऑलरैडी आया हुआ है उसके अनुसार क्या इन तीन हजार जे०बी०टी० टीचर्ज को हटाकर उन बेसहारा लोगों को रोजगार देंगे, जो इसके हकदार हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें यह कहते हुए भी शर्म आती है कि उनमें से कई जे०बी०टी० टीचर्ज रिक्शा चलाने अथवा मजदूरी करने का काम कर रहे हैं क्योंकि इन नौकरियों पर उनका हक होते हुए भी उनको नौकरियां नहीं दी गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन योग्य उम्मीदवारों को नौकरियों में लगाएंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब सी०बी०आई० परोब पूरी कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ चुका है तो इन लोगों पर केवल मुकदमें बनाना नाकाफी होगा। क्या मन्त्री जी इस बात की कोई व्यवस्था करेंगे कि जो तनख्वाह इन अध्यापकों ने ली है वह तनख्वाह इन मुलजिमों श्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे श्री अजय चौटाला और जिन अधिकारियों के नाम इन्होंने लिये हैं उनसे वसूली जाए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा....(विघ्न)

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पलाका साहब, मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सुन लिजिए उसके बाद आपको बोलने का समय दिया जाएगा। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठेंगे तो मैं जवाब दूंगा।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि ये लोग रिक्शा चला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। अच्छा विद्वान व्यक्ति होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला और वह रिक्शा चला रहा है तो इसमें क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष : पलाका साहब, आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे थे। इनका पहला प्रश्न था कि इन्होंने कोर्ट के आर्डर को कोट करके कहा है कि इस इन्कवायरी के केट पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है क्या उसके बाद पहले वाली सिलैक्शन लिस्ट, जो जैनुअन सिलैक्शन लिस्ट है, वह रहेगी या जो लोग लगे हुए हैं वे ही लगे रहेंगे, सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी इन्कवायरी हो कर आई है और हमें हाल ही में इसकी रिपोर्ट मिली है, हम इसको स्टडी करवा रहे हैं। इस इन्कवायरी रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्ज दोनों को स्टडी करके, मैं सदन को एश्योर करता हूं कि within next three months, we will take a decision on this issue. Secondly, the Hon'ble Member has asked whether the salary will be recovered from the guilty persons or not ? अध्यक्ष महोदय, जब सरकार अगले 3 महीनों में इस बारे में निर्णय कर लेगी और जो कान्सीक्वैंसीज़ होंगे, आप समझते हैं they will naturally follow. तीसरी, बात इन्होंने कही है कि उनमें से कई लोगों के सर्टिफिकेट नकली हैं और क्या गवर्नमैंट पहले उनकी जांच करवाएगी? अध्यक्ष महोदय, हालांकि इस बारे में सी०बी०आई० की इन्कवायरी हो चुकी है और अगर 3 महीने में हम

किसी निर्णय पर पहुंच गए तो फिर शायद सर्टिफिकेट्स की जांच करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। परन्तु हमारी सरकार उन सभी व्यक्तियों की जो जे०बी०टी० की पोस्ट पर उस पीरियड में लगे थे, अगले 6 महीनों में उनके सर्टिफिकेट्स की वेरासिटी और अथैन्टिसीटी की भी जांच करवाएगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उन पोलिटिकल लोगों के खिलाफ जिसमें ओम प्रकाश चौटाला और उनके साथी शामिल हैं क्या उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं और अगर कर दिए गए हैं तो क्या उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ? इस बारे में अब क्या सिचुएशन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह केस स्टेट पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे पास इस बारे में इन्फर्मेशन है जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी इस केस में सी०बी०आई० ने 12-12-2003 को दर्ज की थी और रैगूलर केस प्रिवैंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट के तहत 24-5-2004 को दूसरी धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इसमें सी०बी०आई० की इन्वैस्टीगेशन रिपोर्ट आ गई है। उससे स्पष्ट है कि जिनके नाम मैंने पहले भी माननीय सदस्यों को पढ़कर सुना दिए हैं, वे लोग उसमें संलिप्त हैं। उनमें ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय सिंह चौटाला, उनके पोलिटिकल एडवाईजर शेर सिंह बड़शामी, ओ०एस०डी० श्री विद्याधर और अन्य अधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, इन नामों की बहुत लम्बी लिस्ट है। सी०बी०आई० के पास यह रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लम्बित है। सी०बी०आई० अवश्य इस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कापी है। यह कापी संजीव कुमार वर्सिज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्ज की है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस हुक्म की कापी सदन की पटल पर रखना चाहता हूं। So that it can become the part of the proceedings of the House and the concerned department can pursue the matter. It is a matter of record. It is the judgment of Supreme Court.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, we also have the copy of this report फिर भी सम्मानित सदस्य इसे सदन के पटल पर रखना चाहते हैं तो we have no objection. Dalal ji, you can place it on the table of the House.

Shri Karan Singh Dalal : Speaker Sir, if, you allow me, place a copy of this judgment on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमैंटरी यह है कि सी०बी०आई० ने जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की है, यह देश में अपनी तरह की अनोखी सी०बी०आई० की जांच हुई है। इसकी निगरानी स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने की है। सी०बी०आई० ने भरसक प्रयास किए और मेरे घर पर भी रेड की लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मेरा कहना है कि सी०बी०आई० ने यह इन्क्वायरी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की है और इसमें वे लोग शामिल हैं जो ऊंचे पदों पर बैठने से पहले ईश्वर, अल्लाह का नाम लेकर शपथ लेते हैं, व्यवस्था की शपथ लेते हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, दुर्भावना के साथ काम नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश का एक अनपढ़ मुख्य मंत्री जिसने सारे प्रदेश के कायदे कानून को ताक पर रख कर, न सिर्फ नए बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है बल्कि जो हरियाणा के छोटे बच्चों की पंजीरी है, जिन बच्चों ने जे०बी०टी० के अध्यापकों से शिक्षा के प्रथम अध्यायों को सीखना था उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को

[Shri Karan Singh Dalal]

बताना चाहता हूं कि इथिक्स कमेटी पार्लियामैंट में भी है और हमारे यहां पर भी अभी-अभी बनाई गई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इथिक्स कमेटी में इस पूर्व मुख्य मंत्री का आचरण हमें इस बात के लिए आमन्त्रण नहीं देता है कि उनके आचरण का मामला इथिक्स कमेटी को भेज दिया जाए और वह कमेटी देखे कि क्या इनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है या नहीं ताकि हरियाणा और पूरे देश के लोगों को पता लगे कि संवैधानिक पदों पर बैठकर अगर हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनके साथ कानून तो कार्यवाही करेगा ही । ऐसी सर्वोच्च संस्थाएं जैसे आप अध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं और हम सब लोग यहां लोगों की दुख और तकलीफों को दूर करने के लिए आते हैं हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन जो लोग अगर यहां बैठकर लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं जैसे कि श्री ओम प्रकाश चौटाला जैसे सदस्य क्या उनकी सदस्यता प्रिविलेज कमेटी या इथिक्स कमेटी के द्वारा या विधान सभा के हमारे जो नये कानून हैं उनके दायरे में लाकर समाप्त करने के लिए प्रयास करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता और भावना दोनों से अपने आपको जोड़ता हूं। स्पीकर साहब, शिक्षा और खास तौर से प्राईमरी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कृषि और शिक्षा दोनों आपके हृदय के बहुत नज़दीक हैं। स्पीकर साहब, इस प्रकार की दुर्दशा शायद ही पूरे देश में, आजाद हिन्दुस्तान में किसी ने की होगी जैसी जे०बी०टी० के सिलैक्शन में श्री ओम प्रकाश चौटाला और उनकी सरकार ने की है। इनकी वह सारी बातें, सारे कच्चे चिट्ठे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद गठित की गयी जांच में खुले हैं, वह जगजाहिर हैं, सर्वविदित हैं। यह भी सच है कि सत्ता में सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठकर जो राजनेता देश के भविष्य, देश की अगली पीढ़ी के साथ इस प्रकार का घोर अन्याय करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको जनता कभी माफ करेगी, देश का कानून तो माफ करेगा नहीं, देश का कानून तो अपनी प्रक्रिया लेगा ही । स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने मोरल और एथिकल इशु उठाए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जहां तक कानूनी और संवैधानिक कार्यवाही करने की बात है, वह हम कर रहे हैं और as far as Ethics Committee is concerned, to my knowledge there is no such committee in this legislature. However, I will request the Hon'ble member कि अगर वह जो भी ऐप्रोप्रिएट मोशन लेकर आएंगे तो इस घोटाले को उजागर करने में सरकार का रवैया पूर्णत: पारदर्शित रहेगा। हम केवल न्याय और सच के साथ हैं। मुख्य मंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का नीतिगत निर्णय इस मामले में है कि दोषी कोई भी हो, कितने भी बड़े पद पर आसीन हो उसके खिलाफ कानून पूरी सख्ती से निपटेगा। अध्यक्ष महोदय, हम गरीब से गरीब आदमी को सम्पूर्ण न्याय दिलवाएंगे, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस मामले पर आप आधे घंटे की डिसकशन करवा लेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष : आप क्वैश्चन ऑवर खत्म होने के बाद इस बारे में अपना नोटिस दे सकते हैं।

श्री नरेश यादव: अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल में इस बात पर बहुत बहस हुई कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त थी उस सरकार के नजदीकी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त थे तथा उस समय की सरकार ने हरियाणा के सभी वर्गों के लोगों पर, राजनीतिक लोगों पर झूठे मुकदमें बनाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पिछले तीन साल में उनके नजदीकी लोगों पर इस बारे में कोई कार्यवाही हुई है, क्या उनके व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्रश्न जे०बी०टी० सिलैक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है यह एक पृथक प्रश्न है लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कल भी एक सवाल के जवाब में मैंने इसकी पूरी जानकारी देते हुए बताया था कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हरियाणा सरकार ने नीतिगत निर्णय लेकर सारे मामले को जांच के लिए भेज दिया था। यह जांच इस समय उनके पास विचाराधीन है। जो जांच विजीलैंस के पास है उसके बारे में मैंने हाउस के फ्लोर पर कल ऐश्योरैंस दी थी कि जून, 2009 तक एनीमल हसबैंडरी डिपार्टमैंट में हुए स्कैम की जांच पूरी करके हम रिपोर्ट दे देंगे। इसके अलावा 37 और जांच हैं, वह भी विजीलैंस के पास इस समय विचाराधीन हैं और बहुत जल्दी इनको भी पूरी कर लेंगे ऐसा मैंने कल आश्वासन दिया था। इनमें से एक जांच पूरी करके हमने कार्यवाही भी की है और पर्चा भी हमने दर्ज करवा दिया है। जो लोग गलत तौर से एच०सी०एस० सिलैक्शन में नियुक्त किए गए थे उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी थी।

तारांकित प्रश्न संख्या 864

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री भूपिन्द्र चौधरी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

तारांकित प्रश्न संख्या 905

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री साईदा खान सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Hot-line facility for sewerage and water works

10.00 बजे

***870. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state the time by which the Hot-line facility is likely to be provided for the sewerage disposal and water works of Bhiwani ?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान् जी। सीवरेज डिस्पोजल व द्वितीय जलघर भिवानी शहर के लिए होट-लाईन सुविधा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हालूवास में 132 के०वी० सब-स्टेशन के चालू होने पर की जाएगी जोकि निर्माणाधीन है। भिवानी शहर के डिस्पोजल के लिए अस्थाई होट-लाईन सुविधा सिविल अस्पताल भिवानी के स्वतंत्र फीडर से 20 दिन के अंदर दे दी जाएगी। फिलहाल तोशाम बाईपास पर द्वितीय जलघर के पास एक जी०ओ० स्विच शहरी क्षेत्र को अलग करने के लिए लगाया गया है। महम रोड पर पुराने जलघर के लिए पहले ही होट-लाईन सुविधा उपलब्ध है।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि माननीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के पास पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट और बिजली विभाग दोनों ही हैं। इसके बावजूद भी कई बार समस्या आ जाती है। होता क्या है कि जिस वक्त बिजली होती है उस वक्त पानी नहीं छोड़ते हैं और जिस वक्त पानी छोड़ते हैं उस वक्त बिजली नहीं होती है। पिछले 3-4 दिन से भिवानी में पानी की समस्या आ रही है। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट ने हमसे होट-लाईन के लिए पैसे भी जमा करा लिए थे तो मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि अब तक होट-लाईन का काम क्यों नहीं हुआ है? इसके अतिरिक्त 132 के०वी० का स्टेशन बनने में थोड़ा सा समय लग जाएगा क्योंकि उस मामले में कोर्ट में केस विचाराधीन है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या तब तक कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था करेंगे ताकि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से चल सके।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। लेकिन हमने उसके हल के लिए प्रयास किए हैं। ये इस बारे में जवाब पढ़कर देखें उसमें लिखा है कि

> "The temporary hot line facility for sewage disposal of Bhiwani town is likely to be given within 20 days from an independent feeder of the Civil Hospital, Bhiwani."

जहां तक सैकेण्ड वाटर वर्क्स का प्रश्न है। 132 के०वी० की लाइन आने में समय लग सकता है फिर भी आपने सुझाव दिया है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जो भी आल्टरनेटिव हल होगा उसको निकालने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। जिस दिन 132 के०वी० का स्टेशन बन जाएगा उस दिन हम सप्लाई ठीक दे देंगे। दूसरी जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने टेकओवर करने के फौरन बाद हमें निर्देश दिये थे कि जहां-जहां वाटर वर्क्स हैं वहां पानी पहुंचाने का प्रयास कीजिए उसके लिए 2-3 करोड़ रुपये दिये थे और इस साल और ज्यादा राशि देंगे। उस राशि से हम डैडीकेटिड फीडर बना रहे हैं उनसे सारे शहर और बड़े गांवों को फर्स्ट फेज में हम कवर करेंगे। यह डैडीकेटिड फीडर अपने खर्च पर जनस्वास्थ्य विभाग बना कर देगा। मुझे लगता है कि हम भिवानी को 2008-2009 के अंदर उस स्कीम में डालने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : महेन्द्र प्रताप जी, क्या आपने इस बारे में सप्लीमैंट्री पूछनी है ?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : सर, मैंने पिछले सवाल में पूछनी थी।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन्होंने इस बारे में बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन इन प्रयासों से भी ज्यादा जरूरत दोनों विभागों में कोऑर्डीनेशन की है। आमतौर पर देखा गया है कि दोनों विभागों में कोऑर्डीनेशन की काफी कमी रहती है। क्या मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि दोनों विभागों में कोऑर्डीनेशन सुचारू रूप से चले ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। यह भी सही है कि बिजली चले जाने पर पानी का प्रैशर टूट जाता है। हमने बिजली विभाग को लिखित हिदायत दे दी है कि पीने के पानी की आपूर्ति के समय में बिजली की आपूर्ति कोऑर्डीनेशन करके छोड़ी जाए और इस बारे में समन्वय बनाकर रखा जाए।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि बिजली की दिक्कत है और उस वजह से पीने के पानी के लिए भी बड़ी मुसीबत होती है। क्या मंत्री जी बिजली की समस्या के समाधान के लिए जनरेटर की व्यवस्था हर गांव में करने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता तो वाजिब है। एक समय में जैनरेटर्ज हमारे पास हुआ करते थे। अध्यक्ष महोदय, उनके लिए अब नयी समस्या शुरू हो गई थी। इसमें बजटरी ऐलोकेशंज का प्रश्न है। हमारे पास पीने के पानी के लिए अपने सीमित साधन हैं और हर गांव के अन्दर जैनरेटर्ज लगाने तो संभव नहीं हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम यह जरूर कर रहे हैं कि जो डैडीकेटिड फीडर्ज हम लगा रहे हैं उनके तहत सब-स्टेशन से सीधे वाटर वर्क्स को बिजली मिलेगी इस दौरान और कुछ नहीं चलेगा। जब ये लग जायेंगे तो यह समस्या दूर हो जायेगी। It is a few years programme and it can't happen in an overnight and you would

appreciate, Sir कि हरियाणा प्रदेश में कुल 6764 के करीब गांव हैं और 76 के करीब शहर हैं इसलिए इस को लागू करने के लिए कुछ समय तो जरूर लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए स्पेशल बजटरी ऐलोकेशंज किया है और इसके लिए विभाग कार्यरत है।

मेजर नृपेन्द्र सिंह सांगवान : स्पीकर सर, दादरी शहर के अन्दर एक नया वाटर वर्क्स बनाया जा रहा है जिसके लिए बिजली के कनैक्शन के लिए विभाग पैसा जमा कराने के लिए तैयार हैं परन्तु बिजली विभाग वाले एस्टिमेट नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से वाटर वर्क्स चालू होने में डिले हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस वाटर वर्क्स के लिए गर्मियों से पहले बिजली का कनैक्शन उपलब्ध हो जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्रश्न इस सवाल से जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन मैंने माननीय सदस्य का प्रश्न नोट कर लिया है और मैं बिजली विभाग के अधिकारियों को कहूंगा कि इसका ऐस्टिमेट जल्दी बना दें और दोनों विभाग आपस में समन्वय बना लें।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो डैडिकेटिड फीडर्स की इन्होंने बात की हैं क्या इनको हॉट लाईन से जोड़ा जायेगा ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, डैडिकेटिड फीडर्स का मतलब ही यह है कि उस फीडर को बिजली हमेशा मिलती रहेगी। That's why it is a dedicated feeder and it is better than a hot-line. It is just like an independent hot-line on which no body else will be there. It will be a direct connection from the sub-station for water works and it will not be tapped by anybody else.

Repair of Roads

***921. Shri Somvir Singh, :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads which were constructed by the Panchayati Raj Department :—

1. Dhigawa Jatan to Kharkhari ; and
2. Barwas to Jhuppa Khurd ;

if so, the time by which the said roads are likely to be repaired ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Sir, only the road at Sr. No. 2 was transferred to the Public Works Department and the same has been repaired.

अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ इन सड़कों पर थोड़ा कंकरीट और सीमेंट का काम होना था और ये रोड्ज रिपेयर कर दिये गये हैं।

श्री सोमवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज विभाग के द्वारा धिगावा जाटान से खरखड़ी को रोड़ आज से दस साल पहले वर्ष 1998 में बनाया गया था। जहां तक मंत्री जी ने जिस रोड़ को पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को ट्रांसफर करने की बात की है, यह कब तक बन जायेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो आंकडे मेरे पास इस समय उपलब्ध हैं उनके मुताबिक 110 सड़कें ऐसी थीं जो पंचायती राज से ई०एस० फण्ड्स के द्वारा बनाई गई थीं। उन में से 51 सड़कें रिपेयर कर दी गई हैं और माननीय सदस्य की हल्के की सड़कों के बारे में इन्होंने पूछा है और जवाब में बताया है कि बारवास से झुप्पा खुर्द तक की सड़क को रिपेयर कर दिया है और बाकि झिमावा जाटान से खरखड़ी तक की रोड को पंचायती राज विभाग ने पी०डब्ल्यू०डी० विभाग को ट्रांसफर नहीं की हैं। इस बारे विभाग के आफिसर्ज ने पंचायती राज विभाग को लिखकर भेज दिया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि जैसे ही यह ट्रांसफर हो जाएगी इसकी रिपेयर का कार्य शुरू करवा देंगे। जैसे ही वे हैंड ओवर कर देंगे तब इस सड़क की रिपेयर कर देंगे।

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, कई बार हमने सदन में जिक्र किया और लिखकर भी दिया है और परसों मैंने मंत्री जी से भी इस बारे में बात की थी कि हमारे हल्के में बूडिया, खदरी, देवधर धाया मुडकला और खिजराबाद एक बी०के०डी० रोड है, जो हिमाचल से मिलती है उनकी हालत बहुत बदतर है और उस सड़क पर सारी दुनिया के ट्रक लोड होकर चलते हैं जिस वजह से वह टूट जाती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये सड़क कब तक बन जाएगी और बनेगी या नहीं बनेगी। हम इस सड़क के बनने की उम्मीद रखें या उम्मीद छोड़ दें। मेरा एक और सवाल है कि हथनीकुंड बैराज पर जो यू०पी० से जुड़ने वाली सड़क है उसका एक किलोमीटर का टुकड़ा जो नहीं बन पाया, पिछली सरकार के साढ़े 5 साल निकल गए, चलो उनसे तो हमें उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन इस सरकार के भी 3 साल बीत गये हैं और यू०पी० की सड़क पुल तक बन गई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा का यह एक किलोमीटर का टुकड़ा वैसे का वैसे पड़ा है तो क्या इसको बनाने के बारे सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जिस सड़क का इन्होंने जिक्र किया उस सड़क के बारे में सरकार बी०ओ०टी० बेसिज पर रिपेयर करने के बारे में विचार कर रही है, इस सड़क पर ट्रक बहुत लोड लेकर चलते हैं जिसकी वजह से यह सड़क टूट जाती है। सरकार ने इस बारे में निर्णय ले लिया है कि जल्दी ही इस सड़क को बी०ओ०टी० बेसिज पर रिपेयर करवाई जाएगी। जहां तक इन्होंने हथनीकुंड में एक किलोमीटर के टुकड़े की बात की तो इस बारे में जब हम हथनीकुंड बैराज पर गए थे तो इन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह बात रखी थी। उन्होंने उसी वक्त आदेश दे दिए थे, इसके एस्टीमेट्स बनाए जा रहे हैं और इसका काम जल्दी ही करवा देंगे।

श्री अरजन सिंह : हमारा 40 किलोमीटर का एरिया ऐसा पड़ता है जहां कहीं भी हरियाणा की कोई सड़क यू०पी० से नहीं जुड़ती। निर्मल सिंह जी ने भी इस बारे में लिखकर दिया था और मैं भी मंत्री जी से इस बारे में जानना चाहता हूं कि क्या यहाँ सड़क बनाई जाएगी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को कहना चाहता हूं कि ये इस बारे में लिखकर दे दें, इस पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सड़कों के विषय में, चाहे वे मार्कीटिंग बोर्ड की हों या पी०डब्ल्यू०डी० की हों, मैं इनके बारे में एक जनरल सवाल करना चाहता हूं कि सरकार ने 3 साल में रोड्स के लिए बजट को 3 गुणा बढ़ाया है इसमें कोई संदेह नहीं है। रोड्स के काम काफी हद तक हुए भी हैं लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जितनी सड़कों के टैण्डर्ज दो-दो, अढ़ाई-अढ़ाई साल पहले दे दिए गए और वे टैण्डर्ज एक-एक व्यक्ति को कई-कई जिलों के दे दिए गए, क्या यह जानकारी मार्कीटिंग बोर्ड और पी०डब्ल्यू०डी० को है ? इसके बारे में जनता में आक्रोश है कि

सरकार के पैसा देने के बाद और दो-दो, तीन साल से टैण्डर्ज देने के बाद भी ये सड़कें नहीं बन पाई और जो सड़कें बनी भी हैं वे भी काफी हद तक टूट गई हैं। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवाएंगे ? एक ही व्यक्ति को कई-कई जिलों के ठेके दे दिए, क्या इसकी जांच करवाएंगे ? अगर दिए गऐ हैं तो क्या ये ठेके कैंसिल करवाएंगें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये ठेके देने का प्रोसीजर क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन्दौरा जी अपने चहेतों की बात कर रहे थे इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि तोशाम रोड और भिवानी रोड के ठेके 2004 में अपने चहेतों को दिए गए थे और उन रोड्ज पर सब-स्टैण्डर्ड माल डलवाना शुरू कर दिया गया था जिसकी वजह से आज तक यह काम नहीं हो पाया । जहां तक आपने टैण्डरिंग में होने वाली अनियमितता की बात की है तो उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जहां भी इस प्रकार की अनियमितता होती है, उस बारे में लिखकर दें तो जरूर कार्यवाही की जाएगी। पी०डब्ल्यू०डी०(बी० एण्ड आर०) टैण्डर्ज फ्लोट करता है और इसने पहली बार ई-टैण्डरिंग की है अगर इस बारे कोई सदस्य लिखित में देगा कि इस तरह से अनियमितता हो रही है तो उस मामले में सख्ती से कार्यवाही होगी।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने चहेतों की बात की है ये खुद खुलासा करवाना चाहते हैं, मुझे किसी का नाम लेने की आदत नहीं है। जिस व्यक्ति को मार्किटिंग बोर्ड के ठेके 3 वर्ष पूर्व दिए गए वे इन्हीं के चहेते हैं और आज भी चहेते बने बैठे हैं।

To restore the balance of sex ratio

***895. I.G. Sher Singh** : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that skewed sex ratio would effect the social fabric in the long run; if so, the steps taken by the Government to restore the balance of sex ratio ?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी) : हां श्रीमान् जी। विषम लिंग अनुपात अन्ततः सामाजिक रचना पर प्रभाव डालता है।

लिंग अनुपात का संतुलन पुनः प्राप्त करने हेतू सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसकी सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

लिंग अनुपात का संतुलन पुनः प्राप्त करने हेतू उठाए गए कदम

लिंग अनुपात में सुधार लाने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने जिससे कि सामाजिक ताना-बाना ठीक हो सके राज्य सरकार द्वारा तीन प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही है :--

1. पी०एन०डी०टी० एक्ट का सख्ती से लागू करना।
2. जागरूकता एवं चेतना अभियान चलाना।
3. महिला सशक्तिकरण हेतु कदम उठाना।

पी०एन०डी०टी० एक्ट का सख्ती से लागू करना

राज्य सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या तथा लिंग जांच को रोकने के लिए पी०एन०डी०टी० एक्ट को लागू करने हेतू निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :--

1. बहुसदस्यीय राज्य समुचित प्राधिकरण का गठन।
2. जिला समुचित प्राधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।
3. स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन।
4. राज्य एवं जिला सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।
5. स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह टास्क फोर्स अनाधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का निरीक्षण तथा छापेमारी करती है।

राज्य में सर्वेक्षण उपरान्त अब तक 976 अल्ट्रासाउंड/जैनेटिक क्लीनिक तथा 66 जैनेटिक परामर्शकेन्द्र पी०एन०डी०टी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। सरकारी क्षेत्र में 46 अल्ट्रासाउंड मशीन पंजीकृत की गई हैं। 102 अल्ट्रासाउंड मशीन सीज तथा जब्त की गई हैं। राज्य के अब तक भिन्न-भिन्न 6363 अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का निरीक्षण किया गया है। 177 अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने पर पंजीकरण बर्खास्त/निरस्त किया जा चुका है। भिन्न-भिन्न कोर्टों में पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना के फलस्वरूप 39 केस दायर किए गए हैं तथा 11 व्यक्तियों/डाक्टरों को सजा मिल चुकी है।

राज्य सरकार के भरसक प्रयासों के फलस्वरूप 0-6 वर्ष तक की आयु में लिंग अनुपात 860 हो गया है (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम)।

राज्य सरकार ने सामुदायिक भागेदारी की मदद से सघन जागरूकता एवं चेतना अभियान चलाए हैं। पिछले 3 वर्षों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर सेमिनार, वर्कशाप तथा जनता की मीटिंग के आयोजन किए गये हैं। इस दौरान उठाए गए मुख्य कदम निम्न प्रकार से हैं :--

1. कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध चार राज्य स्तरीय सेमिनार, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और नारनौल में स्वास्थ्य विभाग एवं हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसिज आथोरिटी द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट श्री वी०के० जैन विशिष्ट व्यक्तियों में से उपस्थित थे। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने घोषणा की कि हर जिले में जो गांव सबसे अच्छा लिंग अनुपात प्राप्त करेगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम तथा राज्य में जो गांव सबसे अच्छा लिंग अनुपात प्राप्त करेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।
2. फतेहाबाद में गांव झालनियां को सबसे अधिक लिंग अनुपात 1227 प्राप्त करने पर एक लाख रुपए का इनाम माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा फतेहाबाद में दिया गया। इसी तरह एक लाख रुपए का इनाम 1082 का लिंग अनुपात प्राप्त करने पर गांव निजामपुर जिला महेन्द्रगढ़ को दिया गया है। ये गतिविधियां आगे भी जारी रहेंगी।

3. माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा वर्ष 2006 को बाल कन्या वर्ष घोषित किया गया था जिसमें छठी से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों का नियमित मुफत स्वास्थ्य निरीक्षण किया गया तथा खून की कमी को रोकने के लिए सप्ताह में एक बार आयरन फालिक एसिड (100 मि0ग्रा0) की गोलियां दी गई।

4. माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने यह भी घोषणा की है कि राज्य में सबसे अच्छा लिंग अनुपात प्राप्त करने वाले 3 जिलों को क्रमशः 5, 3 और 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।

5. उपरोक्त गतिविधियों के अतिरिक्त पी०एन०डी०टी० एक्ट बारे जागरूकता लाने के लिए 296 सेमिनार, 73 सम्मेलन, 69 रैलियां, 10 फिल्म शोज, 46 क्वीज प्रतियोगिता और 136 प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदम

1. हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि यदि घरेलू बिजली के मीटर का कनेक्शन महिला के नाम पर है तो उस केस में 10 पैसे प्रति यूनिट की रियायत दी जाएगी।

2. यदि जमीन जायदाद महिला के नाम से खरीदी जाती है तो सरकार द्वारा 2 प्रतिशत की स्टाम्प ड्यूटी पर छूट मिलेगी।

3. शिक्षा संस्थानों में सीधी भर्ती पर 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

4. सुरक्षित तथा साफ सुथरे वातावरण में प्रसूति हेतू 500 डिलिवरी हट स्थापित की जा रही है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र भी दिया जाता है तथा पुरूष स्त्री अनुपात भी मोनिटर किया जाता है।

5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रह रहे माताओं को प्रसूति के समय घर पर/स्वास्थ्य संस्थानों पर प्रसूति करवाने के लिए क्रमशः 500/700 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।

6. राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से लाडली स्कीम चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत बाल कन्या के जन्म पर वित्तीय सहायता 5 वर्ष तक दी जाती है।

7. राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से बालिका समृद्धि योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि वे प्रसूति से पहले, प्रसूति के दौरान तथा प्रसूति के बाद में अपने खान पान का ध्यान रख सकें।

राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयत्नों के फलस्वरूप लिंग अनुपात में सुधार आया है, आशा की जाती है कि इसमें और सुधार आएगा तथा असंतुलित लिंग अनुपात के सामाजिक ताने-बाने पर जो कुप्रभाव पड़े हैं उन्हें भी पुन: ठीक किया जा सकेगा।

बहिन करतार देवी : माननीय स्पीकर सर, मैं आदरणीय साथी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा है। जो सवाल माननीय साथी ने पूछा है उसके बारे में हमारी सरकार बहुत चिंतित है। विषम लिंगानुपात अन्तत: सामाजिक रचना पर प्रभाव डालता है। इसको संतुलित करने के लिए हमारी सरकार ने तीन तरह के कदम उठाये हैं। एक तो पी०एन०डी०टी० एक्ट को सख्ती से लागू करना, दूसरा जागरूकता एवं चेतना अभियान चलाना और तीसरा महिला सशक्तिकरण हेतु कदम उठाना। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन नीतियों की सूचना सदन के पटल पर रखी हुई है लेकिन आपकी इजाजत हो तो इन नीतियों के बारे में मैं विस्तार से सदन में बताना चाहूंगी कि हरियाणा में पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने वाले12 लोगों को सजायें हुई हैं। हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य है जहां पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने वालों को सजा सुनाई गई है और किसी राज्य में पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत अब तक किसी को कोई सजा नहीं हुई है। हमारी सरकार ने पी०एन०डी०टी० एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए तीन चार कमेटियां बनाई हैं। जिला लैवल पर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में और स्टेट लैवल पर सुपरवाइजरी बोर्ड का गठन सेरी अध्यक्षता में किया गया है। इसी तरह से राज्य एवं जिला सलाहकार समितियों का गठन किया गया है और स्टेट टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। यह टास्क फोर्स अनाधिकृत गतिविधियों को रोकने के लिए अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का निरीक्षण तथा छापेमारी करती है। अध्यक्ष महोदय, इस समय प्रदेश में पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत 976 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक तथा जैनेटिक परामर्श केन्द्र पंजीकृत हैं। सरकारी क्षेत्र में 46 अल्ट्रासाउंड मशीन पंजीकृत की गई हैं। ऐसे केसों में 102 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील तथा जब्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के अब तक भिन्न-भिन्न 6363 अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का निरीक्षण किया गया है और 177 अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने पर पंजीकरण निरस्त किया गया है। पी०एन०डी०टी० एक्ट की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ 39 केस विभिन्न कोर्टों में दायर किए हुए हैं तथा इनमें 11 डाक्टर्ज को सजा भी मिल चुकी है। अध्यक्ष महोदय,राज्य सरकार के भरसक प्रयासों के फलस्वरूप 06 वर्ष तक की आयु में लिंगानुपात 860 हो गया है। कई जिलों में तो लिंगानुपात 913 तक पहुंच गया है। हिसार में लिंगानुपात 913 तक पहुंच गया है, पंचकुला में 900 है और भी कई जिलें हैं जहां पर लिंगानुपात 873-875 तक पहुंच गया है। इनमें औसतन महेन्द्रगढ, नारनौल और गुड़गांव अभी बहुत नीचे हैं। अध्यक्ष महोदय, लिंगानुपात को ठीक करने में ज्यूडीशियरी का भी बहुत योगदान रहा है इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करती हूं। हमारी सरकार ने सामुदायिक भागेदारी की मदद से जागरूकता एवं चेतना अभियान चलाए हैं। पिछले तीन वर्षों में भिन्न-भिन्न स्तरों पर सेमीनार्ज, वर्कशापस तथा जनता की मीटिंग्ज के आयोजन किए गए हैं। कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध चार राज्य स्तरीय सेमीनार किए गए हैं। जिनमें सबसे पहला सेमीनार कुरुक्षेत्र में किया गया। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में दस जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम लिंगानुपात है इनमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अम्बाला और सोनीपत तीन जिले हैं जबकि 7 जिले पंजाब के हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस बारे में पहला सेमीनार कुरुक्षेत्र में किया गया जिसमें श्री वी०के० जैन, मुख्य न्यायधीश स्वयं पधारे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उस सेमीनार में गए थे। उसके बाद सिरसा, फतेहाबाद और नारनौल में भी इस तरह से सेमीनार आयोजित

किए गए, जिनमें जैन साहब और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी हिस्सा लिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां पर घोषणा की थी कि हर जिले में जो गांव सबसे अच्छा लिंगानुपात प्राप्त करेगा उसे एक-एक लाख रुपये का इनाम तथा राज्य में जो गांव सबसे अच्छा लिंगानुपात प्राप्त करेगा उसे 5 लाख रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले गांव को तीन लाख रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले गांव को 2 लाख रुपये इनाम के तौर पर दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद के गांव झालनियां और नारनौल के गांव निजामपुर को अपने अपने जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात प्राप्त करने के लिए एक-एक लाख रुपये का इनाम भी दिया जा चुका है। इस तरह से लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में काफी सेमीनार, नुक्कड़ नाटक और पब्लिक मीटिंग्ज़ की हैं। इससे थोड़ा सा तो इसमें सुधार आया है लेकिन हमारा प्रयास यह है कि यह अनुपात बराबर का जरूर होना चाहिए। हमारे देश में केवल एक मात्र केरल ही ऐसा राज्य है जहां पर लड़के कम हैं और लड़कियां ज्यादा हैं। हमारी संस्कृति में भी महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और हमारे वेदों में भी यह लिखा हुआ है "यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।" मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आज हमारे समाज में महिलाओं का जो आदर और सम्मान होना चाहिए था वह उतना आज नहीं हो रहा है। आज जो कन्या को पैदा होने से ही रोका जा रहा है और उसको गर्भ में ही मरवा दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को कानूनन अपराध घोषित किया हुआ है और इसके साथ ही सामाजिक तौर पर भी यह एक बहुत बड़ा पाप है। इन बातों को प्रदेश की जनता को समझाने का हमने काफी प्रयास किया है। इसके लिए काफी सेमिनारज़ मैंने किये हैं और इसके लिए मैं ज्यूडिशरी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि जब स्वयं जज इस बारे में बोलते हैं कि अगर इस कानून का उल्लंघन किया गया तो वास्तव में उसकी सज़ा होगी तो लोगों के ऊपर उसका ज्यादा अच्छा असर होता है। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के विरूद्ध प्रोत्साहन के लिए एक-एक लाख और पाँच-पाँच लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है और इसके साथ-साथ वर्ष 2006 को 'बाल कन्या वर्ष' घोषित किया गया था। जिसमें छठी से 12वीं तक की सभी लड़कियों के स्वास्थ्य का नियमित मुफ्त निरीक्षण किया गया था और कन्याओं में खून की कमी को रोकने के लिए सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड (100 मि०ग्रा०) की गोलियां दी गई। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा की कि राज्य में सबसे अच्छे लिंगानुपात करने वाले तीन जिलों को क्रमश: 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये का इनाम दिया जायेगा। इन गतिविधियों के अतिरिक्त पी०एन०डी०टी० एक्ट के बारे जागरूकता लाने के लिए 296 सेमिनार, 73 सम्मेलन, 89 रैलियां, 10 फिल्म शोज, 46 क्विज प्रतियोगिताएं और 136 प्रदर्शनियां आयोजित की गई हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार का प्रयास है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं का आदर हो क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज सारे के सारे सम्बन्ध चाहे भाई-बहन का सम्बन्ध हो और चाहे मां-बेटे का सम्बन्ध हो ये सभी पैसे से जुड़ते जा रहे हैं इसीलिए हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अगर घरेलू बिजली के मीटर का कनेक्शन महिला के नाम पर होगा तो उस केस में 10 पैसे प्रति यूनिट की रियायत दी जाएगी और अगर किसी ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्री महिला के नाम पर होगी तो 2 प्रतिशत स्टॉम्प ड्यूटी की छूट मिलेगी। शिक्षा संस्थानों में सीधी भर्ती पर 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं और अब तो कोर्ट ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त साफ सुथरे और सुरक्षित वातावरण में प्रसूति हो इसके लिए भी हरियाणा प्रदेश में 500 डिलीवरी हट्स स्थापित की गई हैं। इन डिलीवरी हट्स में जन्म प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। स्पीकर सर, आपको यह जानकर खुशी होगी कि जन्म प्रमाण-पत्र देने का 92 प्रतिशत काम वहीं से हो जाता है।

[बहिन करतार देवी]

देश भर में हमारी सरकार के इस कदम की प्रशंसा हो रही है कि सभी बच्चों के जन्म का रिकार्ड भी इसमें रखा जाता है साथ ही जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जो डिलीवरी घर पर होती हैं उनको 500 रुपये और जो डिलीवरी हास्पिटल में होती हैं उसमें 700 रुपये दिए जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर भी खुशी होगी हमारी सरकार द्वारा मेवात के लिए 02 अक्तूबर, 2007 को 9 प्रसूति वैन दी गई हैं। अगर कोई भी महिला टेलीफोन करती है तो सरकारी वैन उसको लेकर जाती है और दो दिन बाद उसको वापिस घर छोड़कर जाती हैं। हमारे इस प्रयास से पहले जो सरकारी हॉस्पिटल्ज़ में 10 प्रतिशत डिलीवरीज़ होती थीं वे अब 46 प्रतिशत हो गई हैं। इस प्रकार से सरकार ने महिलाओं के कल्याणार्थ अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चारों तरफ प्रयास किये हैं। लेकिन फिर भी 1000/860 रेशो होने से भी यह काम चलता नहीं है। मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि हम हरियाणा को नम्बर एक राज्य बनायेंगे। हम पैसे में नम्बर एक बनते जा रहे हैं लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और लिंगानुपात में जब तक नम्बर एक नहीं बनेंगे, हम नम्बर एक कहलाने के सही अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए इस बात की तरफ हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक तथा आदर के साथ यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि अपने-अपने क्षेत्र में इस बात की तरफ ध्यान दें कि कोई भ्रूण हत्या कहीं भी न हो। इससे लिंगानुपात में भी सुधार आयेगा।

श्री शाहीदा खान : अध्यक्ष महोदय मेरा एक सवाल था.....

श्री अध्यक्ष : शाहीदा खान जी, आपका सवाल लगा था लेकिन आप उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे ?

श्री शाहीदा खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो चला गया है लेकिन मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कुछ पूछ लेता हूँ। हमारे मेवात में जो हॉस्पीटल हैं उसमें कोई भी ठहर कर खुश नहीं है और उसमें कोई काम नहीं होता है। वहाँ पर अगर कुछ होता है तो वहाँ धारा 325, 307 और 376 के केस बनते हैं। एक दिन मैं हास्पीटल चला गया तो उस समय गर्मी के दिन थे और हॉस्पीटल में लाईट नहीं थी। वहां पर जनरेटर तो था लेकिन चल नहीं रहा था। मैंने सी०एम०ओ० से बात करने की कोशिश की तो पहले तो सी०एम०ओ० ने फोन ही नहीं उठाया और जब उठाया तो बताया कि इस जनरेटर की तार खराब है। इसी प्रकार का हाल नूंह और तावडू के हॉस्पीटलों का भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे उपरोक्त समस्याओं को दूर करने लिए कोई कदम उठायेंगी ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा है आपका सवाल तो निकल गया। इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आई०जी० शेर सिंह जी ने पूछा है कन्या भ्रूण हत्या का। अगर आप उस पर कोई सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बाकि आप अपने सवाल के बारे में माननीय मंत्री जी को लिख कर भिजवा देना।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से जो जवाब मिला है वह बहुत ही उत्साहजनक है। सरकार ने बहुत गम्भीरता से इस तरफ कदम बढ़ाएं हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार सामूहिक रूप से पुरस्कार भी दिये जा रहे हैं उसी प्रकार व्यक्ति विशेष के लिए भी क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? जिस घर में लड़की पैदा होती है उसके लिए भी क्या कोई विशेष स्कीम सरकार चलाना चाहती है ?

बहिन करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, हमारी जो लाडली स्कीम है, उसमें व्यक्ति विशेष को ज्यादा तवज्जो दी गई है। जिस परिवार में केवल लड़की या लड़कियां हैं उसमें पति -पत्नी को 45 साल की उम्र के बाद 500/-रुपये पैंशन के रूप में दिये जाते हैं ताकि लड़की जब ससुराल से घर आये तो वे उसको आराम से विदा कर सकें। पिछले वर्ष को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बालिका वर्ष घोषित करते हुए यह घोषणा की थी कि जो बी०पी०एल० कार्ड धारक परिवार हैं उनकी लड़कियों को बी०ए० तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। उसमें कॉपी, किताब और वर्दी तक सरकार की तरफ से देने का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि इसके अतिरिक्त अगर माननीय सदस्य के ध्यान में कोई सुझाव हो तो वह हमें दे दें हम उस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। हरियाणा तो वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है जिन्होंने अपने मुंह से गीता का उपदेश दिया था। इस भूमि को तो कन्याओं के सम्मान में सबसे आगे होना चाहिए।

Mr. Speaker : Hon'ble members, now the Questions Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

C.T. Scan facility at Civil Hospital, Karnal

***910. Smt. Sumita Singh, M.L.A. :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether the Government is aware of the difficulty being faced by the people due to no availability of C.T. Scan facility at Civil Hospital Karnal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid facility is likely to be made available at Civil Hospital Karnal ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : महोदया

(क) हां,

(ख) सरकार ने दिनांक 7-2-2008 को सिविल अस्पताल करनाल के लिए सी0टी0 स्कैन की खरीद का निपटान कर दिया है। यह वर्ष 2008-2009 में उपलब्ध करवा दी जाएगी।

Autonomous Status to the Government College of Ateli and Narnaul

***930. Shri Naresh Yadav :** Will the Education Minister be pleased to state—

1. Whether there is any proposal under consideration of the Government to give autonomous status to the Government College of Ateli and Govt. College of Narnaul ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) :

1. नहीं, श्रीमान् जी।

Construction of Railway overbridge at Dadri

***928. Major Nirpender Singh Sangwan :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of the Railway over bridge at Dadri is likely to be started together with the time by which the said over bridge is likely to be completed ?

सिंचाई मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान् जी। यह कार्य अप्रैल, 2008 में शुरू होना संभावित है और सितम्बर, 2009 में पुल का निर्माण कार्य पूरा करने की संभावना है।

Drinking Water Facilities in Nangal Durgu and Nizampur Area

***817. Shri Radhey Shyam Sharma :** Will the Water Supply and Sanitation Minister be pleased to state :—

(a) the time by which the drinking water will reach in the tank of Nangal Durgu together with the efforts made by the Government in this regard so far ;

(b) the time by which the water tank will be constructed for the drinking water for the villages of Nizampur area; and

(c) whether there is any scheme to solve the drinking water problem during the summer season in the Narnaul Assembly Constituency ?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) श्रीमान् जी, नांगल दर्गू 6 गांवों की समूह योजना, नामत: नांगल दर्गू, गंगुताना, पंचनोटा, मसनोटा, गोलवा और बायल, जिनकी 1991 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या 13252 व्यक्ति हैं, की जल आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए 125.10 लाख रुपये का अनुमान 1995 में प्रशासकीय अनुमोदन किया गया था। यह योजना 40 लिटर प्रति व्यक्ति दैनिक की दर से जल आपूर्ति करने के लिए नहर पर आधारित थी। सिंचाई विभाग से शहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी की अलीपुर माईनर से 1.42 क्यूसिक डिस्चार्ज आउटलेट के लिए नहरी पानी की उपलब्धता के लिए सहमति प्राप्त हो गई थी। यद्यपि जलघर 2002 में पूरा हो गया था परन्तु अलीपुर माईनर में पानी उपलब्ध न होने के कारण इसे चालू नहीं किया जा सका।

इस समय नांगल दर्गू में तीन नलकूपों द्वारा पीने का पानी दिया जा रहा है। जब हांसी-बुटाना नहर चालू हो जाएगी तब नांगल दर्गू जलघर में पर्याप्त मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध होने की आशा है।

इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि हांसी ब्रांच-बुटाना ब्रांच के चालू होने से सम्बन्धित मामला अदालत में विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग से इस मामले में बातचीत की जा रही है।

(ख) इस समय निजामपुर क्षेत्र के गांवों में नलकूपों द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इन गांवों के लिए नहरी पानी पर आधारित जलघर का प्रस्ताव हांसी ब्रांच-बुटाना ब्रांच के चालू होने के बाद बनाया जाएगा। इस समय यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

(ग) जी हां श्रीमान्, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल कठिनाईयों को हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है।

वित्त वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान नारनौल निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 440.72 लाख रुपये, 498.58 लाख रुपये और 176.60 लाख रुपये खर्च किए गए।

Irregularities in Mid Day Meal Scheme

***807. Dr. Sita Ram :** Will the Education Minister be pleased to state whether any kind of irregularities have been found in the purchase of food material and gas stoves etc. under the Sarv Shiksha Abhiyan (Mid Day Meal Scheme); if so, the action taken by department against the concerned officers ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी,

मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत भोजन सामग्री क्रय करने में कोई अनियमितता का विवरण नहीं आया है। परन्तु इस स्कीम के अन्तर्गत गैस चूल्हा/स्टोव क्रय करने में 6 जिलों में अनियमितताएं पाई गई हैं। सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

Steps taken for Administrative Reforms

***823. Dr. Sushil Indora, M.L.A :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any steps have been taken by the Government for making Administrative Reforms in the administration during the year 2006-2007; if so, the details thereof ?

Interim Reply

Randeep Singh Surjewala

D.O. No. 1/11/2008-4AR

Power, P.W.D. (Water Supply & Sanitation) and Parliamentary Affairs Minister, Haryana, Chandigarh.
Telefax No. 0172 / 2740212 (O)

Dated : 12-3-2008.

Subject : **Starred Assembly Question No. 823 due for reply on 13-3-2008.**

Dear Sir,

This question pertains to making administrative reforms in the administration during the year 2006-07.The question is due for reply on 13-3-2008.

In this regard, all the departments were asked to send the information well in time. Though many of the departments have responded, several others have yet to send the requisite information. The information required is substantial and voluminous and that too from a large number of departments.

I would, therefore, request that 15 days' time may please be allowed for preparing an authentic reply.

Yours sincerely,
Sd/-
(Randeep Singh Surjewala)

Dr. Raghuvir Singh Kadian,
Hon'ble Speaker,
Haryana Vidhan Sabha,
Chandigarh.

Constitution of Debt Reconciliation Boards

***834. Shri S.S. Surjewala :** Will the Minister of State for Revenue and Disaster Management be pleased to state —

(a) whether the Haryana Government has constituted Debt Reconciliation Boards in the State; if so, the criteria laid down by the Government for the functioning of these Boards and the procedure adopted by such Boards; and

(b) the district-wise number of cases received by these Boards upto 31-1-2008 togetherwith the number of cases disposed off ?

राजस्व राज्य मन्त्री (श्रीमती सावित्री जिंदल) :

(क) जी, हां। मानदण्ड सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) जिलावार सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(क) हरियाणा सरकार ने हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989 की धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 2 मार्च, 2007 द्वारा प्रत्येक जिले के लिए लेनदार तथा देनदार के बीच सुलह करवाने हेतु ऋण सुलह बोर्ड गठित किए हैं। इन बोर्डों की कार्य प्रणाली का मानदण्ड (क्राईटेरिया) हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989 में निर्धारित किया गया है। फिर भी अधिनियम के मुख्य तथ्य इस विभाग के यादी दिनांक 16-3-2007 द्वारा राज्य के सभी मण्डलीय आयुक्तों/ उपायुक्तों तथा अतिरिक्त उपायुक्तों को भेजे गए हैं। कथित अधिनियम के प्रावधान अनुसार सभी लेनदार तथा देनदार अपनी जायज समस्याओं के समाधान हेतु इस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत बोर्ड के अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ऋण सुलह बोर्ड को दिए जाने वाले प्रत्येक प्रार्थना पत्र में लेनदार व देनदार के पूर्ववत तथा उनकी सम्पत्ति व ऋण इत्यादि का ब्यौरा होना चाहिए। बोर्ड द्वारा नोटिस देकर लेनदार व देनदार सुलह हेतु बुलाये जा सकते हैं तथा दोनों पक्षों की सुनवाई करने उपरांत बोर्ड के पास उचित आदेश पारित करने की शक्ति है।

हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989 की धारा 2 (जी) के अन्तर्गत किसी सहकारी बैंक या समिति या राष्ट्रीयकृत/वाणिज्य बैंक का देय ऋण 'ऋण' की परिभाषा में आता है। इन वित्तीय संस्थाओं के ऋणी अपनी जायज समस्याओं के समाधान हेतु इन जिला स्तर के ऋण सुलह बोर्डों को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। बोर्ड के पास ऋणी को न केवल उस द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण बल्कि निजी देनदार और साहूकारों से लिए गए ऋण के लिए भी राहत देने की शक्तियां होंगी । हरियाणा कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1989 की धारा 3(सी) तथा 4 के अन्तर्गत ऋणी की ऋण अदायगी की क्षमता को देखते हुए ऋण की अदायगी की समय सीमा पुन: निर्धारित करने की शक्तियां होंगी। कथित अधिनियम की धारा 12 (5) के अन्तर्गत किसी ऋणी ने मूलधन के दो गुणा से अधिक ऋण चुका दिया है,वह भी जिला स्तर के ऋण सुलह बोर्ड से राहत प्राप्त कर सकता है। अत: लेनदार ने देनदार को मूलधन के बराबर या दो गुणा से अधिक ऋण चुका दिया है, या देनदार को यह अवगत करवाने पर यह

इतनी धनराशि जमा करवा देता है जो मूलधन के दो गुणा के बराबर हो जाए तो बोर्ड के पास ऋणी को पूरी तरह ऋण मुक्त करने की शक्तियां होंगी। यदि लेनदार द्वारा देनदार को मूलधन के दो गुणा से अधिक ऋण चुकाया गया पाया जाता है तो बोर्ड उस अधिक चुकाए गए ऋण को देनदार द्वारा लेनदार को वापस लौटाने के आदेश देगा।

(ख) जिला ऋण सुलह बोर्डों के पास 31 जनवरी, 2008 तक कुल 141 केस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 31 जनवरी, 2008 तक 33 केसों का निपटान किया जा चुका हैं। जिलावार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०	जिला का नाम	प्राप्त हुए केस	निपटाये गए केस
1.	भिवानी	56	8
2.	गुडगांव	1	शून्य
3.	झज्जर	12	4
4.	जींन्द	6	2
5.	करनाल	17	शून्य
6.	कुरुक्षेत्र	25	10
7.	पानीपत	9	शून्य
8.	रोहतक	4	1
9.	सिरसा	4	4
10.	सोनीपत	6	3
11.	यमुनानगर	1	1
12.	शेष जिलें	शून्य	शून्य
	कुल	141	33

Name of Government High School Kharak Pandav after the name of Martyr Bhisam Singh

***854. Shri Randhir Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to name the Government High School Kharak Pandav after the name of Martyr Bhisam Singh ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी, मामला विचाराधीन है।

Nomination to H.C.S. (Ex. Branch)

***882. Shri Karan Singh Dalal, M.L.A.:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the names of employees nominated to HCS (Ex. Branch) since 1985 till date alongwith the dates of their nominations ;

(b) the names of employees in (a) above who were employees of Boards and Corporations other than the employees of State Government Departments prior to their nominations to HCS (Ex. Branch);

(c) the Government Rules governing the nominations of employees at the time of their nominations ; and

(d) whether any of the employees nominated to HCS (Ex. Branch) in (a) above were nominated in violation of the existing Government Rules of their nominations ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

श्री मान् जी, एक सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के नियमों में नामजद करने का कोई प्रावधान नहीं है तथापि, 1985 से आज तक हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)-में जिला राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की पंजिका क-I, ग्रुप-ग सेवाओं के सदस्यों की पंजिका क-II, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों की पंजिका-ग तथा विशेष भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए कर्मचारियों के नाम उनकी नियुक्ति की तिथि सहित निम्न प्रकार है :—

रिक्त का वर्ष	पंजिका	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
सर्वश्री/श्रीमती—			
	क-I	1. अशोक कुमार बिश्नोई	19-10-1993 (दिनांक 16-3-1989 से नियुक्ति मानी गई)
		2. नरेन्द्र सिंह	19-10-1993 (दिनांक 21-3-1989 से नियुक्ति मानी गई)
	क-II	1. आर० के० चौधरी	2-2-1991
		2. ओ०पी० लोहान	2-2-1991
	ग	1. गुरदेव सिंह	30-4-1992

1	2	3	4
1989	क-I	1. अश्वनी कुमार	8-2-1996
		2. आर०के० चौहान	7-2-1996
		3. इन्द्र सिंह	8-2-1996
		4. आर०के० गर्ग	7-2-1996
	क-II	1. जे०डी० अरोड़ा	19-10-1993
		2. एस०के० शर्मा	19-10-1993
	ग	1. आर०के० मलिक	21-10-1993
		2. भोला राम	21-10-1993
1992	विशेष भर्ती	1. विद्या धर	16-5-1994
		2. एस०पी० अरोड़ा	16-5-1994
		3. पी०एस० बिश्नोई	16-5-1994
		4. एस०आर० वशिष्ठ	16-5-1994
		5. डी०पी०एस० यादव	16-5-1994
		6. बी०आर० बेरी	16-5-1994
		7. जे०पी० शर्मन	16-5-1994
		8. इन्द्र पाल बिश्नोई	16-5-1994
		9. रूप सिंह	16-5-1994
		10. एम०एस० सांगवान	16-5-1994
		11. अरूण शर्मा	16-5-1994
		12. जे०आर० चेची	16-5-1994
		13. ए०आर० गोयल	16-5-1994
		14. वाई०सी० भारद्वाज	16-5-1994
		15. धर्मपाल सिंह	16-5-1994
		16. हरी ओम सिवाच	16-5-1994

1	2	3	4
		17. सरोज लोहचब	16-5-1994
		18. सूरजभान	16-5-1994
		19. एस०बी० लोहिया	16-5-1994
		20. सूरजभान	16-5-1994
		21. राम नाथ	16-5-1994
		22. भाल सिंह बिश्नोई	16-5-1994
		23. अनिल शर्मा	16-5-1994
		24. महाबीर सिंह यादव	16-5-1994
		25. पी०के० शर्मा	16-5-1994
		26. एच०सी० जैन	16-5-1994
		27. तेजिन्द्र पूनिया	16-5-1994
		28. दलीप सिंह	16-5-1994
		29. राम सरूप वर्मा	16-5-1994
		30. विजय सिंह	17-5-1994
	क-I	1. अरविन्द शर्मा	25-3-1998
		2. जय सिंह सांगवान	26-3-1998
		3. इन्द्र सिंह	27-3-1998
	क-II	1. शिव दयाल थरेजा	7-2-1996
		2. भूप सिंह बिश्नोई	7-2-1996
		3. सतबीर सिंह सैनी	7-2-1996
	ग	1. रोशन लाल	7-2-1996
		2. दलबीर सिंह	7-2-1996
1995	क-I	1. के०के० गुप्ता	30-11-1999
		2. एच०सी० भाटिया	30-11-1999
		3. गुरमीत सिंह	30-11-1999

1	2	3	4
		4. के०एस० गिल	1-12-1999
	क-II	1. एच०सी० शर्मा	12-2-1999
		2. आर०के० रोहिला	12-2-1999
		3. जी०एल० यादव	12-2-1999
	ग	1. एस०के० कत्याल	27-3-1998
		2. पी०डी० वर्मा	25-3-1998
1998	क-I	1. देवेन्द्र कौशिक	26-11-2002
		2. नर सिंह ढुल	26-11-2002
		3. हवा सिंह	26-11-2002
	क-II	1. राजपाल सिंह	29-11-1999
		2. जगतार सिंह	29-11-1999
		3. ईश्वर सिंह दहिया	29-11-1999
	ग	1. बलवान सिंह भाखड़	26-11-2002
2000	क-I	1. राम कुमार बेनिवाल	4-2-2003
		2. प्रेम चन्द गंगल	4-2-2003
		3. सतबीर सिंह जांगू	4-2-2003
		4. नरेन्द्र सिंह यादव	4-2-2003
		5. अश्वनी भैंगी	4-2-2003
	क-II	1. सतपाल शर्मा	16-12-2002
		2. तिलक राज	16-12-2002
		3. सुरजीत सिंह	16-12-2002
	ग	1. अमरदीप सिंह	4-2-2003
		2. सतबीर सिंह कुण्डु	4-2-2003
2002	क-I	1. अश्वनी कुमार	13-6-2003
		2. सजय राय	13-6-2003

1	2	3	4
		3. बीर सिंह कालीरावणा	13-6-2003
		4. सतबीर सिंह लोहचब	13-6-2003
		5. सुभाष श्योराण	13-6-2003
		6. ओम प्रकाश शर्मा	13-6-2003
		7. सुशील कुमार	13-6-2003
		8. अमरदीप जैन	13-6-2003
	क-II	1. प्रताप सिंह	13-6-2003
		2. बीर सिंह	13-6-2003
		3. डी०आर० कैरों	13-6-2003
		4. उमेद सिंह मोहन	13-6-2003
		5. परवेश कुमार	13-6-2003
		6. अशोक कुमार	13-6-2003
	ग	1. ओम प्रकाश	13-6-2003
		2. राजीव अहलावत	13-6-2003
		3. विक्रम सिंह मलिक	13-6-2003
		4. सुरेश कुमार	13-6-2003
2003	क-I	1. अनुराग ढालिया	4-10-2004
		2. रमेश कुमार काजल	4-10-2004
		3. बलराज जाखड़	4-10-2004
		4. मनजीत सिंह	4-10-2004
		5. सुभाष चन्द्र गाबा	4-10-2004
		6. मांगे राम ढुल	4-10-2004
		7. सतीश कुमार	4-10-2004
		8. संत लाल पचार	4-10-2004

1	2	3	4
	क-II	1. श्रवण कुमार	4-10-2004
		2. विरेन्द्र सिंह	4-10-2004
		3. देवी लाल सिहाग	4-10-2004
		4. सुरेश कुमार चहल	4-10-2004
		5. पृथ्वी सिंह	4-10-2004
		6. नवीन कुमार आहूजा	4-10-2004
	ग	1. होशियार सिंह सिवाच	4-10-2004
		2. सुभाष चन्द्र सिहाग	4-10-2004
		3. सतीश कुमार जैन	4-10-2004
		4. योगेश कुमार मेहता	4-10-2004
		5. बलजीत सिंह	4-10-2004

(ख) श्री राम नाथ, सचिव, नगरपालिका समिति, हिसार की नियुक्ति 1994 में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में विशेष भर्ती के माध्यम से की गई थी। श्री प्रताप सिंह, लिपिक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला की नियुक्ति 2003 में तथा श्री श्रवण कुमार, सहायक सचिव, हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की नियुक्ति 2004 में हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में पंजिका क-II से की गई थी।

(ग) कर्मचारियों की नियुक्ति समय-समय पर यथा संशोधित पंजाब सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 1930, के द्वारा शासित थी।

(घ) उक्त (क) में वर्णित कर्मचारियों की नियुक्ति उस समय लागू नियमानुसार की गई थी सिवाय श्री राम नाथ, जो कि सचिव नगरपालिका समिति थे और जिनका नाम सिविल याचिका संख्या4176/1994-राम नाथ बनाम हरियाणा सरकार आदि में माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सम्मुख दिनांक 4-4-1994 को तत्कालीन महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा दी गई अंडरटेकिंग के आधार पर सरकार द्वारा विचारा गया था। तथापि, वर्ष 1994 में 30 उम्मीदवारों की विशेष भर्ती जिस में श्री रामनाथ का नाम भी शामिल है इस समय माननीय पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर 14 सिविल याचिकाओं में लम्बित है।

Policy of H.S.A.M.B. for repair of roads

***865. Shri Bhupinder Chaudhary :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the existing policy of the Haryana State Agricultural Marketing Board for the repair of roads ?

कृषि मन्त्री (सरदार एच०एस० चड्ढा) : हां, श्रीमान जी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बोर्ड की सड़कों की मरम्मत बारे नीति हाउस के पटल पर रखी जाती है।

नीति

मार्किटिंग बोर्ड/मार्किट कमेटियों द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत की नीति 17-5-95 की बोर्ड की बैठक में स्वीकृत की गई थी जिसमें निम्नलिखित दो प्रकार की सड़कों की मरम्मत शुरू करने बारे निर्णय लिया गया था।

1. **वार्षिक रखरखाव/मरम्मत:--**

वार्षिक रखरखाव/मरम्मत में बरम सड़कों के पैच कार्य, पुलियों की मरम्मत, किलोमीटर पत्थरों पर रोगन व साईन बोर्ड इत्यादि को सम्मिलित किया गया था। सड़कों की वार्षिक मरम्मत व रखरखाव का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के नियमों के आधार पर लगातार करवाया जायेगा।

2. **विशेष मरम्मत :--**

विशेष मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के नियमों के आधार पर स्थिति के अनुसार बनाये गये अनुमान के आधार पर करवाये जाएंगे यह मरम्मत भारी पैच वर्क चौड़ाई थियरिंग कोट के अतिरिक्त परिमिक्स कारपेट इत्यादि के साथ करवाये जायेंगे।

Replacement of Obsolete electricity wires

*906. **Shri Sahida Khan :** Will the Power Minister be pleased to state —

(a) Whether there is any scheme of the Government to replace the obsolete electricity wires with the new electricity wires; and

(b) If so, the name of the places in district Mewat where the obsolete electricity wires have been replaced with new wires during the last two years to date together with the total length thereof ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) हाँ श्रीमान् जहाँ-जहाँ आवश्यकता है, वहाँ-वहाँ बिजली कम्पनियां अपने सामान्य परिचालन कार्य के अन्तर्गत बिजली की पुरानी हो चुकी तारों को नई तारों से बदल रही हैं।

(ख) जिला मेवात में पिछले दो वर्षों में जहाँ-जहाँ पुरानी तारों को नई तारों से बदला गया है, उन फीडरों/स्थानों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्रमांक	11के वी फीडर	उपकेन्द्र का नाम	बदली गई तारों की लम्बाई (कि०मी०) 2006-07		2007-08		लाभान्वित गांवों की संख्या
			11के वी	0.433 वोल्ट	11के वी	0.433 वोल्ट	
1.	ऊजिना	66 के वी नूंह	31.300	8.200			21
2.	अगोन	33 के वी फिरोजपुर झिरका	32.425	9.875			17
3.	शाहचौखा	66 के वी पुन्हाना	34.280	8.720			27
4.	मालब	66 के वी नूंह			32.750	9.650	23
5.	साकरस	66 के वी नगीना			32.400	7.900	8
6.	रनियाला	33 के वी फिरोजपुर झिरका			31.600	6.200	21
7.	सिंगार	66 के वी पुन्हाना			30.850	8.750	14
		योग	**98.005**	**26.795**	**127.60**	**32.500**	**131**

कुल तारें जो 2006-07 में बदली गई = 124.800 कि०मी०

कुल तारें जो 2007-08 में बदली गई = 160.100 कि०मी०

कुल तारें जो बीते दो वर्षों में बदली गई = 284.900 कि०मी०

2006-07 में तारों को बदलने का खर्च = रुपए 59.90 लाख

2007-08 में तारों को बदलने का खर्च = रुपए 76.85 लाख

बीते दो वर्षों में तारों को बदलने का खर्च = रुपए 136.75 लाख

Settlement of Gadia Lohar (Dhey) in Bhiwani

***871. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide proper settlement and other facilities such as ration cards and Voter ID-Cards to the Gadia Lohar (Dhey) of Bhiwani ?

शहरी विकास मन्त्री (श्री ए०सी० चौधरी) : भिवानी में गाडिया लोहार व ढेय जातियों के पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गाडिया लोहार जाति के 40 व्यक्तियों तथा ढेय जाति के 146 व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी किये गये हैं।

गाडिया लोहार जाति के 43 व्यक्तियों तथा ढेय जाति के 14 व्यक्तियों के मतदाता पहचान पत्र बनाये गये हैं।

Widening and repair of Tosham-Behal-Sudiwas road

*922. **Shri Sonvir Singh :** Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether the widening and repair work of the Tosham-Behal-Sudiwas road was handed over to any Company/Contractor; if so, the reasons for delay in execution of the said work; and

(b) the time by which the widening and repair work of the road as referred to in part (a) above is likely to be completed ?

सिंचाई मन्त्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) तथा (ख)

हां, श्रीमान् जी। इस सड़क के निर्माण का कार्य अलग-अलग तौर पर भिवानी मण्डल के लिये दिनांक 15-4-2005 को तथा धरखी-दादरी मण्डल के लिये 22-7-2005 को श्री करतार सिंह ठेकेदार को आबंटित किया गया था। कार्य को गुणवत्ता मुद्दे के कारण 11/2005 में रोक दिया गया था। कार्य से जुड़े हुये मुद्दों का समाधान किया जा रहा है तथा कार्य जल्द ही आरम्भ होने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Amount Spent on conducting the Examination of H.C.S.

112. **Shri. Karan Singh Dalal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the amount spent on the conducting of the Examination of Haryana Civil Services and Other Allied Services held in December, 2000 and January, 2001 togetherwith details of amount given/spent on paper setting and for marking the Answer-Sheets;

(b) the amount of T.A. and D.A. drawn by the Secretary and Chairman/ Members of Haryana Public Service Commission in connection of (a) above; and

(c) the names with designation and full addresses of Examiners and of those who set the papers of examinations as mentioned in (a) above ?

मुख्य मन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000-01 में हुई हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा अन्य अलाईड सेवाएं की परीक्षाओं के संचालन में पेपर सैटिंग और उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिंटिंग तथा मार्किंग को छोड़कर कुल आम खर्चा 20,68,249/- रुपये हुआ है। आयोग ने उक्त परीक्षा के पेपर सैटिंग, प्रश्न पत्रों का प्रकाशन तथा उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग के बारे कोई सूचना नहीं भेजी है।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ख) दिनांक 3-11-2000 से 4-9-2001 तक तत्कालीन सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग के यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों पर कुल 2,00,676/-रुपये खर्च हुए हैं। आयोग द्वारा अध्यक्ष/सदस्यों, हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे वांछित सूचना नहीं दी गई है।

(ग) आयोग ने परीक्षकों के नाम, पेपर सैटिंग तथा प्रश्न पुस्तिकाओं की छपवाई तथा उत्तर पुस्तिकाओं की मार्किंग के कार्य को अति संवेदनशील तथा गोपनीय बताते हुए इनसे सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने से इन्कार किया है। आगे आयोग ने यह भी दावा किया है कि इस परीक्षा के आधार पर हुए चयन को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका नं० 15390/2002- कर्ण सिंह दलाल बनाम हरियाणा सरकार व अन्य द्वारा चुनौती दी हुई है, जिसकी सुनवाई दिनांक 19-3-2008 को निश्चित है। इस प्रकार मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

अनुपस्थिति के बारे में सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received a letter from Smt. Kiran Chaudhary, Minister of State for Forests and Tourism dated 12th March, 2008 vide which she has stated that she is unable to attend the sitting of the House due to illness of her mother.

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received Leave of Absence dated 12th March, 2008 from Shri Bharat Singh Chokkar, M.L.A. which reads as under :—

"Respected Sir,

I have the honour to request to grant me leave on 13th and 14th, March, 2008 as my wife is sick. So, I will not be able to attend the Session on 13th and 14th March, 2008.

Thanking You".

Mr. Speaker : Question is—

That permission for leave of absence from 13th and 14th March, 2008 for the Budget Session be granted .

Voices : Yes, yes.

The motion was granted.

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मैडिकल कॉलेज से सम्बन्धित मेरी एक कॉलिंग अटैंशन मोशन पी०जी० एण्ट्रैंस एग्जाम से सम्बन्धित थी, उसका क्या फैट है ?

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन regarding severe damage of crops due to heavy cold/pala, has been disallowed and your second calling attention notice regarding high-handedness/bungling in post-graduate entrance examination of Haryana Medical Colleges, has been sent to the Government for comments. Within 72 hours उसका जवाब आ जाएगा। वैसे हाउस इतने लम्बे समय तक चलेगा आप इस विषय पर किसी भी समय बोल सकते हैं।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और अरजैंट मैटर है और इसे दिए हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं। लोग वहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत है। सर, यह बड़ा अरजैंट मैटर है और आप कह रहे हैं कि इसमें 72 घण्टे में जवाब आ जाएगा।

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से डॉ० साहब से जानना चाहूंगा कि क्या ये खुद किसी पेशैंट से एक बार भी मिल कर आए हैं। (विघ्न) ये चिन्ता न करें इनकी कॉलिंग अटैंशन मोशन का जवाब इनको दे दिया जाएगा।

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, यह किसी मरीज को मिलने जाने की बात नहीं है। हमें किसी प्रकार का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उनकी बात को उठाने का हमें हक है और जो उचित माध्यम है वहीं पर हमें अपनी बात उठानी चाहिए। इनकी तरह वहां पर जा कर हमें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, कल मैंने आपको गवर्नर एड्रैस पर बोलने के लिए समय दिया था। तो उस वक्त आपके लीडर ने यह कहा था कि ये गवर्नर एड्रैस पर क्या बोलेंगे (विघ्न) आपने जो मुद्दा कॉलिंग अटैंशन मोशन में दिया है वह आप गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए कल भी कवर कर सकते थे लेकिन कल आपने बोलने से मना कर दिया था। कल आप कुछ नहीं बोले।

डॉ० सीता राम : *** *** ***

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (विघ्न) डॉ० साहब, आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन आई हुई है और उसका भी एक प्रोसीजर है। आपकी कॉलिंग मोशन का जवाब मैं तो नहीं दूंगा। आपकी कॉलिंग अटैंशन मोशन सरकार के पास फैक्टस वैरिफिकेशन के लिए भेजी हुई है। सरकार की तरफ से जो भी जवाब आएगा वह आपको बता दिया जाएगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरी दो कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज़ थीं। One was regarding shortage of power in the State and the second was regarding situation arising out due to scarcity of domestic gas in the State. जो कि बहुत जरूरी मामलों से सम्बन्धित हैं जिनके कारण प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इन सभी बातों को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भी बोल सकते हैं। लेकिन मैं इस बारे में यह पूछना चाहता हूं कि इनका क्या फेट है ?

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Indora Ji, your Calling Attention Motions have already been disallowed and the reasons thereof have been communicated to you. जब रीजन ऑफ रिजैक्शन आपके पास आ गये हैं, उसके बावजूद भी आप इस बारे में यहां पर बोल रहे हैं। आप बैठ जाएं।

डी०ए०वी० कॉलेज, सढौरा के छात्रों का अभिनन्दन

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, डी०ए०वी० कॉलेज, सढौरा के छात्र यहां दर्शक दीर्घा में मौजूदा हैं। ये विद्यार्थी देश की अगली पीढ़ी हैं, देश का भविष्य हैं, यहां आने पर हम उनका स्वागत करते हैं।

आगरा नहर के प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी गैर-सरकारी संकल्प

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Karan Singh Dalal will move his non-official resolution.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं --

> "कि यह सदन राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि हरियाणा प्रदेश के क्षेत्र को पानी के हिस्से की उचित तथा सुनिश्चित पूर्ति के लिए आगरा नहर की कार्यकारिणी पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखने के लिए कोई क्रियाविधि निकाली जाए।"

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House recommends to the State Government that some mechanism may be evolved to have the administrative control over the functioning of Agra Canal for proper and assured supply of share of water to the territory of Haryana State.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, आज गैर- सरकारी काम काज का दिन है और मैंने एक गैर-सरकारी संकल्प दिया है और इस पर आपने मुझे बोलने का समय दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह आगरा कैनाल 1896 में अंग्रेजी हकूमत के दौरान बनी थी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमारा जिला फरीदाबाद जो कि पहले जिला गुड़गांव हुआ करता था। उस वक्त इस आगरा कैनाल की मार्फत हमारे पुराने गुड़गांव जिले के किसानों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाता था। अध्यक्ष महोदय, इस नहर के बनने से हमारे पुराने गुड़गांव जिले के लोगों ने एक खुशहाली देखी और उस पुराने गुड़गांव जिले के 3 जिले फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव बने। अध्यक्ष महोदय, इस आगरा कैनाल में 4000 क्यूसिक पानी की क्षमता है। अध्यक्ष महोदय, 4000 क्यूसिक पानी डब्ल्यू०जे०सी० सिस्टम से आता है। अध्यक्ष महोदय, यह पानी ताजेवाला हैडवर्कस से चलता है और इसमें हिंडन नदी भी जोड़ी गई है। ओखला बैराज में यह पानी रोकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ओखला बैराज से 3 जगहों के लिए पानी का बंटवारा किया जाता है। पहले बंटवारे में यह पानी गुड़गांव के लिए दिया जाता है और यह पानी फरीदाबाद से गुड़गांव होते हुए राजस्थान जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस नहर का निर्माण संयुक्त पंजाब के वक्त में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पिता श्री रणबीर सिंह जी के वक्त में हुआ था। दूसरे बंटवारे में यह चार हजार क्यूसिक पानी हमारे जिले फरीदाबाद से होते हुए आगरा कैनाल तक

जाता है। अध्यक्ष महोदय, यमुना के पानी का बंटवारा भी ओखला बैराज से होता है। अध्यक्ष महोदय, जितने भी पुराने गुड़गांव के माननीय सदस्य यहां पर आते रहे हैं उन्होंने यहां सदन में हमेशा इस बारे में जिक्र किया है। हमारी विडम्बना है कि तमाम हरियाणा की जितनी भी नदियों के पानी के बंटवारे हुए हैं वे सही नहीं हुए हैं। उन पर हमेशा ही ट्रिब्यूनल बने हैं, उन पर हमेशा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में याचिकाएं डाली गई हैं और हरियाणा में नदियों के पानी पर संघर्ष हुआ है। हरियाणा में नदियों के पानी पर हमेशा राजनीति की गई है। हमें इस बात का दुःख है कि जिला फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, उस के किसानों के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे उनके खेत में पानी पहुंच सके। इतनी बड़ी मात्रा वाली यानि चार हजार क्यूसिक पानी की नहरें अगर हरियाणा में गिनी जाएं जो बहुत कम हरियाणा के अंदर से ऐसी नहरें गुजरती हुई दिखायी देंगी जिनके अंदर चार हजार क्यूसिक पानी चलता हो। अध्यक्ष महोदय, जब प्रदेश का बंटवारा हुआ, जब यह देश आजाद हुआ तथा जब स्टेट रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट के तहत स्टेट्स बनीं उसके बाद यू०पी० और हरियाणा में पानी के बंटवारे में हमारा अधिकार कितना होगा, इस बारे में आज तक कोई फैसला नहीं किया गया। इसका नतीजा और खामियाजा हम और हमारे बच्चे आज तक भुगत रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब यहां पर बैठे नहीं हैं लेकिन नूंह के विधायक श्री हबीब-उर-रहमान जी यहां पर बैठे हुए हैं उनको सारे हालात का पता है। अध्यक्ष महोदय, आप मेवात की हालत जाकर देखिए। मेवात के एरियाज में किसी जमाने में आगरा कैनाल का पानी जाया करता था, जिसके कारण वहां के एरियाज में खुशहाली नजर आया करती थी। उस समय वहां के किसान गन्ना उगाया करते थे क्योंकि उस समय वहां के रजबाहों में पानी चलता था। जब उन रजबाहों में पानी चलता था तो वहां की धरती के अंदर से मीठा पानी निकलता था, लेकिन उस मेवात के एरियाज में जहां कभी वहां रजबाहों के माध्यम से पानी पहुंचता था जिसके कारण कभी वहां खुशहाली हमारे देश और प्रदेश के लोगों ने देखी, वहां आज यह हालत है कि आगरा कैनाल के पानी के बंटवारे की कोई सही व्यवस्था न होने की वजह से मेवात के एरियाज की हालत बहुत बुरी है। मेवात को तो आप छोड़िए बल्कि फरीदाबाद के हमारे वे इलाके जहां के ऊपर से आगरा कैनाल का पानी चलता है, वहां पर भी यू०पी० के अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है कि तमाम हरियाणा में जो हमारा सिंचाई विभाग है वह किसानों को पानी भी देता है और आबियाना भी माफ करता है वहीं दूसरी तरफ आप हमारी दुर्दशा देखिए कि जिला फरीदाबाद में आगरा कैनाल का पानी तो हमें मिलता नहीं है उल्टे यू०पी० के अधिकारी हमसे आबियाना वसूल करने की जिद करते हैं। चूंकि आगरा कैनाल का पानी फरीदाबाद के लोगों को नहीं मिलता है बल्कि उल्टे उनसे आबियाना मांगा जाता है जिसके कारण किसानों में नाराजगी होती है और इसकी वजह से ही वहां पर प्रशासन और किसानों में आपस में मुठभेड़ होने की नौबत भी आ जाती है। मैं आपके माध्यम से सदन से और सरकार से निवेदन करता हूं कि जहां हम हरियाणा की तमाम नदियों के पानी के बारे में एक जुट होकर संघर्ष को आगे बढ़ाऐ और पूरा प्रयास करें कि हमें हमारा पूरा पानी मिलें। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा की सरकार ने पानी के समान बंटवारे के लिए हांसी बुटाना लिंक कैनाल तक का निर्माण भी करवाया है जोकि अच्छी बात है क्योंकि इससे दक्षिणी हरियाणा के जिले, जिसमें अध्यक्ष महोदय, आपका जिला और फरीदाबाद, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रोहतक, सोनीपत, करनाल और कुछ कुरुक्षेत्र जिले के हिस्सों तक को पानी मिलेगा। यह एक बहुत ही अच्छा प्रयास हुआ है जिसके कारण आज हरियाणा के लोग मुख्यमंत्री जी की और हरियाणा सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन कुछ लोग पानी के नाम पर राजनीति भी करते आए हैं। मुझे इस बात का खेद है कि आज जब

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

आगरा कैनाल पर चर्चा होनी थी तो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिनको आज सदन में हाजिर होना चाहिए था, वह हाजिर नहीं है जबकि वे बहुत लम्बे अर्से तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है कि जब पिछली सरकार, यानि श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में आगरा कैनाल से हमें न के बराबर पानी मिला तो उस समय हम आपके साथ बैठकर विधान सभा में शोर मचाया करते थे। उन दिनों के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी को शायद इस बात में आनन्द आता था कि फरीदाबाद जिले से जहां से मेरे जैसे विधायक बनते आ रहे हैं और अपने फर्ज को पूरा कर रहे हैं एवं लोगों की दुख तकलीफों को विधान सभा में रखते हैं, वह उनको पसन्द नहीं आती थी। उस समय जब मैं उनके काले कारनामों को विधान सभा में उजागर करता था, उनकी गुस्ताखियों की चर्चा जब मैं पत्रकार भाईयों के सामने और विधान सभा के सामने रखता था तो उस तकलीफ को देखकर ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी सरकार जानबूझकर हमारे इलाके के लोगों को सजा देने का काम किया करती थी। इसी कारण ही उस सरकार ने आगरा कैनाल से हमारे यहां के किसानों को पानी नहीं लेने दिया। अध्यक्ष महोदय, आज वहाँ पर बहुत खराब हालत है। यदि हम यहां के किसान के खेत के पानी की भी बात न करें तो यह सही नहीं होगा। हमारे जिले के साथी विधायक भी यहां पर बैठे हैं। चौधरी महेन्द्र प्रताप जी, चौधरी उदय भान जी, चौधरी हर्ष कुमार जी और हमारे मेवात के इलाके से विधायक यहां बैठे हुए हैं। उनसे भी इस बारे में आप दरयाफ्त कर सकते हैं, उनसे ये सरकार पूछ सकती है, बातचीत कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, उन रजबाहों में पानी न होने की वजह से आज हमारे एरिया में हालात यह हैं कि 15-15 हजार की आबादी वाले गांवों में पानी नहीं चलता है। धरती के नीचे अंडरग्राउंड वॉटर की रीचार्जिंग नहीं हो पा रही है जिस वजह से आज हालात यह हैं कि हमारे गांवों में हमारे बच्चों को, हमारी बहू बेटियों को पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, पानी का रजबाहों में, नहरों में पानी की कमी की वजह से न दे पाना, एक अलग बात है। अगर सरकार यह कहे कि पानी की कमी है इसलिए पानी नहीं दे पा रहे हैं तो यह अलग बात होती है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी छाती के ऊपर से यह पानी जाता है और हम देखते रहते हैं कि यह पानी यू०पी० के लिए और आगरा के लिए जा रहा है। तो इस सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारे इलाके पर इस सरकार को कृपा करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल के 51 रजबाहे हैं। माननीय मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहां बैठे हुए हैं अगर ये अपने अधिकारियों से रिकार्ड मंगाकर उसकी तहकीकात करें और देखें तो इनके सामने जो तथ्य इस बारे में आएंगे, वे चौंकाने वाले होंगे ? यह आगरा कैनाल 1896 में अंग्रेजी हकूमत के समय बनी थी और उसमें डेढ़ लाख एकड़ का कमांड एरिया हमारे जिले का होता था। जो पुराना गुड़गांव जिला था उस के डेढ़ लाख एकड़ की बाकायदा रजबाहों के मार्फत सिंचाई हुआ करती थी और हमारे इलाके को भी वह पानी मिलता था लेकिन आज वही पानी है, वही नहर है, वही खेत हैं लेकिन आज 20 हजार एकड़ से ज्यादा हमारे एरिया की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। जिसका नतीजा यह निकला कि हमारी कृषि का उत्पादन घट रहा है और सिंचाई के अभाव में लोग गांवों में बेरोजगार बैठे हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि जो अंडरग्राउंड वॉटर है उसकी रीचार्जिंग न होने की वजह से हमारी बहन बेटियों को इस समस्या का बहुत सामना करना पड़ रहा है। अगर इस बारे में हरियाणा सरकार थोड़ा सा प्रयास करे तो इसमें कई बातें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए न तो उत्तरप्रदेशसे झगड़ा करने की कोई जरूरत है न कोई बड़ा प्रयास करने की जरूरत है। मुझे याद है कि जब यह बात मैंने मुख्यमंत्री जी को बताई थी तो उन्होंने तय किया था कि यदि उन्हें स्वयं भी वहां जाना

पड़ा तो भी जाकर बात करेंगे। इस आगरा कैनाल का जो हैड वर्क्स हैं वह मेरे नेटिव गांव किठवाड़ी में पड़ता है लेकिन उस पर जो अधिकारी बैठे हैं वे हरियाणा सरकार के नहीं हैं। उसके ऊपर जो अधिकारी बैठते हैं वे यू०पी० के बैठते हैं। हमारा वहां नियंत्रण न होने की वजह से वहां पर बहुत अफरातफरी मची रहती है। वे अधिकारी जब उनकी मर्जी होती है तब वहां आते हैं और उनकी ही मर्जी होती है कि वे क्या फैसला लें, क्या न लें। जब चौधरी बंसी लाल की सरकार थी तो मैं उस सरकार में मंत्री था और चौधरी हर्ष कुमार जी बाद में मंत्री बने थे। चौधरी हर्ष कुमार के इस महकमें के मंत्री बनने से पहले आगरा कैनाल के बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने एक व्यवस्था करा कर दी थी, उस व्यवस्था से हमें बहुत बड़ा रिलीफ मिला था। उन्होंने यू०पी० के अधिकारियों के साथ बैठकर फैसला करवाया था कि जितने रजबाहे हैं, उन रजबाहों का एक किलोमीटर का एरिया छोड़कर रजबाहे की सफाई और उसकी खुदाई इत्यादि हरियाणा सरकार करेगी। वर्ष 1997 में यू०पी० के अधिकारियों के साथ बैठकर हमारे अधिकारियों ने इस बारे में बातचीत की थी। जो यह बातचीत हुई थी यह सरकार के स्तर पर नहीं हुई थी, अधिकारियों के स्तर पर हुई थी जिसकी वजह से उस रिकार्ड को संभालकर रखना हमने इतना मुनासिब नहीं समझा। यदि उस वक्त इस व्यवस्था को अंजाम दे पाते तो काफी पानी हमारी रबी और खरीफ की फसल के लिए हमारे जिला फरीदाबाद और मेवात एरिया के किसानों को मिलता । उसका नाजायज फायदा उठाकर के यू०पी० की सरकार की तो मैं नहीं कहता लेकिन उनके अधिकारी है वे न तो हमें रबी की फसल के समय पानी देते हैं और न ही खरीफ की फसल के समय पानी देना चाहते और कई दफा तो झगड़े की नौबत आ जाती है क्योंकि किसान किठवाड़ी हैड वीयर पर इकट्ठे हो जाते हैं और उधर से यू०पी० के किसान आ जाते हैं। क्योंकि वहां का कुछ एरिया यू०पी० के अन्दर पड़ता है वहां पर यू०पी० के अधिकारी आते हैं। यह इतना बड़ा मामला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने महकमे के अधिकारियों के साथ बैठकर उनसे यह बात करें कि आखिर क्यों इस बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है। हरियाणा का चीफ इंजीनियर और यू०पी० का चीफ इंजीनियर कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वे हर महीने एक दफा आपस में मिला करें और पानी के बंटवारे के बारे में आपस में बात किया करें। अध्यक्ष महोदय, जो किठवाड़ी हैड वीयर है वहां अगर साढ़े आठ फीट का वॉटर लेवल ये मेनटेन कर सकते हैं तो यू०पी० सरकार को और यू०पी० के किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इतनी व्यवस्था कर दी जाती है तो हमारे रजबाहे, जैसे हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, होडल डिस्ट्रीब्यूटरी, हथीन डिस्ट्रीब्यूटरी, पलवल डिस्ट्रीब्यूटरी, जनौला डिस्ट्रीब्यूटरी, अलावलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पर पानी चलने लग जायेगा। लेकिन इन यू०पी० के अधिकारियों की आदत खराब हो गई है। किसान उन अधिकारियों से पानी छोड़ने के लिए मिन्नतें करते हैं और उन अधिकारियों को रिश्वत देने के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। किठवाड़ी हैड वीयर पर जो अधिकारी हैं वे यह उम्मीद करते हैं कि फरीदाबाद के आस-पास के गांवों के लोग आयेंगे और उनको रिश्वत देंगे तभी वे पीने के लिए पानी छोड़ेंगे। इस सारी व्यवस्था को सरकार के द्वारा ठीक किए बगैर गुजारा नहीं है। स्पीकर सर, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने तो हरियाणा के किसानों का आबियाना माफ कर दिया है लेकिन जिला फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव के जिलों के किसानों को आगरा कैनाल के पानी के बदले यू०पी० सरकार को आबियाना देना पड़ता है। इसलिए इन जिलों के किसानों का आबियाना भी सरकार को माफ करना चाहिए क्योंकि उन किसानों ने ऐसा क्या किया है कि वे अकेले तो आबियाना दें और बाकी प्रदेश के किसानों का आबियाना माफ हो जाये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि जो पानी आगरा नहर में आ रहा है वह बहुत दूषित पानी है, उस पानी में दुर्गन्ध बढ़ी हुई है क्योंकि उस

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

आगरा नहर में कारखानों के एफ्लूऐंट ट्रीटमैंट प्लांटों का पानी डाला जाता है। इसी प्रकार दिल्ली के आसपास और उत्तरप्रदेश के कारखानों का पानी भी इस नहर में डाला जाता है जिससे यह पानी दूषित हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक जमाना था कि इस आगरा नहर का पानी इतना साफ हुआ करता था कि गांव के आदमी इस नहर में नहाते थे, पानी पिया करते थे और कपड़े धोया करते थे, मैं सिंचाई मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको इस बात के लिए गौर करना चाहिए कि हमारे प्रदेश के लोगों को साफ पानी मिलता रहे। जो इस नहर में पानी आ रहा है उसमें बहुत दुर्गन्ध आ रही है, रसायन आ रहा है क्योंकि कारखानों का गन्दा पानी इसमें आ रहा है। जो आगरा कैनाल के आस पास के गांवों में बसे हुए हैं और इन रजबाहों के आसपास गांव बसे हुए हैं, उन लोगों को इस पानी की वजह से, गन्दा पानी मिल रहा है। जो धरती के नीचे पानी है उस पानी में भी यह गन्दा पानी मिल रहा है जिससे यह पानी भी दूषित हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री इस बात के लिए जरूर हां करें और वे इस बारे में पता करें कि कारखानेदार अपने कारखानों का गन्दा पानी इस नहर में क्यों डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान में भी यह लिखा हुआ है कि इस देश में रहने वाले हर इन्सान को स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली से 60 किलोमीटर के दायरे में बसे हुए लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और इस तरह का गंदा पानी नहर के मार्फत चलाकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का अपराध हो रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था कि सिंचाई मंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्या ये यू०पी० की सरकार से इस मामले में बात करेंगे कि इस इलाके के लोगों का आबियाना माफ हो और अगर यू०पी० की सरकार इस पर हां नहीं करती है तो उस आबियाने को हरियाणा सरकार भरे। जब समाम हरियाणा में आबियाना माफ कर दिया गया है तो हमारे जिले के लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है। हमारे जिले का आबियाना भी माफ होना चाहिए और अगर माफ नहीं होता तो हरियाणा सरकार इस आबियाने को भरे। जहां तक पानी के बंटवारे की बात है मुझे इस बात का खेद है और मैं मंत्री जी से इस बात की शिकायत करता हूं कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पानी यमुना में चलता है और गुडगांव नहर में चलता है उस नहर की कैपेसिटी 3 हजार क्यूसिक पानी की है लेकिन उसमें मुश्किल से 300 क्यूसिक पानी डालते हैं और उस 300 क्यूसिक में से 100 क्यूसिक तो फरीदाबाद थर्मल प्लांट को दे देते हैं बाकी 200 क्यूसिक पानी बताइए कि कितने किसानों की भरपाई कर पाएगा। पानी का जो हैड है वह ओखला बैराज पर है, इस ओखला बैराज के ऊपर यू०पी० के अधिकारियों का नियंत्रण है, दिल्ली पर भी उनका नियंत्रण है, हरियाणा में भी उनका नियंत्रण है और महकमें का ठीक रवैया न होने की वजह से 3-4 जिले बहुत बड़ा नुकसान झेल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बारिश आती है तो बारिश का पानी इतने भयावह तरीके से यमुना के अंदर चलता है कि वह पानी ताजेवाला हैड से तमाम हरियाणा में से गुजरता हुआ जाता है जिसकी वजह से यमुना के किनारे बसे हुए गांवों को खाली करवाया जाता है। शासन प्रशासन भाग-भाग कर लोगों को पानी के नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। वही यमुना का पानी दिल्ली से आगे बढकर हमारे जिला फरीदाबाद में आता है और यह हालत हो जाती है कि तूफानी पानी उबलता हुआ, बहुत भयावह तरीके से गांवों को उजाड़ते हुए हमारे जिले में से गुजरता है तो क्या आपका महकमा यह प्रयास नहीं कर सकता कि उस पानी को यमुना में चलाने की बजाय मेहरबानी करके आगरा कैनाल में डलवा करके फिर रजबाहों और नालों में डलवा दें जिससे आप हमारे किसानों की जब उनको गेहूं की फसल के समय पानी की किल्लत होती है वह दूर कर सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को भी कोई ऐतराज नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश को कम से कम बारिश के दिनों में,चौमासे के दिनों में तो

ऐसराज नहीं है क्योंकि यमुना में जो पानी चलता है वह चलकर समुद्र में मिलता है और रास्ते में तमाम गांवों को बरबाद करता है और फसलों को बरबाद करता है। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन अजय सिंह यादव जी यह काम तो कर सकते हैं और सदन को आश्वस्त कर सकते है कि बारिश के फालतू पानी को ये आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल में ओखला बैराज के मार्फत डाले और निश्चित करें कि वहां पानी का बंटवारा इस तरीके से करेंगे कि जो समुद्र में पानी जा रहा है और यमुना के किनारे बसे हुए गांवों को उजाड़ रहा है, उस पानी को आगरा कैनाल में डिस्ट्रीब्यूट्रीज की मार्फत डालेंगे। हमारे नाले, उजीना डायवर्शन ड्रेन, गोछी मैल ड्रेन, जलौनी ड्रेन और न जाने कितनी ड्रेनें हमारे जिले और मेवात में बनी हुई हैं, अगर बारिश में उस पानी को इन ड्रेनों में डाल दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे गांवों को बहुत फायदा होगा। इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है बल्कि सरकार का फायदा है। अगर बारिश में इन ड्रेनों में और रजबाहों में पानी डलवा दिया जाए तो अध्यक्ष महोदय मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह पानी मेवात तक धरती के पानी को मीठा कर देगा और बारिश में क्योंकि पानी ज्यादा आता है, कारखानों का गंदा पानी भी हल्का हो जाता है, स्वच्छ पानी हमारे रजबाहों और नालों में चलकर हमारे किसानों को जीवनदान दे सकता है और धरती के पानी की व्यवस्था को ठीक कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब को यह तो करना ही चाहिए। कैप्टन जी रिवाड़ी के इलाके में पानी ले जाएं तो हमें खुशी होगी कि 11.00 बजे हमारे भाई रेतीले इलाकों में पानी लेकर जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे भाई सिंचाई मंत्री को इनके पड़ोसी जिले में बसे हुए लोगों पर तरस नहीं आ रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सगे भाई से ज्यादा पड़ोसी काम आते हैं इसलिए इन्हें हमारे ऊपर दया करनी चाहिए। सिंचाई मंत्री जी की एक कलम चलेगी एक टेलीफोन होगा तो हमारे एरिया में खुशहाली आयेगी, हरियाली आयेगी और इसके लिए हमारे बच्चे इन्हें दुआ देंगे इसलिए सिंचाई मंत्री जी हमारे एरिया की तरफ ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं जो यमुना में गंदगी डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट चली हुई है कि यमुना के अंदर गंदगी नहीं डाली जायेगी और अगर किसी ने डाल भी दी तो उसकी सफाई करवाई जायेगी। हमारे जो पर्यावरण और सिंचाई विभाग हैं ये क्या कर रहे हैं ? ये हमारे एरिया के लोगों पर तरस क्यों नहीं खा रहे हैं। यमुना में जो कारखानेदार गंदगी डाल रहे हैं और हमारे एरिया के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें ये विभाग क्यों नहीं रोक रहे ? सिंचाई मंत्री जी कृपया हमें बतायें कि इन्होंने आज तक ऐसे कितने कारखानेदारों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किये हैं जो यमुना में गंदगी डाल रहे हैं और हमारे एरिया के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यमुना में गंदगी मिलने के बाद से जो पानी चलकर हमारे एरिया में आता है वह अपने साथ गाद लेकर आता है जिसके कारण रजबाहे और नहरें, रजबाहें और नहरें न रहकर गंदे नाले बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उन रजबाहों और नहरों की सफाई साल-दो साल में करवाई जाती है। एक तरफ ऐसे इलाके हैं जहां बिलकुल साफ नीला पानी है यदि उस पानी में सिक्का डाल दिया जाये तो वह सिक्का ऊपर से नजर आता है और दूसरी तरफ मेवात जिला है जहां पर नहरों और रजबाहों के तट पर खड़ा नहीं हो सकते, देखना तो दूर की बात है क्योंकि उनमें बहुत गंदगी है। इसलिए माननीय सिंचाई मंत्री जी को एक एस०टी०पी० यमुना पर दिल्ली से पहले और एक एस०टी०पी० दिल्ली के बाद लगाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यदि नहरों के हैड पर एस०टी०पी० सिंचाई मंत्री जी लगा देंगे तो उससे हमारे इलाके के लोगों को बहुत लाभ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यमुना की सफाई का काम चल रहा है इसलिए हरियाणा सरकार को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि पर्यावरण और सिंचाई

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

विभाग गंदे पानी को एस०टी०पी० लगाकर साफ करने का काम करें ताकि मेरे इलाके के लोगों को लाभ मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि यू०पी० सरकार के हमें लाभ भी हैं, ये लाभ कई बार हमें मिलते भी हैं, इसलिए हम भी उनका नुकसान नहीं चाहते हैं। हमारी जो तकलीफ है उसके बारे में आगरा कैनाल के अधिकारियों और सरकार से किसी भी व्यवस्था में, किसी भी हालत में बात की जाये। हमारे जिले को ताजेवाला हैड से पानी छोड़ा जाता है और ताजेवाला हैड की हमारे से बहुत दूरी है, दिल्ली पार करके ही हमारे यहां पानी आता है। दूरी अधिक होने के कारण रास्ते में कुछ पानी चोरी हो जाता है और कुछ पानी वैसे भी वेस्ट हो जाता है इसलिए हमारे एरिया को वहां से पानी देने की जरूरत नहीं है। क्या सिंचाई मंत्री जी यू०पी० सरकार से बात नहीं कर सकते कि ताजेवाला हैड से सहारनपुर को पानी दे दिया जाये और हिंडन नदी से जो दिल्ली के ऊपर है उससे हमारे एरिया को पानी दे दिया जाये। ऐसा करने से यू०पी० की सरकार भी खुश होगी क्योंकि उनके सहारनपुर के किसानों को भी प्रोपर पानी मिलेगा। हिंडन नदी में गंगा का पानी आता है। अगर हमारे जिले में गंगा का पानी आयेगा तो मंत्री जी को हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्री जी रिवाड़ी से फरीदाबाद आयें, वहां पर हम उनको गंगा के पानी में डुबकी लगवाकर तरोताजा करके वापिस रिवाड़ी भेज देंगे। अध्यक्ष महोदय, हिंडन नदी 300-400 क्यूसिक पानी की क्षमता वाली नदी है। हिंडन नदी का पानी ओखला नदी के जरिये हमारे जिले में आ सकता है। इतना पानी ये उत्तर प्रदेश को दे दें और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस तरह की व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश सरकार के साथ करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार इनका समर्थन करेगी और उल्टे इनका धन्यवाद भी करेगी और इसके कारण जो रस्साकसी, उलाहने और शिकायतबाजी जैसी बातें भी समाप्त हो जायेंगी। यह काम तो माननीय मंत्री जी कर ही सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो यमुना नदी का पानी है इसके बारे में हमने कई दफा मंत्री महोदय के सामने यह प्रस्ताव रखा है और आज भी मैं आपकी मार्फत माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आगरा कैनाल के सिस्टम को दुरूस्त करने के लिए यह जरूरी है कि यमुना नदी का पानी जो हमारे जिलों के बीच में से गुजरता है वहां पर यमुना नदी के अन्दर ये बैराज क्यों नहीं बना देते। अगर यमुना में ये बैराज बना दिये जाते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि फरीदाबाद जिले में ये बैराज कहां-कहां पर बनाये जा सकते हैं इसकी रूपरेखा सिंचाई विभाग द्वारा भी तैयार की जा चुकी है। तो स्पीकर सर,अगर ये बैराज बना दिये जाते हैं तो उस बैराज को बनाने से हमें कई फायदे होंगे। नम्बर एक तो यमुना नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनमें भूमिगत जल का स्तर जो कि आज 150 फुट से भी नीचे चला गया है वह ऊपर उठना शुरू हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जल स्तर ऊपर उठने से किसानों का भी फायदा होगा और बारिश के मौसम में जो यमुना नदी में बेशुमार पानी आता है उसको बैराज बनाकर लिफ्ट के मार्फत मेवात तक भेजा जा सकता है और मैं तो यहां तक कहता हूं कि सोहना के नीचे लिफ्ट लगाकर उस पानी को रेवाड़ी तक भी ले जाया जाये। क्योंकि हो सकता है कि रेवाड़ी का ध्यान आने पर इनको हमारे ईलाके का भी ध्यान आ जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत सिंचाई मंत्री जी से यह अनुरोध है कि ये यमुना नदी पर बैराज बनायें और बारिश के पानी को स्टोर करें जिससे हमारा जल स्तर तो ऊपर आयेगा ही और ये उस पानी को आगरा कैनाल और गुडगांव कैनाल में डालकर उसको लिफ्ट की मार्फत जो मेवात, हथीन और होडल के सूखे ईलाकों में ले जायें। अध्यक्ष महोदय, अगर उस पानी को नालों, रजबाहों में खड़ा भी कर देते हैं तो उससे हमारे भूमिगत वॉटर का लैवल ऊपर आ जायेगा और कम से कम हमें पीने का पानी तो उपलब्ध हो ही जायेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि बैराज बनाने से पहले और इस बारे में कुछ करने से पहले इनको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ताजेवाला हैड

से जो पानी छोड़ा जाता है उसकी कोई गेज नहीं है। What is the quantum of that water, आपका डिपार्टमैंट इसको कोई चैक नहीं करता, न उत्तर प्रदेश का डिपार्टमैंट करता है और न ही दिल्ली का करता है। वहां पर पानी को देखा जाता है और फैसला कर दिया जाता है इसमें कम से कम जहां ओखला बैराज से आगरा और गुडगांव कैनाल के लिए पानी चलता है उसको इनको क्वान्टीफाई करना चाहिए और गेज लगाना चाहिए कि इतने क्यूसिक पानी हरियाणा के लिए उसमें आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद इनको यह सुविधा भी हो जायेगी कि जब मेवात को पानी देने की जरूरत हो तो गुड़गांव कैनाल में पानी को डाल दो वह पानी मेवात में चला जायेगा और जब हमारे जिले फरीदाबाद को पानी देने की जरूरत पड़े तो आगरा कैनाल में पानी छोड़कर फरीदाबाद जिले के रजबाहों में पानी पहुंचाया जा सकता है। अगर यह भाईचारा भी काम नहीं आता है तो मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर यही हालात रहे तो हमें पानी नहीं मिलेगा और केवल हम ही सैक्रीफाईस करें यह ठीक नहीं है। इसका कोई न कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। हम भी हरियाणा के निवासी हैं, हमें भी पानी चाहिए। खेत के पानी की बात तो हमने छोड़ दी है, हम तो पीने के पानी की मॉग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह इन्टर स्टेट डिस्प्यूट है उसके लिए अगर जरूरत पड़ती है तो इस मामले को ट्रिब्यूनल को भी रैफर किया जा सकता है । जब एस०वाई०एल० का मामला ट्रिब्यूनल को रैफर हो सकता है तो यह मामला भी ट्रिब्यूनल को रैफर हो सकता है। इराडी ट्रिब्यूनल भी खाली बैठा हुआ है, आप यह मामला उसको रैफर कर दें या राज्य सरकार अगर कोई फैसला करके कोई और ट्रिब्यूनल गठित करना चाहती है तो उसको यह मामला सौंप दिया जाये। अगर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करती है तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें अधिकारिक लैवल पर शक की कोई गुंजाइश न रहे और एक व्यवस्था वहां पर कायम हो। वह व्यवस्था यह सुनिश्चित करे कि आगरा कैनाल में जो पानी आता है उसमें से वे हमारे हिस्से का पानी जरूर हमें मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे एरिया के रजबाहों की दो-दो साल तक खुदाई नहीं हो पाती है और खुदाई के बाद पहली बार जब पानी लेकर आते हैं तो उसके तुरन्त बाद रजबाहों में गाद जम जाती है। पूरे हरियाणा में सिर्फ हमारे जिले फरीदाबाद में ही कच्चे रजबाहे हैं। मेवात और फरीदाबाद जिलों में पानी आगरा कैनाल की डिस्ट्रीब्यूटरी से आता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि ये उन्हें पक्का करें। मैं इनसे यह कह रहा हूं कि जब फसल की कटाई हो जाये तो उस वक्त रजबाहों की सफाई होनी चाहिए। जिले के अधिकारियों को आदेश होने चाहिएं कि अगर समय पर रजबाहों की सफाई नहीं होगी तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से अर्ज करता हूं कि जब तक कोई उचित व्यवस्था नहीं होगी तब तक हमको पानी नहीं मिल सकता । अध्यक्ष महोदय, यू०पी० की सरकार ने क्या काम किया कि 1997 में उन्होंने एक किलोमीटर के दायरे को छोड़कर बाकी रजबाहों की सफाई की जिम्मेदारी हमें दे दी। जब खुदाई हमारा महकमा करता है तो उसका खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए, मंत्री जी को यू०पी० की सरकार से बात इस बारे में करनी चाहिए। सफाई हमें करनी है और आबियाना यू०पी० की सरकार को देना है यह ठीक नहीं है। सफाई और खुदाई का खर्च यू०पी० की सरकार को उठाना चाहिए। जो आबियाना है वह इस ऐवज में माफ होना चाहिए कि जब खुदाई ही हम कर रहे हैं तो आबियाना किस बात का ? पहले रोस्टर सिस्टम होता था 1,45,000 एकड़ जो आगरा कैनाल के कमांड एरिया में आती थी उसमें तमाम रजबाहों का रोस्टर था और उस रोस्टर में पानी छोड़ने के लिए आगरा व मथुरा में बैठे अधिकारी फैसला किया करते थे। अध्यक्ष महोदय, यू०पी० के अधिकारियों ने हमारे साथ चालाकी खेली कि खुदाई की व्यवस्था हमें

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

पकड़ा कर हमें रोस्टर से ही बाहर कर दिया। हम खुदाई तो करवा लेते थे और पानी के इंतजार में बैठे रहते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब तक कोई व्यवस्था हो, रोस्टर में हमारे तमाम पानी को डलवायें, रजवाहों को रोस्टर में डलवायें। जिस प्रकार यू०पी० के अधिकारी अपने रजवाहों को चलाते हैं उसी प्रकार हमारे रजवाहों को भी चलाते रहें, हमें इस बात में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब तक मंत्री जी स्वयं वहां जा कर कोई उचित व्यवस्था यू०पी० की सरकार के साथ मिलकर नहीं करेंगे तब तक हमारे किसानों को उचित पानी नहीं मिल सकता। इसके लिए मैंने इन्हें जितनी बातें बताई हैं अगर उन पर ये अमल नहीं करते हैं तो मैं इनसे आखरी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें और हमारे जिले के विधायकों को उस कमेटी का सदस्य बना दें। इसके इलावा गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात के विधायकों को भी उसमें शामिल कर दें। अगर इन जिलों के अतिरिक्त हरियाणा के अन्य विधायकों को भी उस कमेटी का सदस्य बना दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यह कमेटी मन्त्री जी को साथ ले कर लखनऊ, उत्तर प्रदेश जाएं और वहां के सिंचाई मन्त्री से इस बारे में बात करें। यदि वहां से ठीक जवाब आता है तो ठीक है वरना वापिस आकर कमेटी माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करें और यदि जरूरी हो तो माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां के मुख्य मन्त्री जी से बात करें। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि कैप्टन अजय सिंह यादव जी को उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करनी चाहिए। स्पीकर सर, जैसे मैंने अर्ज किया है कि किठवाड़ी वियर पर हैड वर्क्स में अगर साढ़े आठ फुट पर पानी मेनटेन कर लिया जाता है तो यू०पी० की सरकार को कोई नुकसान नहीं है उनके पानी की कोई कटौती नहीं होती लेकिन हमारा जलस्तर बढ़कर रजवाहों में पानी चलना शुरू हो जाता है जबकि यू०पी० का पानी फिर भी चलता रहता है। स्पीकर सर, पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा दुस्साहस किया कि जो किठवाड़ी हैड वर्क्स है वहां पर बिना हरियाणा सरकार से बात किये उन्होंने उस हैडवर्क्स से एक फर्लांग आगे एक और नया हैडवर्क्स बनाना शुरू कर दिया। मैं एक दिन अपने गांव गया हुआ था तो वहां पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने वहां पर काम कर रहे लोगों से पूछा कि यह क्या हो रहा है तो उन्होंने बताया कि जो पुरानी झाल है, हम देसी भाषा में झाल बोलते हैं, उसको तोड़ रहे हैं और आगे ले जाकर नयी झाल बना रहे हैं। उस लेबर को मैंने वहां पर काम करने से रोका और उनसे पूछा कि यह काम आप किस की इजाजत से कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यू०पी० के अधिकारियों ने हमें इजाजत दी है और हमारे पास इस काम का ठेका भी है। वहां पर कई गांवों के लोग इकट्ठे हुए और तब जाकर उन्होंने इस काम को रोका। फिर हमने माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस बारे में निवेदन किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री हुड्डा साहब ने उसी वक्त सिंचाई विभाग के सचिव को वहां पर भेजा। उन्होंने वहां खुद जा कर अधिकारियों को बुलाया इस बारे में यू०पी० के अधिकारियों से बात की और फिर उस हैडवर्क्स के काम को रोका गया। अगर मैं उस दिन अपने गांव नहीं जाता तो हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। अगर वे लोग हैडवर्क्स को एक फर्लांग आगे ले जाते तो हमारे वाटर लैवल का जो दायरा था वह सारा समाप्त हो जाना था इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय कैप्टन साहब का उनके अधिकारियों से बात करना बहुत जरूरी है। कोई भी रजबाहा हो या नहर में कोई तरमीम करनी हो या मुरम्मत का कोई काम करना हो अथवा वे लोग देखभाल का कोई काम करते हैं तो पहले वे हमारी स्टेट के अधिकारियों से बात जरूर करें। हमारे अधिकारियों को पता नहीं होता और वे अपने अधिकार क्षेत्र का नाजायज फायदा उठा कर मनमाने तरीके से अपने कामों को करना शुरू कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, फिर जब उनसे हमारा राजीनामा हुआ तो उन्होंने इस बात को गवारा किया कि ठीक है हम इस हैडवर्क्स को आगे नहीं ले जाते। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने हैडवर्क्स पर दो और

दरवाजे बनाए हैं। हमने उनसे पूछा कि मौजूदा हैडवर्क्स पर जो दो दरवाजे बना रहे हैं वह किस लिये बना रहे हैं तो उन्होंने हमें बहकाया, यह बात सिंचाई विभाग के अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं। इस बारे में मीटिंग में बाकायदा आधिकारिक तौर पर यह बात हुई और उन्होंने बताया क्योंकि हम उसमें ज्यादा पानी ले रहे हैं इसलिए हम दो दरवाजे और बना रहे हैं जिससे पानी ओवर फलो न करे और हम उस पानी को आगे ले जा सकें। अध्यक्ष महोदय, उनकी नीयत यह थी कि दो दरवाजे बना कर वे जो पानी रोकते उसको वे आगे ले जाने में कामयाब हो जाते। हमारे जो हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के सचिव वहां पर मौजूद थे उनकी मौजूदगी में फैसला हुआ कि दो नये दर्रे बनाने से जो फालतू पानी आना था उसका उनके अन्दर पानी कम आना शुरू हो गया है, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। चार हजार क्यूसिक पानी आगरा कैनाल तक जाने के जो दो दर्रे कम थे उन्होंने दो दरवाजे और बना दिये। कैप्टन साहब, वहां पर मोटे-मोटे फाटक लगा दिए हैं और वे उनको नीचे ही रखते हैं ताकि आगे पानी न जाए। अध्यक्ष महोदय, बल्कि वहां से वे हमारा पानी भी ले जाते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने वायदा किया था उसको वे पूरा करें। जो फालतू पानी हमें आना था उसको वे डिलीवर करें। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी सरकार उनसे बातचीत करे। अगर हमारी सरकार बात नहीं करती है तो वे हमारे हिस्से का पानी नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां पहले हथीन के ऊपर से पानी जाता था, वह पानी होडल को भी पार कर जाता था, यहां तक कि हसनपुर तक वह पानी जाया करता था। अब वह पानी मुश्किल से दो फर्लांग तक ही जाता है। अब वहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यह अन्याय आपके जैसे और दूसरे अच्छे इन्सानों के होते हुए कैसे हो सकता है, जो सरकार के अंग हैं। हमने हमेशा अपना यह दुखड़ा पिछली सरकारों के आगे रोया है और सभी ने हमारे से वायदा भी किया था। सिंचाई मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आज यह मौका है कि उन सभी वायदों को पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि ये इस मामले को देखें। वहां पर जो कारखाने वाले गंदा पानी उसमें डाल रहे हैं उसकी वजह से हमारे यहां लोगों में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बहन जी से यह कहना चाहता हूं कि ये वहां पर स्वास्थ्य निदेशक को बुलवाकर चैक करवा लें। वहां पर कैंसर, टी०बी०, पीलिया, अंधापन, दांत की बीमारियां और पेट की बीमारियां वहां पर बच्चों और महिलाओं में फैल रही है कि नहीं। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो धरती का पानी है उसमें फलोराईड बहुत ज्यादा मात्रा में है। फलोराईड की वजह से दांतों की बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। अध्यक्ष महोदय, जब तक सिंचाई मंत्री जी और इनके विभाग के लोग इस गन्दे पानी को नहीं रोकेंगे तब तक वहां पर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी चाहिए कि इनका विभाग वहां पर स्वास्थ्य मेले लगाएं और वहां पर हमारी बहनों और बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाएं। यह जो लोग चाहे वे गवर्नमैंट के हों या प्राईवेट हों, अगर वे नहरों में गन्दा पानी मिलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, शास्त्रों में लिखा है कि हमारा देश साधु और संतों का देश रहा है। इस देश में विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लिए लड़ाई लड़ी है। हमारी मर्यादाएं और धर्म यह कहता है कि स्वच्छ पानी में मल-मूत्र और गन्दगी नहीं मिलानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इतिहास की घटनाओं को यहां पर रखूंगा तो आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि स्वच्छ पानी में गन्दगी, मलमूत्र मिलाने की वजह से बड़े-बड़े युद्ध हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, महाभारत में एक लेख में यह जिक्र आता है कि भीम का जो पोता था उसका नाम बरबरीक था। वह अपने माँ बाप से बिछुड़ गया था भीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बरबरीक कौन है। अध्यक्ष महोदय, बरबरीक की समाधि भी आपके गांव में बनी हुई है। मैं बरबरीक का जिक्र इसलिए कर रहा

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

हूं कि जब बरब्रीक वहां अपने तालाब की सुरक्षा कर रहा था तो अचानक भीम वहां आ गए और भीम ने आकर उस तलाब में मुंह हाथ धोने शुरू कर दिए और स्पीकर साहब, जैसा आदमी करता है कि कुछ पानी उल्टा वह तालाब में डाल देता है तो वैसा ही भीम ने भी किया। बरब्रीक ने भीम को ऐसा करने से रोका और कहा कि आप यह पानी क्यों गंदा कर रहे हैं इस पर भीम ने कहा कि तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, मैं चाहे जो करूं। बरब्रीक ने कहा कि यह हमारा धर्म है कि हम पानी को स्वच्छ रखें लेकिन आपने यह पानी गंदा किया है इसलिए आपको इसके लिए सजा मिलेगी। इसके बाद भीम को गुस्सा आ गया और उसने बरब्रीक से कहा कि तूं मुझे कैसे रोक सकता है ? स्पीकर सर, शास्त्र यह कहते हैं कि बरब्रीक ने अपने सगे दादा से बड़ा भारी युद्ध किया। राजस्थान में खाटूश्याम में जो बरब्रीक का मंदिर है वहां पर उनकी कथा लिखी हुई है। वहां पर एक किताब में यह बात छपी हुई है। कैप्टन साहब, आप उसको पढ़ लें। असली बात यह है कि बरब्रीक को भी पानी में गन्द मिलाने के लिए अपने सगे दादा से युद्ध करना पड़ा था। जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण भगवान ने देखा कि बरब्रीक तो अपने सगे दादा की पिटाई करने लग रहा है तब उन्होंने बरब्रीक के दादा को बताया कि वह कौन है। जब बरब्रीक को यह बात पता चली तो वह मरने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वह यह सोचने लगा कि उसने अपने दादा की बेइज्जती की है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि यह बात किताब में लिखी हुई है। अगर किसी भाई को यकीन नहीं है तो खाटूश्याम मंदिर में जाकर इसकी कथा को पढ़ सकता है। मैं यह बात कहना नहीं चाहता था लेकिन कैप्टन साहब को मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें तो अपने दादाओं से भी लड़ने की जरूरत नहीं है हमें तो उन बदमाशों से लड़ने की जरूरत है जो वहां पर इस पानी को गंदा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, क्या आपकी बात पूरी हो गयी है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : नहीं सर, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। सर, शास्त्र गवाह हैं, इतिहास गवाह है, हमारी मर्यादाएं गवाह हैं कि पीने के पानी को दूषित करने या तलाबों के पानी को दूषित करने पर युद्ध हुआ करते थे। इसी बात पर गांव के गांव, बस्ती की बस्ती और बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएं मिट जाया करती थीं। सर, उन दिनों तो लिखित में संविधान भी नहीं था कि पानी को दूषित करने पर क्या सजा मिलेगी जबकि आज तो इस बारे में कानून भी हैं। स्पीकर सर, यमुना के पानी को दूषित करने के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है इसलिए अब सरकार को कार्यवाही करने में दिक्कत क्या है। स्पीकर साहब, हमें उस समय तो कोई शिकायत नहीं थी जब ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये तो यू०पी० में राजनीति करने के लिए आगरा कैनाल के ऊपर से या यमुना के ऊपर से जाया करते थे और वहां पर सारी बातें बताकर वापस आया करते थे लेकिन इनको पानी की गंदगी दिखाई नहीं देती थी। स्पीकर सर, जिस आदमी की जैसी फितरत होती है वह वैसी ही सोचता है। ओम प्रकाश चौटाला के राज में हम पानी की कमी की मार झेलते रहे लेकिन हमें पानी नहीं मिला। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, प्लीज आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान) अब अचानक आप लोगों को क्या चाबी भर गई। अभी तो चौटाला जी आकर बैठे ही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं। श्री कर्ण सिंह दलाल ने इस मामले में मेरा जिक्र किया। लेकिन मैं इन्हें याद कराऊं कि 1996 में जब चौधरी बंसी लाल के मुख्यमंत्रित्व काल में श्री कर्ण सिंह दलाल स्वयं मंत्री थे और बड़े बलंगबांग दावे किया करते थे

कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आगरा कैनाल का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे। अब इनको आगरा कैनाल की गंदगी दिखाई दे रही है। पहले भी ये साढ़े तीन साल मन्त्री रहे थे लेकिन उस वक्त भी ये कुछ नहीं कर पाए थे। यह दो स्टेट्स का मामला है। यहां डिसकशन करने से यह हल होने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि इनको पानी की गंदगी से ऐलर्जी नहीं है बल्कि मेरे से ऐलर्जी है। बोलते हुए इनको थोड़ा सा सोचना भी चाहिए, कुछ संकोच भी करना चाहिए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने जो बात कही है बिल्कुल दुरूस्त बात कही है। मैं इनकी इस बात से इंकार नहीं करता हूं। (विघ्न) हमने इस बारे में वायदा किया था लेकिन उस वायदे को पूरी तरह से पूरा न करके कुछ ऐडमिनिस्ट्रेटिवली उसकी खुदाई और सफाई हरियाणा सरकार ने अपने हाथों में ली थी और उस व्यवस्था से हमारे इलाके में पानी उस समय टेल तक जाता था। चौटाला जी जब कभी हमारे इलाके में जाएंगे तो देखेंगे फिर भी मैं इनको बता देता हूं। चौधरी हर्ष कुमार जी उस समय मिनिस्टर थे, मैं उनकी तारीफ करता हूं इनके मंत्रित्व काल में पूरा पानी आया। चौटाला जी ने जो बात कही है दरअसल चौटाला जी की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि ये नदियों में, नहरों में पानी नहीं लाना चाहते ये तो लोगों की आंखों में पानी लाना चाहते हैं। एस०वाई०एल० की ये राजनीति करते हैं लेकिन एस०वाई०एल० से भी इनको पानी नहीं चाहिए बल्कि वोट चाहिए। इनको मेरी बात का बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि इतने लंबे अर्से तक ये मुख्य मंत्री रहे ये अक्सर यू०पी० जाते थे और वापसी में वहां से निकलते थे उन दिनों ये बड़ा भयंकर सपना संजो रहे थे।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आपकी मॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन पर जो स्पीच है उसी पर बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : ठीक है सर। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन यह है कि हमारे जो इरीगेशन मिनिस्टर हैं ये सदन की एक कमेटी बनाने पर विचार करें। सदन की कमेटी जब बनेगी तो पानी के बंटवारे के बारे में यू०पी० के अधिकारियों से जो बातचीत होगी उनके बारे में हम कोई न कोई संकल्प ले सकते हैं और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हों, चाहे वे सिंचाई विभाग के हैं या पर्यावरण विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने इस मामले में कोताही बरती है । पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से तो हम इस बारे में ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे चौटाला जी के शासन काल के समय के लगे हुए हैं। इनके समय में जिन ई०ओज० की नियुक्ति हुई उनमें तमाम ऐसे नाकाबिल अधिकारी हैं जैसे कि जे०बी०टी० की भर्ती हुई थी। पर्यावरण विभाग जैसे महकमें में अयोग्य लोगों को बड़े-बड़े अधिकारी बनाएंगे तो गंदगी का इलाज कैसे कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन विभागों में पिछले साढ़े पांच सालों के कार्यकाल के दौरान के अयोग्य अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग में जो भर्तियां हुई उसके साथ ही हैल्थ डिपार्टमैंट में भी जो भर्तियां हुई मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूं। हैल्थ डिपार्टमैंट जब तक सजग नहीं होगा सब तक काम नहीं चलेगा। जो अधिकारी वहां के लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मेहरबानी करके उन अधिकारियों की भी निगरानी अवश्य की जाए क्योंकि उनमें अयोग्यता है, योग्यता नहीं है। यह आग्रह इसलिए है कि मैं नहीं चाहता कि फरीदाबाद जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है वह इस तरह की मार को झेले। यहाँ इस तरह से लोगों को जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा काम इस पानी के लिए कैप्टन अजय सिंह यादव कर सकते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री कर्ण सिंह दलाल जी से यह कहना चाहूंगा कि वे किसी माननीय सदस्य पर पर्सनल आक्षेप न करें क्योंकि इस बारे में हमारी मीटिंग में भी यह बात हुई थी।

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको इस बारे में कह दिया है कि come to the point. इन्दौरा साहब आप कह रहे हैं कि इस बारे में मीटिंग में बात हुई थी। मीटिंग में तो और भी कई बातें हुई थीं। मीटिंग में तो यह बात भी हुई थी कि जो यहां पर फैसला होगा उसको फोलो किया जायेगा। आप उस मीटिंग के फैसले को फोलो तो नहीं कर रहे हो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। कर्ण सिंह दलाल अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि इन्होंने कितने दल-बदल करके कितनों को नुकसान पहुंचाया है और कहां-कहां उन्होंने कितनों की पीठ में छुरा घौंपा है और क्या क्या किया है। इनको क्या यह अच्छा नहीं लगता कि सदन की गरिमा बनाने के लिए जरूरी है कि यह गैर-सरकारी प्रस्ताव सदन में आया है इस पर वे सरकार को अच्छे सुझाव दें। किसी माननीय सदस्य के बारे में ये टीकाटिप्पणी न करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : यहां तो वहीं चल रहा है। यह तो आपने मीटिंग का जिक्र कर दिया। मीटिंग में तो कई फैसले हुए थे मीटिंग में यह भी बात हुई थी कि आपके मैम्बर्ज ही आपकी बात नहीं मानते। उस समय यह भी बात आई थी कि आपकी पार्टी के सदस्य आपकी बात को मानेंगे या नहीं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मीटिंग में यह भी फैसला हुआ था कि सरकार बेशर्मी से हमारे विधायकों को सदन से बाहर निकाल रही है तो जो सदस्य निकाले हैं उसके बारे में सरकार माफी मांगे। (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय इन्दौरा साहब ने असत्य बोला है। मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि इनैलो के विधायक सदन में माफी मांगेंगे। परन्तु इन्दौरा साहब ने फिर भी दरियादिली दिखाई कि ये मीटिंग में फैसले को मानकर आये परन्तु यहां आने के बाद चौटाला जी ने आँखे दिखाई और ये यहां सदन में डर गये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि सरकार माफी मांगेगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इन्दौरा जी, आपने यह कहा था कि हम खेद प्रकट करेंगे। फिर भी आपने दरियादिली दिखाई है कि आप यहां पर आये। मुझे नहीं लगता कि यह विवाद का विषय है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : हम किस बात का खेद प्रकट करेंगे, विवाद तो आप फैला रहे हैं।

प्रो० छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर सर, आपने वजह फरमाया। चौटाला साहब के सदन में आने से पहले तो सदन में बिल्कुल शांतिपूर्ण काम चल रहा था। कर्णसिंह दलाल जी अपनी बात कह रहे थे और अपोजिशन के सदस्य सुन रहे थे। आपने किसी बात पर प्वायंट आऊट किया तो इनको अब कौन सी चाबी भर गई और फिर चौटाला साहब ने अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन में अपना जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष : आपका प्वायंट ऑफ आर्डर क्या है ?

प्रो० छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर यह है कि लोगों का चौटाला साहब से मोह भंग हो गया है। चौटाला साहब के सदन में आते ही सभी विधायकों को गुदगुदी सी होने लगती

है और उनका कुछ न कुछ कहने का दिल करता है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उस पर विपक्ष के साथियों के अन्दर बेचैनी पैदा होती है कि हमें ऐसा क्यों कहा गया है। स्पीकर सर, इश्यू चाहे कोई भी हो, मुद्दा कोई भी हो हाउस में, अगर चर्चा होती तो पुराने हालात याद आ जाते हैं। आज इन विपक्ष के साथियों को चैन से अपनी कारगुजारी के बारे में सुनना चाहिए ताकि हरियाणा प्रान्त के बारे में सारा माहौल क्लीयर हो। यदि श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने कोई इन्सटान्स दिया है कि यू०पी० के अन्दर श्री चौटाला जी अपनी राजनीतिक गर्मी में वहां पैर जमाने के लिए जाते थे। उनको बाहर जाने से पहले अपने स्टेट के हकों का भी ध्यान रखना चाहिए था। स्पीकर सर, मैं विपक्ष के साथियों से यह गुजारिश करूंगा कि वे चाबी न भरें और हाउस को चलने दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, माननीय इन्दौरा जी ने अपनी बात कही है और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। मैं कोई उल-जलूल इल्जाम नहीं लगा रहा हूं ये बातें सच पर आधारित हैं कि नौकरियों के बारे में क्या हुआ यह मैं नहीं हाई कोर्ट और सी०बी०आई० कह रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपनी स्पीच कन्टीन्यू करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : श्री इन्दौरा जी ने अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर जो जवाब दिया है उस पर मैं कहता हूं कि छाज तो बोले छलनी भी बोले जिसमें हजारों छेद हैं , ये अपने नेता से पूछें कि उन्होंने कितनी पार्टियां बदली हैं कभी जनता दल में तो कभी समाजवादी पार्टी में तो कभी किसी और पार्टी में यह रिकार्ड की बात है आप इन पार्टियों के नाम निकलवा कर देखें कि इन्होंने कितने दल-बदल किए हैं (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय कर्ण सिंह दलाल जी अपनी बात कह रहे हैं। When a member rose on a personal explanation, it is our duty कि सभी माननीय सदस्य पहले उनकी बात सुनें और अगर कोई विरोध है तो उसके बारे में बाद में अपनी बात कह सकते हैं। ये कम से कम उनकी बात सुनने की हिम्मत तो रखें। ये कर्ण सिंह दलाल से घबरा क्यों जाते हैं और उनसे इतना डरते क्यों हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने हैल्थ विभाग को सावधान करने की चिंता जाहिर की, उनकी चिंता सही है। हर जन प्रतिनिधि को चाहिए कि अपने हल्के के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करे। मैं उनको विश्वास दिलाती हूं की स्पैशल टीम कल से वहां पर लगा देंगें और यदि कहेंगें तो स्वास्थ्य का एक बड़ा शिविर वहां लगा देंगें ताकि चैक हो जाए कि किसको क्या बीमारी है। जहां तक गंदे पानी की बात है तो यह काम दूसरे विभाग का है वह ही इस बारे में देखें कि पीने के पानी की स्वच्छता जरूर हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, इन्दौरा साहब को बुरा लगेगा, ये घर जाकर देख लें और चौटाला जी से पूछ लें कि इन्होंने कितने दल बदले हैं और कितनी पार्टियां बदली हैं,ये कभी चन्द्र शेखर की पार्टी में रहे हैं, कभी जनता दल में रहे हैं और कभी लोकदल में रहे हैं और अब इनैलो में हैं और आगे पता नहीं क्या गारंटी है कि कौन सा दल बनाएंगें। अब इंटरनैशनल लोकदल बना सकते हैं इनका कोई पता थोड़े है क्योंकि आजकल राजस्थान में जोर अजमाइश हो रही है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरी एक और पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। ये जो दल बदल के लिए कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री हमारी मेहरबानी से बने थे, ये लोगों की मेहरबानी से मुख्यमंत्री

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

नहीं बने थे इसलिए इनको तो मेरा अहसान मानना ही चाहिए। मुझे तो अपनी भूल का सारी उम्र पछतावा रहेगा वरना तो ये मसूर और मूंग की दाल इनको कौन मुख्यमंत्री बनाएगा। अब कोई इनको मुख्यमंत्री बनाकर दिखा दे। (शोर एवं व्यवधान) अब इनकी तो यह हालत है कि ये तो लीडर ऑफ ओपीजशन भी नहीं बन सके। हमने तो भूल से इनको मुख्यमंत्री बना दिया था और उसका खामियाजा हरियाणा के लोगों ने भुगता, हम लोगों ने भुगता, अपनी जान से भुगता, परिवार की कुर्बानी देकर भगता, इलाके की कुर्बानी देकर भुगता। इन्दौरा जी, अगर पूरे तथ्य जानोगे तो आंसू निकल आएंगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हर्ष कुमार : आज एक अच्छी बात सदन में हुई है। मुझे कहना कुछ और भी था लेकिन दलाल साहब ने टोपिक बदल लिया। दलाल साहब ने और इनकी जो मंडली है इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया इसमें कोई दो राय नहीं और इस बात को पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है। उसका दंड इन्होंने भुगता, इनके सारे साथियों ने भी भुगता। आज तक ये प्रायश्चित कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी भी मेहरबानी करके, अपनी करतूतों के लिए या तो इस सदन में प्रायश्चित करें या अपना दंड निर्धारित करें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, महाभारत में भी अहसान का बदला अहसान से चुकाया गया है, रामचन्द्र जी के जमाने में भी अहसान का बदला अहसान से चुकाया गया है। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा की जनता की बात छोड़िए इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया और उसका अहसान इन्होंने कभी नहीं माना, अहसानफरामोशी में इन्होंने चुन-चुन कर बदले लिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। यह गलत बात है कि लोक दल के साथी एक माननीय सदस्य को अपनी बात नहीं कहने दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

डा० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, इनसे मेरा अनुरोध है कि ये मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seats. Nothing is to be recorded. (Noise & interruption)

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं मेवात की भाषा में एक कहावत सुनाता हूं। (शोर एवं व्यवधान) एक मेवनी के दो बेटियां थी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। मैं न चौटाला साहब की बात करूंगा, न दलाल साहब की बात करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ईश्वर सिंह धलाका : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। विपक्ष के साथी सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। आप इनको बिठायें और व्यवस्था बनायें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है कि लोक दल के साथियों ने सोचा हुआ है कि जब भी चौटाला जी सदन में आयेंगे ये सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अरजन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। ये लोग भाई हर्ष कुमार की बात क्यों नहीं सुनना चाहते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह सढौरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, * * *

डॉ० सुशील इंदौरा : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Please take your seats. Nothing is to be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, लोक दल के साथियों को तहजीब और सदन में बिहेव करने का तरीका सीखाओ। (शोर एवं व्यवधान) ये किसी भी सम्मानित सदस्य को बात नहीं करने दे रहे। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इनेलो के माननीय सदस्यों द्वारा यह सब इस सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के लिए ही किया जा रहा है। यह इस सदन की कार्यवाही को चलने देने का कोई तरीका नहीं है। इन्होंने नीतिगत निर्णय लिया हुआ है और आदरणीय चौटाला जी के सदन में आते ही ये यह सब शुरू कर देते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इसकी कोई व्यवस्था की जाये। (शोर एवं व्यवधान।)

Mr. Speaker : Dr. Indora, I allow you to speak. आप क्या कहना चाहते हैं ?

डॉ० सुशील इंदौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसा करके एक सोची समझी साजिश के तहत सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं माननीय साध्वी इंदौरा जी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वे इस सदन की गरिमा की चिंता न ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इस सदन की गरिमा को अगर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा रही है तो वह लोकदल के साथियों द्वारा ही पहुंचाई जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Noises and interruptions.) Mr. Harsh Kumar Ji, kindly don't go for personal aspersions. What do you want to say ? Please come to the point.

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने तो यह बात केवल इसलिए कही थी कि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में मैं भी शामिल था और दुख मुझे भी हुआ होगा। जिस प्रकार से उस सरकार को तोड़ा गया था उस बारे में माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने जिक्र कर दिया है। उसमें चौटाला साहब का नाम आया तो उन्होंने खड़े होकर अपना जवाब दे दिया। उसी तरह से मैं भी इसमें जुड़ा हुआ था। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जो आपका लिखा हुआ है मैं उसके अनुसार ही बोलता हूं न मैं गलत बोलता हूं और न ही गलत सुनता हूं और अगर मैं गलत बोलता हूं तो मुझे भी अधिकार है कि मैं उसकी क्षमा याचना कर लूं। मैंने कौन सी गलत बात कह दी चौटाला साहब से । हम उनका आदर करते हैं वे बुजुर्ग है, जिम्मेवार है और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस प्रकार पहले समय में कहा जाता था कि तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। तपस्या से राज मिलता है और राज में अगर पाप हो जायें तो फिर नरक मिलता है लेकिन अगर हम नरक से बचना चाहते हैं तो हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस देश में ऐसे-ऐसे ऋषि हुए हैं जिनका घड़ा पाप से भर गया लेकिन बाद में उसका प्रायश्चित करके वे महर्षि भी कहलाये। आज मैं चौटाला साहब को कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। एक महिला की दो लड़कियां थी।

श्री ईश्वर सिंह पलाका : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि जो ऋषि अपने पाप का प्रायश्चित करके महर्षि कहलाये क्या ये उनके नाम भी सदन में बता सकते हैं।

श्री हर्ष कुमार : स्पीकर सर, अगर किसी ने इस भारतवर्ष का इतिहास पढ़ा है तो उसे इस देश में हुए सभी महान ऋषि-महर्षियों का पता होगा। स्पीकर सर, मैं बता रहा था कि एक महिला के दो बेटियां थी उनमें से एक का नाम था परेशानी और दूसरी का नाम था फिजूली। जब परेशानी मर गई तो उसकी माँ रो रही थी। उस औरत की एक सहेली आ कर कहने लगी कि बहन क्यों रो रही हो। वह बोली कि मेरी परेशानी मर गई इसलिए रो रही हूँ। उसकी सहेली बोली कि तेरी फिजूली तो अभी जिन्दा है, फिर तू क्यों रो रही है। अगर तेरी फिजूली जिन्दा रहेगी तो परेशानी तो अपने आप पैदा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपनी बात पूरी करें then move the motion.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ । Before I move the motion, I want to draw his attention कि इस मामले में आगरा कैनाल सिस्टम में दो कमियाँ रह गई हैं जिन पर सिंचाई मंत्री जी को गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली को पानी देने के लिए यमुना नदी में से पानी दिया गया है। यमुना नदी में से जो पानी दिल्ली को दिया गया है वह मेवात और फरीदाबाद के इलाके का पानी गया है। पिछली चौटाला सरकार ऐसे ही चलती रही उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। यह तो अच्छा हुआ कि आपने कमेटी बना दी और मंत्री जी देखभाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा जो पानी आगरा कैनाल में कटा है उसकी भरपाई मंत्री जी कहाँ से करेंगे। दूसरी बात गुड़गाँव के लिए जो पीने के पानी की नहर बनाई जायेगी उसमें भी यमुना का पानी जायेगा और वह पानी भी हमारे जिले का ही

कटैगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी आगरा कैनाल के अधिकारियों से बातचीत करें। इसमें जो आगरा कैनाल में हमें हरियाणा का पानी मिलता है और जिस पानी में कटौती हुई है, चाहे वह किसी कोर्ट के आदेश से हुई, चाहे किसी प्रशासनिक आदेश से हुई वह नहीं होनी चाहिए। गुड़गांव के भाईयों के लिए पीने का पानी जा रहा है हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उनको भी पानी मिलना चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो पानी दिल्ली को जा रहा है, इसके इलावा गुड़गांव में एन०सी०आर० प्लैनल के लिए भी पानी जाना है, यह सारा पानी हमारे मेवात और फरीदाबाद के पानी में से ही तो जाता है। हमारे पानी में किसी प्रकार की कटौती न हो, क्या मंत्री जी हमें इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे ? इन बातों के साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने एक ऐसे अति महत्वपूर्ण विषय के मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस चर्चा के बाद दिल्ली, फरीदाबाद और मेवात में आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल से जुड़े हुए पानी के मुद्दे, चाहे वे गंदगी के मुद्दे हैं, चाहे पानी की भरपाई के मुद्दे हैं, चाहे मकैनिजम बनाने का मुद्दा है ये सदन के समक्ष रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमारा मकैनिजम ही बनवा दें। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारा कोई विवाद हो। हम उनसे किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहते हैं । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी अगर 12.00 बजे कोई प्रयास करेंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारे जिला फरीदाबाद में चाहे कोई भी राजनैतिक दल हो, किसी भी राजनैतिक विचारधारा से जुड़े हुए हमारे दूसरे भाई हों, हम सब उनका साथ देंगें। मन्त्री जी आगरा कैनाल के ऊपर अगर कोई व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं, यमुना के ऊपर बैराज बनाने की कोशिश करते हैं, गुड़गांव कैनाल का पानी ला कर हमारे लोगों को पानी देने की कोई बात करते हैं तो हम सभी धर्मों के लोग, अलग-अलग विचारधाराओं के होते हुए भी सभी मिलकर उनका साथ देंगे। अध्यक्ष महोदय, बहन करतार देवी जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। गन्दे पानी की वजह से फरीदाबाद में बीमारियां बढ़ रही हैं उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि इन बीमारियों को हटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरा प्रयास करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से भी निवेदन करता हूं कि वे भी अपने जन-स्वास्थ्य विभाग को आदेश देने की कृपा करें कि वे तमाम जलस्रोत जहां से जिला फरीदाबाद को पीने का पानी मिल रहा है उस पानी की गुणवत्ता को ठीक करें, उसको चैक करें और उस पीने के पानी में अगर कोई दवाई मिलानी पड़े तो उसके बारे में भी वे प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, एक आखिरी निवेदन मैं सिंचाई मन्त्री, कैप्टन अजय सिंह यादव जी से करना चाहूंगा। वे कह रहे थे कि मान लें कि अगर यह व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल पाती तो आखिरी सुझाव यह है कि आप सब के प्रयास से माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो हांसी बुटाना लिंक कैनाल बनाने का जो संकल्प लिया है और नहर बनती हुई आ रही है इससे फायदा उठाएं। यह प्रदेश की खुशकिस्मती है कि विरोधियों के ऐसे मन्सूबे होते हुए भी सी०डब्ल्यू०सी० ने जो रिपोर्ट दी है उससे ऐसा आभास हो रहा है कि सरकार के उस संकल्प को सफलता मिलने जा रही है। जब वह पानी कैप्टन अजय सिंह यादव जी हांसी-बुटाना लिंक कैनाल की मार्फत रिवाड़ी जिले में लेकर आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वह पानी साफ और अच्छा होगा और पीने योग्य होगा। स्पीकर सर, फरीदाबाद, मेवात और गुड़गांव के लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए अगर कोई और व्यवस्था न भी बनती हो तो कम से कम उस नहर के पानी को सोहना के पहाड़ से नीचे गिरा कर और वहां से कैनाल बनाकर आप हमारे दोनों तीनों जिलों में पीने का पानी उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे इन जिलों पर इससे बड़ा और कोई उपकार नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उदय भान (हसनपुर) (एस०सी०) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने आगरा कैनाल के ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से सम्बन्धित जो प्रस्ताव किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने आगरा कैनाल से सम्बन्धित सभी बातों को सदन के सामने रखा है और अपने कुछ सुझाव भी रखे हैं। उन्हीं सुझावों में मैं अपने कुछ सुझाव और जोड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात जिले पुराने गुड़गांव के जिले हैं और वहां के किसान केवलमात्र उस आगरा कैनाल के ऊपर अपनी सिंचाई और पानी की व्यवस्था के लिए निर्भर करते हैं। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि इस कैनाल का ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उत्तर प्रदेश सरकार के पास होने के कारण हमारे जिले पानी के मामले में बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मेरे साथी ने बताया है कि हमारे इन जिलों का जो कमाण्ड एरिया पहले करीब डेढ़ लाख एकड़ एरिया को सिंचित करता था लेकिन आज क्या परिस्थितियां बन गई हैं कि दिन प्रतिदिन वह कमाण्ड एरिया घटता जा रहा है। हमें जो पानी पहले मिला करता था उसमें बढ़ोतरी होने की बजाय हर साल और हर महीने उसमें कटौती होती जा रही है। मैं यह कह सकता हूं कि पिछले 30 वर्ष से जो आगरा कैनाल के रजवाहे हैं, चाहे हसनपुर रजवाहा है, चाहे होडल रजवाहा है, चाहे हथीन रजवाहा है पिछले 30 साल में केवल एक सीजन को छोड़कर कभी टेल तक पानी नहीं पहुंचा। जिसका जिक्र माननीय दलाल साहब ने भी किया है। श्री हर्ष कुमार जब सिंचाई मन्त्री थे तब पता नहीं कैसे वहां के लिए पानी की व्यवस्था हुई थी। केवल मात्र एक सीजन को छोड़ कर पिछले 30 साल में कभी भी पानी टेल तक नहीं पहुंचा। टेल की बात तो छोड़ दीजिए मध्य तक भी कभी पानी नहीं पहुंचा। आज इस व्यवस्था के कारण हमें चौतरफा मार पड़ रही है। न तो हमें पानी मिल रहा है और न ही आबियाने से राहत मिल रही है। हमारे किसानों को आबियाना भी देना पड़ रहा है और पानी भी नहीं मिल रहा। पूरे हरियाणा प्रदेश में सारी नहरें, सारे रजवाहे, सारी माईनर्ज पक्की बनी हैं लेकिन फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात में सभी की सभी माईनर्ज कच्ची हैं जिसकी वजह से पानी की चोरी भी होती है और हमें पूरा पानी मिलता भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आगरा कैनाल से सम्बन्धित निमवारी हैड से चौधरी बंसी लाल जी के टाईम में निर्णय लिया गया था कि एक किलोमीटर को छोड़कर बाकी की सफाई हमारी हरियाणा प्रदेश की सरकार करे। यह तो ठीक है कि एक किलोमीटर के बाद कुछ सफाई तो सरकार करवाती है लेकिन जो एक किलोमीटर का हिस्सा है उसकी सफाई कोई नहीं करवाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार का उसमें कोई भी इन्ट्रस्ट इन्वौलव नहीं है। जब हम उनके लोगों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है इसलिए हम इसकी सफाई नहीं करवा सकते हैं। स्पीकर सर, मैं होडल और हसनपुर की बात कर रहा हूं। वहां पर इतनी गाद भर गई है कि उसकी वजह से आखिर तक पानी नहीं पहुंच पाता है। स्पीकर सर, हमारी जो नहरें हैं, रजवाहें हैं, जिनकी कपैस्टी पहले 700 क्यूसिक होती थी और जिसमें हमेशा 500 से 550 क्यूसिक पानी चलता था वहां पर 150-200 क्यूसिक पानी ही चलता है। कभी -कभी तो इसमें 50-60 क्यूसिक पानी ही रह जाता है। स्पीकर सर, उसकी वजह से हमारे जिले का किसान आज पीड़ित है और पानी की वजह से गांव-गांव में झगड़े होने की नौबत रहती है। वहां पर हमेशा कानून व्यवस्था का मामला खड़ा रहता है। वहां पर शुरू के 5-10 गांवों में तो पानी पहुंच जाता है लेकिन आखिर के किसी भी गांव में पानी नहीं पहुंचता है। इस वजह से इसमें एक बड़ी भारी दिक्कत महसूस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो एक किलोमीटर का हिस्सा छोड़ा गया है उसके बारे में हमारी सरकार या मुख्यमंत्री जी यू०पी० की सरकार से बात करें या कोई कमेटी गठित करके सिंचाई मंत्री उनसे

बात करें। मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि वह जो एक किलोमीटर का हिस्सा है उसका भी कंट्रोल वे हरियाणा को दे दें। अगर वहां पर सही तरीके से सफाई हो जाए जिससे वहां पर अपने हिस्से का पूरा पानी मिल जाए तो इससे हमारे पानी की प्रोब्लम काफी हद तक हल हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल से हमें जो पानी मिल रहा है केवल कहने को ही उस पानी में हमारा हिस्सा 52 प्रतिशत है। 30 प्रतिशत पानी यू०पी० चैनल से और 22 प्रतिशत पानी का हिस्सा गुड़गांव फीडर से आता है। अध्यक्ष महोदय, यह कहने को 52 प्रतिशत है, असल में तो 22 या 20 प्रतिशत से ज्यादा पानी हमें उसमें नहीं मिल रहा है। वहां पर जो पानी का आऊटलैट है उसमें पानी ही नहीं जा पाता है जिसकी वजह से वहां पर पानी की बड़ी भारी दिक्कत आ रही है हमारे हिस्से का जो आगरा कैनाल में पानी है वह हमें नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ जो मुद्दा इस सदन में उठाया गया है इस बारे में बड़ी गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि डब्ल्यू०जे०सी० के माध्यम से खुबरू हैड से होते हुए दिल्ली सब-ब्रांच आ रही है। उसमें पहले 500-500 क्यूसिक पानी आता था। हैदरपुर ट्रीटमैंट प्लांट पर हम दिल्ली सरकार को 200 क्यूसिक पीने का पानी देते थे और 200 क्यूसिक पानी वजीराबाद हैड पर भी देते थे। अध्यक्ष महोदय, 1996 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी वजह से हमारे पूरे का पूरा एरिया बर्बाद हो गया है। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात को जो पानी मिलता था आज वह भी दिल्ली को दिया जा रहा है। वहां पर जो 200-200 क्यूसिक पानी दिया जाता था, उसकी ऐवज में पैसे लिए जाते थे। लेकिन आज उनको 1200,1300 और 1400 क्यूसिक पानी मुफ्त दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें जो पानी मिलता था वह सारे का सारा दिल्ली को जा रहा है और आज हमें एक तौसा पानी भी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि यह जो रिचार्ज का पानी आता है इस बारे में हमारी सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का जो सारा सीवर का गन्दा पानी, फैक्टरियों का कैमिकल वाला गन्दा पानी और दिल्ली के 22 गन्दे नाले, यमुना के अन्दर पड़ रहे हैं। उनमें से केवल 2 ही नालों पर ट्रीटमैंट प्लांट लगे हुए हैं और वे भी खराब पड़े हैं। हमारी सरकार ने दिल्ली सरकार पर कभी यह दबाव नहीं बनाया है कि यमुना में जो भी पानी आए, वह ट्रीट होकर पानी आए। स्पीकर साहब, इस समय अनट्रीटिड पानी वहां आता है जिसके कारण हमें बहुत ही ज्यादा दुर्गन्ध वाला पानी मिलता है। स्पीकर सर, जो थोड़ा बहुत पानी हमें मिलता है वह बहुत दूषित होता है, जिसकी वजह से हमारे जिले में बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। कर्ण सिंह दलाल जी ने ठीक कहा है मैं उनकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस दूषित पानी की वजह से हमारे जिले में चाहे हड्डी की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो या चाहे दूसरी अन्य बीमारियां हों, फैल रही हैं। पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और वहां के पानी में बदबू भी बहुत होती है। वहां पर गंदे पानी की वजह से कोई आदमी पानी के नजदीक खड़ा नहीं हो सकता। स्पीकर सर, जो पीने के लिए पानी वहां इस्तेमाल किया जाता है उसमें इतनी दुर्गन्ध होती है कि आप उसके पास खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह से पानी हमारे यहां पर सिंचाई के लिए भी आ रहा है लेकिन हमारा जो पोल्यूशन बोर्ड है यह सोया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी, ये सारी बातें तो दलाल साहब ने पहले ही कह दी हैं। Kindly don't repeat the same things.

श्री उदयभान : स्पीकर सर, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उदयभान जी या तो आप यह कहें कि endorse the speech given by Shri Karan Singh Dalal.

श्री उदयभान : वह ठीक है, लेकिन आगरा कैनाल से संबंधित मसले तो यही हैं जो हमें उठाने हैं। अध्यक्ष महोदय, 1994 में जो यमुना जल समझौता हुआ था उससे भी हम ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आपने इस बारे में एक कमेटी भी बनायी है। यमुना नदी का जो पानी हमारे इलाके को मिलना था वह सारा पानी अब हमें नहीं मिल रहा है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बारे में एक कमेटी गठित की जाए जो यह बात देखे कि इस यमुना जल समझौते से पहले कितना पानी हमें मिलता था और अब कितना पानी हमें मिल रहा है। स्पीकर सर, तीस सालों से हमारे जिले की नहरों की टेलों पर पानी नहीं पहुंचा है। पूरे प्रदेश में पक्के नाले हैं, पक्की नहरें हैं और दूसरे जिलों के किसानों से आबियाना भी नहीं लिया जाता लेकिन हमारे जिले में एक भी पक्की नहर नहीं है, पक्के नाले नहीं हैं और हमसे आबियाना भी लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, दलाल साहब ने आबियाना के बारे में भी और पक्के नालों के बारे में पहले ही बता दिया है।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, 1994 में जो जल समझौता हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि रेणुका बांध, किशाऊ बांध और लखवार बांध जो बनेंगे और उनसे जो पानी आएगा उसमें से हमें भी पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद जिले के एरियाज में खासतौर से गुड़गांव जिले में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पिता जी सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने गुड़गांव कैनाल का निर्माण करवाया था और उससे हमें राहत मिली थी। अब मेवात के एरियाज में और होडल सब-डिवीजन के एरियाज में जमीन का पानी खारा है। न वहां पर पीने का पानी है और न सिंचाई का पानी है। रजवाहे तो होडल और हसनपुर के नाम से है लेकिन पानी होडल और हसनपुर के नाम से नहीं पहुंचता है इसलिए इस विषय पर गंभीरता से सोचने की बात है। किशाऊ और रेणुका बांध का तो खर्चा दिल्ली सरकार उठा रही है। लेकिन बना वह हिमाचल सरकार रही है। इसका लाभ भी दिल्ली को ही मिलना है, हम तो फिर भी इस पानी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए इन बांधों के बारे में भी मंत्री जी को सीरियसली लेना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए जिससे हमें राहत मिल सके। एस०वाई०एल० कैनाल का पानी तो फरीदाबाद में नहीं पहुंचेगा। जो भाखड़ा मेन लाईन से हांसी-बुटाना लिंक कैनाल बन रही है यह अच्छी बात है क्योंकि अब समान पानी का बंटवारा करके दक्षिणी हरियाणा को भी पानी दिया जाएगा। अब तक तो उनका हक दूसरे लोग लूट रहे थे लेकिन इस सरकार ने उनको उनका हक दिलाने का प्रयास किया है। इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है लेकिन वह पानी भी हमारे फरीदाबाद जिले को नहीं मिल रहा है। हम तो पूरी तरह से यमुना के पानी पर ही आश्रित हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस समय पूरे जिले के किसानों में आक्रोश है और यह आक्रोश कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है। कभी भी वहां के हालात खराब हो सकते हैं क्योंकि वहां पर नहर छाती से तो गुजर रही है लेकिन पानी हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके लिए गंभीरता से सोचने की बात है और जिस तरह से इस बारे में सुझाव दिए गए हैं उन पर विचार करने की जरूरत है।

श्री हर्ष कुमार (होडल): अध्यक्ष महोदय, जो यह आगरा कैनाल वाला मसला कर्ण सिंह दलाल साहब सदन में लाए हैं, यह बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। इसमें नीयत का फर्क है और उस नीयत के अनुसार काम

करने का फर्क है। इस आगरा कैनाल की तीन डिस्ट्रीब्यूट्रीज और 6 चैनल हरियाणा में फरीदाबाद और मेवात एरिया में पड़ती हैं, तीन डिस्ट्रीब्यूट्रीज यू०पी० में और राजस्थान में पांच डिस्ट्रीब्यूट्री और 11 चैनल पड़ते हैं। जिस हिसाब से उनमें पानी चलता है उस हिसाब से पानी का यहां भी कोई बंटवारा नहीं है क्योंकि यह सारा पानी यू०पी० के खाते में जाता है। कोई पानी नहीं बंटा हुआ है। हम चाहते हैं जिस तरह से उनका नहरों का रोस्टर चलता है उसी तरह से हमारा रोस्टर चल जाए और जिस तरह से उनकी पांचों डिस्ट्रीब्यूट्रीज में पानी चलता है उसी तरह से हमारी तीनों डिस्ट्रीब्यूट्रीज में पानी चल जाए। जिस तरह से उनकी 11 चैनलों में चलता है उसी तरह से हमारी 6 चैनलों में चल जाए, यह हमारी सरकार से गुजारिश है। मंत्री जी इस बारे में लाजिमी तौर से कोशिश करें। दूसरी जहां तक टेल पर पानी पहुंचने की बात है, टेलों के मामले में न कहीं यू०पी० का झगड़ा है न किसी और का है। जब होडल डिस्ट्रीब्यूट्री चलती है तो होडल के टेल पर पानी पहुंच जाए। हमारे साथ तो झगड़ा यह भी है कि हम टेल की तरफ हैं और जो लोग हैड की तरफ हैं, वे वहां पर ओवर इरीगेशन करते हैं और पानी टेल पर नहीं पहुंचता। मेहरबानी करके अगर हैड की तरफ ओवर इरीगेशन रुकवा दें तो हमारी टेलों पर पानी पहुंच जाएगा।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे यह दक्षिणी हरियाणा की बात बार-बार आती है। * * * * * (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सदन में इस समय आगरा कैनाल के नियंत्रण के बारे में जो प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा चल रही है, आप इस पर बोलें। इस कैनाल का आपके मेवात एरिया से और फरीदाबाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो गुड़गांव कैनाल है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। पिछली सरकार के शासनकाल के समय में हर गांव में जोहड़ और तालाब भरे रहा करते थे लेकिन इस बार तो पानी कहीं दिखाई ही नहीं देता है। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि पीने का पानी तो जमीन में नहीं है लेकिन तालाबों में ही पानी मिल जाए तो पशु तो पी लें। आदमी तो जाकर मटके, घड़े या बाल्टी से पानी भर कर ला सकते हैं लेकिन पशु नहीं ला सकते हैं इसलिए पशुओं के लिए इंतजाम करना बहुत जरूरी है।

श्री हबीब-उर-रहमान (नूंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रस्ताव भाई कर्ण सिंह दलाल साहब यहां पर लाए हैं इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इस सदन का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अपने प्रस्ताव में भाई कर्ण सिंह दलाल जी ने जो बातें यहां पर रखी हैं मैं उन सब का समर्थन करता हूं। इस बारे में मेरी भी एक दो सब्मीशंज हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फरीदाबाद और मेवात के एरिया में गंदा पानी आने की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं, उनके इलाज के लिए सरकार तुरंत कदम उठाए।

श्री अध्यक्ष : हबीब-उर-रहमान साहब, इस बारे में हैल्थ मिनिस्टर साहब ने आश्वस्त कर दिया है। कल एक टीम वहां पर जाएगी और उन इलाकों में जरूरत हुई तो शिविर आदि भी लगाएंगे। आप रिपीटीशन न करें।

श्री हबीब-उर-रहमान : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और इरीगेशन डिपार्टमैंट ने कोटला लेक को मंजूर कर दिया है उसको जल्दी से जल्दी बनाकर जिस तरह से बरसात का पानी आगरा कैनाल के माध्यम से समुद्र में चला जाता है उसको बरसात के मौसम में इक्ट्ठा करके परमानैंट

[श्री हबीब-उर-रहमान]

रिजरवायर बनाकर वह सिंचाई के काम लाया जा सकता है, पीने के काम में भी वह पानी आ सकता है। इसके अलावा एक हमारे यहां राजस्थान कैनाल निकलती है। उसमें से कुछ लोग ट्यूबवैल्ज और इंजन लगाकर पानी उठा लेते हैं और उस पानी का हम आबियाना भी देते हैं। इसके बावजूद भी हमारे हरियाणा के अफसरान ट्यूबवैल के इंजन को फेंक देते हैं और हमें पानी नहीं लेने देते हैं। हमारी छाती से पानी गुजर रहा है। मैं इस बारे में सिंचाई मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके उन ट्यूबवैल्ज को वहां परमानैंट कर दिया जाए और हमें भी पानी लेने दिया जाए। इसके अलावा इस सीजन में भी कोई पानी मेवात एरिया को नहीं मिला है। यह बात सही है कि सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, वह हर इलाके को समान पानी के बंटवारे की बात कह रही है और यह भी बात सही है कि मेवात का एरिया इस नहर के टेल एंड पर पड़ता है और वहां पर अभी तक 50 प्रतिशत फसलें सूख गई हैं क्योंकि वहां कोई पानी नहीं पहुंचा है। मेहरबानी करके मेवात एरिया के लिए पानी की मात्रा बढ़ाई जाये।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महराजपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जैसा कि श्री दलाल साहब ने यह संकल्प प्रस्ताव सदन में रखा है यह बहुत ही चिन्तनीय विषय है। लेकिन मैं उन बातों का जिक्र दोबारा से नहीं करना चाहूंगा जिनका जिक्र पहले माननीय सदस्य कर चुके हैं। दलाल साहब ने और उदयभान जी ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या के बारे में आज हम यहां पर बात कर रहे हैं उसका समाधान क्या है यह हमें देखना है।यह समस्या क्रीएट कैसे हुई ? वर्ष 1954 में यह हिस्सा जब पंजाब में था, इस पानी में उत्तर प्रदेश और पंजाब का हिस्सा था। उसके बाद 1994 में पानी के बंटवारे का फैसला हुआ तो उसमें पांच स्टेट्स शामिल कर दिए गये। पांच स्टेट्स जब शामिल होने पर जो हिस्सा दिल्ली को दिया गया उसमें दिल्ली के हिस्से में 238 क्यूसिक पानी की व्यवस्था की थी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह पैदा हुई कि दिल्ली को जो हिस्सा दिया गया वह हिस्सा हरियाणा के हिस्से में से कटौती करके दिया गया।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में तो विधान सभा की कमेटी पहले ही बनी हुई है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को पानी देने के बारे में फैसला कोर्ट में पी०आई०एल० डालने के बाद हुआ। कोर्ट ने दिल्ली की फेवर में फैसला कर दिया कि दिल्ली को पानी देने की जरूरत है। दिल्ली को जो पानी का हिस्सा दिया गया वह हरियाणा के हिस्से में से कटौती करके दे दिया गया। होना तो यह चाहिए था कि दिल्ली को जो पानी दिया जाना था वह हैदरपुर से 381 क्यूसिक और वजीराबाद से 425 क्यूसिक डिस्ट्रीब्यूटरी से दिया जाना चाहिए था। लेकिन आज दिल्ली को 1200 क्यूसिक पानी ज्यादा जा रहा है इसका सबसे ज्यादा असर हमारे जिले फरीदाबाद पर पड़ा है जो प्रदेश का आबादी और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। मेवात और पलवल में पानी पहले से ही खराब है, आप आबपासी की बात करते हैं वहां पीने के पानी की बड़ी भारी दिक्कत है। इसलिए इस मामले में चिन्ता और चिन्तन होना निहायत आवश्यक है। इसके लिए मेरा छोटा सा सुझाव है कि जिस प्रकार दिल्ली के नागरिकों द्वारा पी०आई०एल० डालने के बाद दिल्ली को पानी मिला है तो क्यों न हम भी हरियाणा के नागरिकों की तरफ से एक पी०आई०एल० डाल दें। इस पानी का फैसला तो कोर्ट से ही हो सकता है। फरीदाबाद का मैं जिक्र कर रहा था। वर्ष 1999-2000 में फरीदाबाद में 43 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती थी और वर्ष 2002-2003 में वहां घट कर 24-25 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हुई और आज इससे भी कम भूमि की सिंचाई हो रही है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब तो एक लाख 85 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की बात कर रहे थे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1999-2000 की बात कर रहा हूं। जिस एरिया का दलाल साहब ने जिक्र किया वह पहले की बात है। वर्ष 1999-2000 में यह एरिया घटकर इतना रह गया था। आज जो पानी की अवेलेब्लिटी है वह 400 क्यूसिक से भी कम रह गई है यह चाहे यू०पी० सरकार की मिस-मैनेजमैंट की बात हो सकती है। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि हमारे प्रदेश के रिप्रजैंटेटिव इस बारे में यू०पी० सरकार के पास जाकर बात करें।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में दलाल साहब ने सुझाव दे दिए हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह सुझाव है कि इस बारे में कोई न कोई एक्शन लिया जाये चाहे इसके लिए कोर्ट में जाया जाये। मैं सदन को और सरकार को यह कहूंगा कि इसके लिए कोई सार्थक कदम उठाये जायें। धन्यवाद।

श्री धर्मबीर (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी तक इस गैर सरकारी प्रस्ताव पर जितने मैम्बर साहेबान बोले हैं, वे उसी इलाके को रिप्रैजैंट करते हैं जहां से आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल का पानी आता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर रिकार्ड उठाकर देखा जाए तो 1982 में सबसे पहले इस बारे में प्रश्न मैंने किया था और कहा था कि हरियाणा सरकार को इस कैनाल का कंट्रोल ले लेना चाहिए। आज इस बात को 26 साल हो गए हैं और ये आज इस बात को याद कर रहे हैं, आज मैं इनके साथ शामिल होता हूं। लेकिन एक और दुःख की बात है जिसका शायद इन्होंने जिक्र नहीं किया कि अगर इस बारे में कोई झगड़ा होता है तो हमें फैसला करने के लिए आगरा जाना पड़ता है, उसका फैसला हरियाणा में नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, जब तक हम कोर्ट में नहीं जाएंगे मुझे नहीं लगता कि यह फैसला कभी हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी कोई फैसला कर पाएंगे। इसलिए मेरी सिंचाई मन्त्री से दरखास्त है कि इस मामले में कोई ठीक फैसला करें।

श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में भी इनमें से माइनर निकलती है। जैसा भाई करण सिंह दलाल जी ने कहा मैं भी एक बात कहना चाहता हूं कि जितना भी ओखला का गंद है वह मेरे हलके की नूंह सब-ब्रांच से मेरी कांस्टीच्युंसी के बीच में से जाता है और ओखला से जो गंद निकलता है यह बिल्कुल काला पानी होता है। वहां न तो सफाई हो पाती है और न लोगों को राहत मिल पाती है। एक हरचन्दपुर डिस्ट्रीब्यूट्री है मैंने कल भी मंत्री जी के ओफिस में कहा था और लिखकर भी दिया था कि यह आधी बनी हुई है और उसमें भी पानी मिलना चाहिए लेकिन पानी नहीं मिल रहा। आज मुख्यमंत्री जी का पानी के समान बंटवारे का सपना है तो मैं कहना चाहूंगा कि गहमला माइनर, नैकपुर माइनर और हरचन्दपुर इन तीनों माइनर्ज के साथ विश्वासघात हो रहा है और उनको पूरा पानी नहीं मिल रहा है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पूरा पानी दिया जाए। करण सिंह दलाल जी ने ड्रिंकिंग वॉटर पर प्रश्न किया था। सबसे बड़ी बात है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के नाम से पूरे हरियाणा को विश्व में जाना जाता है आज उसी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। वहां जो रोहतक कैनाल से पानी आ रहा है अगर कल को उस पर झगड़ा हो जाए या बीच में कहीं से ये कैनाल बंद कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि गुड़गांव प्यासा मर जाएगा। जैसे करण सिंह दलाल जी पानी की रैस्टोरेशन की बात

[श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया]

कर रहे थे तो मैं सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सोहना में भी पानी को रैस्टोर किया जाए ताकि अगर कोई हादसा हो जाता है या फिर कोई और बात हो जाती है तो कम से कम 2-4 दिन या 10 दिन तक लोगों को पानी दिया जा सके, अब तो ग्राउंड वॉटर से काम चल रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गुडगांव में पानी की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

संसदीय सचिव (कुमारी शारदा राठौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले भाई करण सिंह दलाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जिन्होंने फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात के बहुत गम्भीर मुद्दे को उठाया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पहले आगरा कैनाल से डेढ़ लाख हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई हुआ करती थी। जहां आज हर क्षेत्र में हम आगे निकल रहे हैं वहीं हमारे इन जिलों के साथ सिंचाई के क्षेत्र में किन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा पक्षपात हो रहा है। 1997 के समझौते के बाद हमें मैंटीनैंस का काम मिला है, एक किलोमीटर हैड के अलावा मैंटीनैंस का काम मिला है। मेरे विचार से हमें मैंटीनैंस का पूरा काम मिलना चाहिए, उसका पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। ताजेवाला हैड से जैसा कि करण सिंह दलाल जी ने सुझाव दिया कि अगर हम यू०पी० को पानी दे सकते हैं तो हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए और कोई समझौता कर लेना चाहिए जिससे हम ओखला बैराज से फरीदाबाद, नूंह और मेवात को पानी दें और ताजेवाला से यू०पी० को पानी दें सकें। अध्यक्ष महोदय, जो रिवैन्यू कलैक्शन होता है, वह हमारे यहां फरीदाबाद और मेवात की सिविल अथोरिटीज करती है। ये आथोरियाना यू०पी० गवर्नमैंट को जाता है और यह पूरी तरह यू०पी० के अधिकारियों के हाथ में रहता है कि वे पानी दें या न दें। महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने कहा कि हमें 400 क्यूसिक पानी की आवश्यकता होती है और मिलता 200 क्यूसिक है। अगर एवरेज देखी जाए तो हमें 150 क्यूसिक पानी ही मिलता है और वह पानी भी दिल्ली से, नजबगढ से होकर आता है। हिंडनगढ से जो पानी मिलता है वह बहुत ज्यादा पोल्यूटिड वॉटर है। कुछ दिन पहले हमारे यहां के किसानों ने हिसार एग्रीकल्चर यूनीवर्सीटी के वैज्ञानिकों को बुलाया था। उन वैज्ञानिकों का रोल वहां के पानी का सैम्पल लेने का नहीं बनता लेकिन फिर भी उन्होंने वहां के पानी का सैम्पल लेकर उसको टैस्ट किया। टैस्ट करने के बाद उन्होंने हमारे यहां के पानी को पूरी तरह से सिंचाई के लिए अन-उपयुक्त ठहराया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां का पानी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। किसान भाई जिस समय सिंचाई करते हैं उस समय उनके हाथ-पैर पानी में होते हैं। वह पानी इतना खराब है कि किसानों के शरीर में खुजली होने लग जाती है जिससे उनके शरीर में स्किन डिजीज हो जाती है और उस पानी से फसलें भी जल जाती हैं। हमारे वहां के पानी में हैवी मैटल्ज होने की वजह से वहां के लोग जो भोजन करते हैं, पशुओं से जो दूध लेते हैं उससे वहां के लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा काफी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबीटीज, जोनडिस, इनफरटेलिटी, स्किन डिजीज तथा बोन्ज से रिलेटिड बीमारियां हो जाती हैं। इन समस्याओं से वहां के लोगों को तभी बचाया जा सकता है जब दिल्ली में यमुना पर दो-तीन ट्रीटमैंट प्लांट लगायें जायें और फरीदाबाद जिले के लोगों को स्वच्छ पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाये। इसलिए सिंचाई मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में काफी चर्चा पहले ही हो चुकी है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पूरी तरह से सजग होकर कार्य करना चाहिए। क्योंकि पानी में हैवी मैटल्ज में कैडमियम, क्रोमीयम, निक्कल,जिंक, मैगनीज होते हैं और फ्लोराईड भी काफी मात्रा में है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों और पशुओं में फरीदाबाद जिले में फैल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां के किसानों के साथ लम्बे समय से पक्षपात हो रहा है। मौजूदा सरकार से हमें उम्मीद है कि वह हमारे किसानों को न्याय देगी। आगरा कैनाल जो हमारे क्षेत्र से होकर जाती है उसका आथियाना भी यू०पी०

सरकार को जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि उस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल होना चाहिए। चाहे इसके लिए बोर्ड बनाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी यू०पी० सरकार से बात करें और फिर भी अगर वे नहीं मानते हैं तो सैंट्रल गवर्नमैंट से इसमें हस्तक्षेप करवायें। क्योंकि हमारे क्षेत्र से नहर होकर जाती है इसलिए उस पर पूरा कंट्रोल हमारा होना चाहिए और आबियाना भी हरियाणा को मिलना चाहिए या लोगों का आबियाना माफ होना चाहिए। यू०पी० सरकार को आबियाना नहीं मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं सिंचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरे हलके में जो माईनर कच्चे हैं उनको भी पक्का किया जाये। इसके अतिरिक्त पानी के स्टोरेज के लिए रेनी वैल्ज और रिजर्ववायर बनानी चाहिए, पब्लिक हैल्थ मनीस्टर इस बात के लिए इनीसियटिव ले सकते हैं। हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो सोया हुआ है उसे पूरी तरह से पानी की जांच करनी चाहिए। पब्लिक इन्ट्रस्ट लिटीगेशन के फैसले के द्वारा जो पानी दिल्ली को दिया जा रहा है वह दिया जाये लेकिन हमें भी पूरा पानी मिलना चाहिए और इसके लिए हमारी सरकार को गम्भीर रूप से पहल करनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बातों का मैंने जिक्र किया है उनकी तरफ सिंचाई मंत्री जी ध्यान देंगे और हमारे एरिया के लोगों को सिंचाई और पीने के लिए पूरा पानी देंगे। धन्यवाद।

श्री नरेश यादव (अटेली) : अध्यक्ष महोदय, आगरा कैनाल का यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा विषय है यह यह है कि चाहे फरीदाबाद, गुड़गांव या रिवाड़ी का इलाका हो जहां पूरी दुनियां से लाखों लोग आ गये हैं, वहां पर जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं उनकी गिनती नहीं हो रही। बहुत ज्यादा लोग यहां बिना रजिस्ट्रेशन के रह रहे हैं जिसकी वजह से भी अव्यवस्था हो रही है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हांसी-बुटाना लिंक नहर बन रही है जिसकी पानी की डिमांड आखिरी छोर तक हो रही है और यू०पी० सरकार आगरा कैनाल का पूरा पानी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ प्रदेश में बहुत से पावर प्लांट्स लगाये जा रहे हैं, उनमें भी पानी की जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त गुड़गांव में हजारों एकड़ जमीन में एस०ई०जेड० बनाया जा रहा है और वहां भी बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। इस समय वहां पर वॉटर लैवल आखिरी स्तर पर है। वैज्ञानिकों द्वारा मेवात, गुड़गांव, रिवाड़ी से लेकर नारनौल-नांगलचौधरी के एरियाज को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है जिससे हम ट्यूबवैल लगाने के लिए बोर भी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त 6 साल पहले तो हमारे यहां जो वाशिंग सर्विस स्टेशन थे उनके ऊपर भी बैन लगा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पानी की खपत बढ़ाने वाली जो भी परमीशन्ज़ हैं उनके ऊपर भी हरियाणा सरकार का कोई कंट्रोल होना चाहिए। लगभग सभी जगह से जो माध्यम वर्ग के लोग हैं वे गुड़गांव और फरीदाबाद में आ गये हैं। शहरों में यह जो अवांछित भीड़ बढ़ रही है इससे भी हमारी पानी की किल्लत बढ़ रही है। जिस प्रकार से आसाम में असम गण परिषद् ने किया था हमारी सरकार को भी इस बारे में कुछ वैसा ही करना चाहिए। हांसी-बुटाना लिंक नहर भी जल्दी बनाई जानी चाहिए। इसमें जो भी रूकावटें हैं और कानूनी पेचीदगियां हैं उनको शीघ्रता से दूर करके पूरे हरियाणा में उपलब्ध नहरी पानी का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए जिससे आखिरी छोर तक पानी पहुंच जाये। 1977 से हमारा जो 18 लाख हैक्टेयर फीट पानी था वह केवल दो जिलें सिरसा और हिसार में ही जा रहा था जिससे बाकी जिलों में वॉटर लैवल नीचे जा रहा है अभी तक तो महेन्द्रगढ़ और गुड़गांव में ही आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंचा तो फरीदाबाद और गुड़गांव कैनाल में तो पानी पहुंचने का मतलब ही नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें और मुझे विश्वास है कि जब निश्चित रूप से हमारे पास उपलब्ध 18 लाख हैक्टेयर फीट पानी का ईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जायेगा तो मेवात में भी पानी पहुंचेगा और गुड़गांव कैनाल में भी

[श्री नरेश यादव]

पानी पहुंचेगा। इसके साथ ही केन्द्र सरकार की कांग्रेस सरकार को साथ लेकर पानी के मुद्दे पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके आगरा कैनाल के लिए और ज्यादा पानी प्राप्त करना चाहिए। इसके साथ ही मेरी एक चिंता यह है कि हम जो एस०ई०जेड० और पॉवर प्लांट्स लगा रहे हैं इनके लिए भी और पानी की आवश्यकता होगी। यह अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। मैं तो आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी सम्पूर्ण व्यवस्था उनको करनी चाहिए तभी फरीदाबाद, मेवात और दक्षिणी हरियाणा में पानी पहुंच सकता है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा अमर (नारनौल) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और सदन में यह जो प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल लेकर आए हैं मैं इसका अनुमोदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि आगरा कैनाल में बहुत ही गंदा पानी बह रहा है। इसमें जो पानी है उसके ऊपर हरियाणा का कंट्रोल होना चाहिए और इसके लिए केन्द्रीय सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। एक बाढ़ के पानी की बात भी उन्होंने कही है, उसमें बाढ़ का पानी भी मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक समस्या का दूसरे की समस्या के साथ सम्बन्ध है। जैसे फरीदाबाद और गुड़गांव में पानी की समस्या है और उसके साथ ही नारनौल और महेन्द्रगढ़ का भी सम्बन्ध है। उस समय इतना पानी यमुना नदी में अवेलेबल होता है कि बाढ़ का वह पानी मेवात के साथ-साथ गुड़गांव में भी पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ अध्यक्ष महोदय मुझे बेहद अफसोस के साथ आपको यह कहना पड रहा है कि आज मैंने एक अखबार पढ़ा 'अमर उजाला', उसमें पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो के साथ यह छपा हुआ था और यह ब्यान था कि हांसी-बुटाना ब्रांच नहर के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं है। जब इस तरह की सोच लोगों की होगी तो इस प्रस्ताव से हम जिस मकसद को प्राप्त करना चाहते हैं उसमें हम कामयाब नहीं होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में और ज्यादा न कहते हुए यह कहना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस बात से मैं अच्छी तरह से परिचित हूं कि सरकार के अंग के तौर पर मुझे कोई लम्बी चौड़ी बात करना वाजिब नहीं होगा। लेकिन एक विधायक के रूप में और खास तौर पर यमुना कैनाल के ऊपर आने वाले पहले असैम्बली हलके और प्रदेश के सबसे बड़े 3 हलकों में से एक हलके का नुमाइंदा होने के नाते मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इस बात से सहमत हूं कि मेरे से पहले जितने भी पूर्व वक्ताओं ने इस समस्या का विस्तारपूर्वक विवरण दिया है वह प्राय: निर्विवाद है, वह सही है और वह सरकार के गौर करने योग्य है। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि यह एक इन्टर स्टेट मसला है और उसमें हमारी कुछ सीमाएं भी हैं और दूसरे प्रान्त के साथ हम विवाद में उलझकर अपनी समस्या को और बढ़ाना नहीं चाहेंगे। उस नाते से मैं दो-तीन बात बताना चाहूंगा। एक तो उत्तर प्रदेश वालों ने यमुना में बैरीकेट लगाये हुए हैं। जब सिंचाई का सीजन आता है तो वे उन बैरीकेट्स को ढीला कर लेते हैं और जब वारांबदी में हमारी बारी आती है तब हमें अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल पाता। मेरा सुझाव है उन बैरीकेट को प्रोपरली इन्सटाल किया जाये ताकि हमारे हिस्से का पूरा पानी हमें मिल पाए। दूसरी बात मैं वाई०ए०पी० (यमुना एक्शन प्लान) के बारे में कहना चाहता हूं कि वाई०ए०पी० की

योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई है। जिस तरीके से गंगा को पोलूशन मुक्त करने के लिए बहुत बड़ी राशि दी जा रही है, उसी प्रकार यमुना के लिए भी यह स्कीम लागू है। इस स्कीम का फायदा उठाते हुए हम दिल्ली-हरियाणा की सीमा पर कोई भी जगह जो आसानी से मिल जाये वहाँ पर हम अगर पोलूटिड वाटर और कनटैमिनेटिड वॉटर को ट्रीट करके पास करें तो किसी प्रकार का कोई सरकारी विवाद नहीं होगा। इसके साथ ही साथ मैं अपने हिस्से के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जब पीछे से ही कम पानी आ रहा है तो हमें हमारे प्रोपोर्शन का हिस्सा मिले। अगर इतना सुनिश्चित कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे किसान भी खुशहाल हो जायेंगे। एक बात मैं और मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मेवात में जब मैं सरकारी तौर पर लोगों की मुसीबतें सुनने के लिए जाता हूं तो मेवात वाले 90 प्रतिशत शिकायत यही लेकर आते हैं कि आप औखला बैराज में फोन करें कि वे हमें अतिरिक्त पानी दें। यह सौभाग्य की बात है जिसके लिए मुझे वहां की ऑपेशनल ऐजेन्सी का भी धन्यवाद करना चाहिए कि जब भी इस बारे में शिकायत आई और हम लोगों ने उन्हें कंटैक्ट किया, चाहे ऑफिसियल लेवल पर या मिनिस्ट्रियल लेवल पर, तो उन लोगों ने हमें रिलीफ दिया है। अगर वे फोन करने पर रिलीफ दे सकते हैं तो मंत्री जी ऐसी कोई ऐजेंसी बनाये जो इस सिंचाई के वक्त पर वहाँ पर इस तरह का इंतजाम करे और वह पानी उन लोगों को दिलवाए तो हरियाणा खुशहाल होगा। यही कुछ बातें मैं कहना चाहता था।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा क्योंकि पानी का है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। मैं श्री कर्ण सिंह दलाल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं हैं और कुछ विशेष बातों पर गौर करना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि प्रकृति हमारे साथ बहुत मेहरबान रही है। हिन्दुस्तान ऐसा देश है जहाँ हमारा पानी करीब-करीब इंडीजीनियस है। यहाँ थोड़ा सा पानी नेपाल से बहता है और थोड़ा सा तिब्बत से बहता है। पानी का हमारा एक ही स्त्रोत है, या तो पिघल कर आता है या बरसात से आता है। बरसात नेच्यूरल होती है और आजकल वैज्ञानिकों ने आर्टीफिशियल बरसात करने की कोशिश भी की है। हमारे देश में भी कोशिश की है और कुछ अच्छे परिणाम भी मिले हैं। जहाँ पर पानी की कमी होती है बादलों को वहाँ पुश कर देते हैं और बादलों में सिलवर आयोडाईड और सोडियम क्लोराईड को पुश किया जाता है उससे वाटर वैपर बनकर बादल बरस जाते हैं और अगर वैज्ञानिक इसी तरह से प्रगति करते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा जब जहाँ पानी की कमी हो वहाँ हम आर्टीफिशियल बरसात करवा सकेंगे। यह कनार्टक में हुआ है और मैंने इसे देखा है। यह बिल्कुल सत्य है और मेरे पास इसके डाकूमैंटरी प्रूफ हैं। मेरा बेटा वहां पर पढ़ता था और जब यह आर्टिफिशियल रेन वहां करवाई गई तब मैं कर्नाटक में था। आर्टिफिशियल रेन करवाना सम्भव है। स्पीकर साहब, हम तो शायद उस वक्त नहीं होंगे लेकिन एक दिन आएगा जब भिवानी शहर के ऊपर तो बरसात न हो लेकिन खेतों में बरसात हो सकेगी। स्पीकर सर, यह टैक्नीक आएगी। (विघ्न) यह टैक्नीक अभी महंगी और एक्सपैरिमैंटल स्टेज पर है। स्पीकर सर, अगर आपने मुझे बोलने का मौका दिया होता तो मैं आपको विस्तार से सारी बातें बतासा लेकिन अभी भी मैं पांच मिनट में कुछ इम्पोर्टैन्ट बातें यहां हाउस में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, मैंने आपको कहां मौका नहीं दिया ?

श्री शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर सर, मैंने एक नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन दिया था।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, अभी दो नॉन ऑफिशियल डे आने बाकी हैं। आपने वैसे ही अपने आप सारा मामला कन्कलूड कर दिया। (विघ्न) आप यह कह रहे हैं कि आप शायद उस वक्त नहीं होंगे, आप क्यों नहीं होंगे, आप होंगे। (विघ्न) आप ऐसी बात क्यों कहते हैं।

श्री शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल बरसात भी सम्भव है ! आगे आने वाले समय में यह सरल भी बन जाएगी और पानी की कमी को आर्टिफिशियल रेन से पूरा किया जा सकेगा। मैं यहां पर एक पुरानी बात कोट करना चाहता हूं। जैसे दलाल साहब ने भी एक बात कही थी कि युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा था कि पानी पर किसका हक है तो यक्ष ने कहा था कि पानी पर सबका हक है। स्पीकर सर, कांस्टीच्यूशन में यह साफतौर पर लिखा हुआ है और दलाल साहब ने जो कहा है मैं उसकी ताईद करता हूं। श्री नरेश भाई ने डार्क जोन के बारे में एक बात कही थी कि हमारे हिन्दुस्तान का और हरियाणा प्रदेश का काफी ऐरिया डार्क जोन में तबदील हो रहा है। यह जोन तीन प्रकार के होते हैं व्हाईट जोन, ग्रे जोन और डार्क जोन । व्हाईट जोन वह जोन है जिसमें सफिशियेंट अण्डर ग्राउंड वॉटर है,ग्रे जोन वह ऐरिया है जिसमें 200 फुट से नीचे पानी है और डार्क जोन वह एरिया है जहां 500 फुट से नीचे पानी है। जो डार्क जोन ऐरिया होता है अगर वहाँ से हम निचला पानी या पाताल का पानी निकालना चाहते हैं तो वह इक्नोमिकल नहीं है और दूसरे वह पानी अच्छा भी नहीं होता है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से जितना भी लिया उतना ही लौटाया । जितना डिस्चार्ज किया उतना ही रिचार्ज भी किया। अब समस्या इसलिए पैदा हो रही है कि जो हम डिस्चार्ज ले रहे हैं उतना रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि 75% of total water in India is polluted and contaminated. स्पीकर सर, हमारे जो उद्योग हैं उनमें भी थोड़ा साईंटिफिक तौर पर सोचना चाहिए। आज एक टन कागज बनता है या एक टन इस्पात बनता है तो लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। जो दूसरे देश हैं उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि वहां पर औद्योगीकरण में कम से कम पानी से काम चले। मेरा यह निवेदन है कि हमें भी इस दिशा में काम करना पड़ेगा। स्पीकर सर, एक विशेष बात और यह है कि गन्दे पानी के जो नाले बहते हैं जिनकी बात कर्ण सिंह जी ने उठाई है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा। यह बात सही है और देश में इस बात की बार-बार डिमाण्ड भी उठ रही है कि हम गंगा की सफाई करेंगे। स्पीकर सर, कानपुर में लैदर के कारखानों से सबसे ज्यादा गन्दा पानी आ रहा है और दिल्ली से भी बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी आ रहा है। इस बात के तहत जो लोग पानी को प्रदूषित करते हैं, जो लोग नदियों में गन्दगी डालते हैं सरकार द्वारा उनसे पानी के इस्तेमाल का हक छीना जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में श्री राजेन्द्र सिंह जी जो अलवर जिले के रहने वाले हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने पानी को संजोया है और उसका संरक्षण किया है और दिखाया है। राजस्थान जैसे प्रदेश में 1980 के बाद उन्होंने पानी का स्टोर किया है और जो नदियां सूख गई थीं वे सदानीरा बन गई हैं। सरबरी नाम की नदी सूख गई थी वहां उन्होंने पानी का संरक्षण शुरू किया और उस नदी में अब पानी आने लग गया है जिससे वहां पर वैजिटेशन बढ़ा है। वैजिटेशन अगर बढ़ता है तो वहां पर जो कार्बन डॉयऑक्साईड है वह उसको भी सोखता है इससे हमारा जो ईको सिस्टम है, वह प्योर होता है। जैसे कि स्वास्थ्य मन्त्री जी ने बोला है कि वे स्वास्थ्य कैम्प लगवा कर बीमारियों की जांच और निदान करवा देंगी। इस बारे में मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं prevention is better than cure. जब तक हम इसका प्रिवैंशन नहीं करेंगे तब तक हम cure बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि में तो कई खतरे हैं जब कि प्रिवैंशन आसान और सरल है जो कि काफी कम पैसे में हो सकता है। पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब अभी हाउस में बैठे नहीं है मैं उनसे भी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। इरिगेशन मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे वॉटर वर्क्स हैं उनमें ओपन पाईप से नालों में पानी जा रहा है जो कि उचित नहीं है यह पानी क्लोज पाईपों से जाना चाहिए और उनमें कोई मल या मैल नहीं डालना चाहिए। जो रा-वॉटर हम वॉटर वर्क्स में सप्लाई करते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। यदि पानी में मल और गन्दगी डालते जाएंगे तो उसकी सफाई करने में ज्यादा दिक्कत आएगी।

श्री अध्यक्ष : डा० साहब, यह बात आई०जी० साहब के सवाल में आ गई है।

श्री शिव शंकर भारद्वाज : सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में पानी की कमी नहीं है, कमी है तो पानी को ठीक प्रकार से प्रयोग करने की । यदि हम हमारे देश की नदियों को जोड़ने की तरफ ध्यान दें और पानी के इस्तेमाल में हम सचेत हो जाएं और अपनी डयूटी पूरी करें तो मैं समझता हूं कि हम पानी के बारे में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कुछ हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसको सहेज कर रखें। स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भारत के सिंचाई मंत्री जी ने सिंचाई के 14 या 16 नेशनल प्रोजैक्टस की घोषणा की है। उसमें किसाऊ डैम, रेणुका डैम और लखवार डैम भी आते हैं। उसके बारे में कर्ण सिंह दलाल जी ने बोलते हुए पोल्यूशन की बात की थी। इस पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि यमुना में पानी रैगुलेट नहीं होता है उसमें पोल्यूशन का एलीमैंट बहुत ज्यादा है। यह जो लीन सीजन होता है उसमें पोल्यूशन का एलीमैंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर तीनों डैम्ज़ को प्रायरीटी पर बनाया जाए तो यमुना का पानी जो पोल्यूट भी होता है वह भी डायलूट हो जाएगा। जिससे यह पानी किसानों के खेतों के लिए ही नहीं बल्कि पीने के लायक भी हो जाएगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो ओखला बैराज है उसमें अपर रीचिज में दिल्ली सारा पानी लीन सीजन में इस्तेमाल करता है और गन्दा पानी छोड़ता है। इसमें दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है कि वह उस पानी को ट्रीट करके आगे छोड़े। ट्रीटमैंट प्लांट पर और यमुना एक्शन प्लान पर सैंकड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार उस पानी को ठीक से ट्रीट करके नहीं छोड़ रही है, वह इसलिए ट्रीट करके नहीं छोड़ती है क्योंकि आगे तो उन्होंने उस पानी को प्रयोग नहीं करना है। आगे तो उस पानी को हमने, राजस्थान और यू०पी० ने प्रयोग करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जो ट्रीटमैंट प्लांट दिल्ली में लगे हुए हैं उन पर हरियाणा का कंट्रोल होना चाहिए ताकि हमारे जो नागरिक हैं उनको अच्छा पानी मिल सके। उनको अच्छा पानी देने की जिम्मेवारी हमारी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सुझाव है कि आगरा कैनाल चार हजार क्यूसिक की कैपेसीटी की है। उसमें हमारा हिस्सा 600 क्यूसिक है। अगर हम बैराज से ही 600 क्यूसिक की एक कैनाल अपनी ही निकाल लें तो हमें किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की जरूरत नहीं रहेगी और न ही किसी और के कंट्रोल की जरूरत रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमें इन बातों के लिए कोशिश करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक किलोमीटर के बाद उन्होंने गुड़गांव कैनाल का कंट्रोल हमें दे दिया है। मेरा यह मानना है कि बैराज में ही यह प्रोवीजन हो जाए कि हम 600 क्यूसिक ट्रीटीड वॉटर सीधा ही अपने चैनल में डाल दें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो किसानों को बढ़िया और पोटेबल वॉटर मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आप किसी गांव में जहां पर 4 मौतें हुई हों अफसोस करने के लिए जाएं तो उनमें से आपको एक ऐसा आदमी मिलेगा जिसकी मौत कैंसर की वजह से हुई होगी। अध्यक्ष महोदय, इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना है कि पोल्यूटिड वाटर ही कैंसर के होने की सबसे बड़ी वजह है। हम यह नहीं चाहते हैं कि यू०पी० से हमारा कोई विवाद हो। हम तो यह चाहते हैं कि अगर बैराज से हमारा 600 क्यूसिक पानी मिल जाए और दिल्ली के ट्रीटमैंट प्लांटस का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए तो हम अपने हरियाणा के उस इलाके के 40 लाख लोगों को स्वच्छ पानी दे सकते हैं, यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल जी जो गैर-सरकारी संकल्प प्रस्ताव सदन में लेकर आए हैं, यह संकल्प अति महत्वपूर्ण है। इस सदन में चर्चा भी अच्छी हुई है और उस चर्चा में एक दो बातें खुलकर आयी हैं। एक तो इसमें इंटर स्टेट के डिसप्यूट की बात आयी है। कि हमारा यू०पी० के साथ इस मामले में डिसप्यूट है। कारण क्या है वह तो सरकार तह में जाकर देखेगी। दूसरी बात पोल्यूटेड पानी की आयी है। फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात के जिलों के एरियाज में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुरूप वहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है। स्पीकर सर, अच्छे सुझावों के साथ मेरा एक सुझाव यह है कि चाहे बरसाती नदी हो, जैसे घग्गर नदी है। या दूसरी नदीयाँ हैं इनमें जो भी पानी बहता है यदि उसमें कैमीकल मिलते हैं तो यह कैमीकल कैंसर गंभीर बीमारी को बढ़ाने वाले होते हैं। इसलिए इस तरह की नदियों में सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उनमें किसी भी तरह के कमीकल्ज न मिल पाएं। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि चाहे सामाजिक स्तर पर या चाहे किसानों के स्तर पर और चाहे इंटर स्टेट स्तर पर अगर इस तरह के मामले होते हैं तो उनको सुलझाना चाहिए। मेरी जानकारी में यह बात आयी है कि नहरों का सिस्टम ऐसा है कि एक नहर के पानी को दूसरी नहर के माध्यम से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है इसलिए सरकार को इसके लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। चाहे एस०वाई०एल० कैनाल का डिसप्यूट हो या चाहे हांसी-बुटाना लिंक नहर का डिसप्यूट हो, जिसका मामला राजस्थान हाई कोर्ट में भी गया हुआ है, सरकार ऐसा प्रबन्ध करें कि बाद में डिसप्यूट ही न पैदा हों। हांसी बुटाना लिंक कैनाल के मामले में भी यदि सरकार पहले से ही बात कर लेती तो शायद बाद में कोई चर्चा नहीं होती और किसानों को भी उसका पानी समय पर मिलता तथा किसानों को फायदा होता। इसी तरह से एस०वाई०एल० कैनाल के मामले में भी यदि सरकार की तरह से पहले से ही बात कर ली जाती तो बाद में कोई बात ही नहीं रहती। स्पीकर सर, मेरा सुझाव है कि प्रायोरिटी के तौर पर जो इंटर स्टेट डिसप्यूट हैं, उनको सरकार हल करें। जिस तरह से पानी का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको देखते हुए सरकार को कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए कि लोगों को पीने का पानी स्वच्छ मिले और किसानों को इसका फायदा भी मिले। स्पीकर सर, यह एक अच्छा प्रस्ताव है इसलिए मैं इसका अनुमोदन करता हूं।

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर साहब, आज सुबह से इस मामले पर चर्चा चल रही है। कर्ण सिंह दलाल ने इस बारे में एक रेजोल्यूशन मूव किया है। विशेष तौर पर आगरा कैनाल पर कंट्रोल के बारे में बहुत से मैम्बर्ज बोले हैं। कर्ण सिंह दलाल, हर्ष कुमार, महेन्द्र प्रताप सिंह, उदयभान, शारदा राठौर, चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी, इंदौरा जी, नरेश यादव, हबीब-उर-रहमान और शाहिदा जी ने भी अपने-अपने विचार इस बारे में सदन में रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह जो चर्चा हो रही है इससे काफी ऐसे मुद्दे सामने आये हैं जो प्रदेश के हित में हैं। यमुना का जो पानी है एक तो यह हथनीकुंड बैराज से होकर निकलता है जहां से वैस्टर्न यमुना कैनाल और इस्टर्न यमुना कैनाल निकलती है वहां पर कंट्रोल हरियाणा का है तथा ओखला बैराज से जो पानी जाता है वह आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल से होकर निकलता है और उसका कंट्रोल यू०पी० का है। जो आगरा कैनाल है इसकी कैपेसिटी तकरीबन चार हजार क्यूसिक्स की है और इसमें जो मेजर शेयर हैं, वह यू०पी० के लोगों का है। इस रेजोल्यूशन के माध्यम से कर्ण सिंह दलाल जी ने अनुरोध किया है कि आगरा कैनाल का कंट्रोल हरियाणा को दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह एक इंटर स्टेट मामला है इसलिए यह मुद्दा कंफ्रंटेशन से नहीं बल्कि नैगोशिएशन से बातचीत के द्वारा हल हो सकता है। कर्ण सिंह दलाल जी और हर्ष कुमार जी स्वयं भी सिंचाई मंत्री रहे हैं। 1997 में इन्होंने एक वार्तालाप करके एक किलोमीटर तक का जो एरिया

13.00 बजे] था, उसके बारे में कहा था कि उसका कंट्रोल यू०पी० के पास आएगा और आगे जो एरिया है उसका रखरखाव हमारी गवर्नमैंट करेगी। चाहे उसकी सफाई की बात हो, चाहे और कोई मुद्दे हों। आगरा कैनाल में से तरीबन 51 चैनल्ज़ निकलती हैं। वैसे तो यहां पर विभिन्न विभिन्न आंकड़े माननीय सदस्यों ने बोलते हुए दर्शाये हैं। कुछ सदस्यों ने यह जानना चाहा है कि सिंचाई कितने एरिया में हो रही है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक तकरीबन 1.4 लाख एकड़ कमांड एरिया है जिसकी सिंचाई हो रही है। यह बात सही है। कि जो ऐवरेज हमें पानी मिलना चाहिए वह नवंबर से फरवरी में तकरीबन 1138 क्यूसिक्स पानी आम तौर पर इसमें चलना चाहिए। आप जानते हैं कि पिछले 2-3 साल से वर्षा कम हो रही है। उसमें नवंबर से फरवरी तक उत्तर प्रदेश का शेयर 26 परसैंट है और हरियाणा का 53 परसैंट शेयर है। 600 क्यूसिक पानी का हमारा हिस्सा बनता है और मार्च से जून तक 28 परसैंट हिस्सा यू०पी० का और 52 परसैंट हरियाणा का है। अध्यक्ष महोदय, जो बात निकल कर आई है उसके मुताबिक जुलाई से अक्टूबर तक जिस वक्त पानी यमुना में आता है उसमें तकरीबन 8560 क्यूसिक पानी ऐवरेज चलता है। उसमें यू०पी० का शेयर तो 78 परसैंट रख दिया और हरियाणा का केवल मात्र 7 परसैंट शेयर रख दिया यह मामला आज तक किसी ने नहीं उठाया। यानी कि जब पानी फालतू मिलता है तो हरियाणा का शेयर कम निर्धारित किया है। कल जब मैं अपने अधिकारियों से इस विषय पर बात कर रहा था तब मैंने रिकार्ड में यह देखा। मेरा यह मानना है कि इस दौरान अतिरिक्त शेयर उसी प्रपोर्शन में हो। यह कैनाल बहुत ही पुरानी है मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह अब से नहीं है, यह 1896 से है। उस वक्त कोई शेयर निर्धारित नहीं किया गया था। आज से पहले किसी सरकार ने इस इश्यू को टेकअप नहीं किया। अब इसके बारे में यू०पी० की सरकार से बात की जाएगी और हम केन्द्र सरकार से भी इस इश्यू को टेकअप करेंगे। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां इंटर स्टेट का मामला आता है वहां नैगोसिएशन से ही बात हो सकती है। बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है। कंफ्रन्टेशन से बात नहीं बनती । पहले किसी सरकार ने अपने समय में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की, यह मुद्दा कर्ण सिंह दलाल साहब लेकर आए हैं इसके अलावा आज सदन में इस बारे में बहुत सारी बातें आई हैं। कर्ण सिंह दलाल साहब ने यह बात रखी है कि हमारे आफीसर्ज इस बारे में यू०पी० के अधिकारियों से कोई बातचीत नहीं करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, वैसे तो रैगुलर तौर पर हमारे अधिकारी उनके अधिकारियों से बातचीत करते रहे हैं और करीबन 1.40 लाख हैक्टेयर यहां बुकिंग है। आगरा कैनाल से 52 परसैंट इरीगेशन है व एनोदर ड्रेन से 10 परसैंट इरीगेशन है इस प्रकार कुल मिलाकर 62 परसैंट इरीगेशन है। एक इन्होंने ऐडीशनल गेट्स की बात की है। (विघ्न) दलाल साहब, इतना सीरियस मैटर आपने यहां पर उठाया है और अब आप यहां बातचीत करने में लगे हुए है, आप इस बारे में गौर से सुनिये। आपने गेट्स की बात कही है। यह गेट्स तकरीबन साढ़े तीन साल पहले बना दिये गये थे उस वक्त इन पर किसी ने ऑब्जैक्शन नहीं किया था। उस वक्त ओमप्रकाश चौटाला जी की सरकार थी और उस समय इन्होंने कोई ऑब्जैक्शन नहीं किया था। उस वक्त किसी ने इसको अपोज नहीं किया। लेकिन यह बात सही है कि वर्ष 2005 में 600 क्यूसिक पानी आगरा कैनाल से और 450 क्यूसिक गुड़गांव कैनाल से हमें मिलता था, वर्ष 2006 में 450 क्यूसिक और वर्ष 2007 में 400 क्यूसिक पानी आगरा कैनाल से मिलता था। यह मैं मानता हूं कि इस दौरान बरसात भी कम हुई है। और पानी की कमी भी रही है। अध्यक्ष महोदय, श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने आबियाना की बात की कि फरीदाबाद और मेवात के लोगों से आबियाना वसूला जा रहा है जबकि बाकी हरियाणा के जिलों में आबियाना माफ किया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के किसी हिस्से में भी आबियाना माफ नहीं किया गया है। यह तो जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

जी की सरकार थी तो चुनाव से 3-4 महीने पहले उन्होंने आबियाना माफ करने की बात की थी वह तो केवल चुनावी स्टंट था और केवल लोगों से वाहवाही लूटने के लिए यह बात की गई थी। (विघ्न) जहां यह सैंटर की बात कर रहे हैं सैंटर ने तो जून से ही 60 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने की बात की है। जबकि चुनाव होने में अभी एक साल है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सढौरा जी आप सीनियर मैम्बर हैं अगर आपने कोई बात कहनी है तो खड़े होकर कहिए। बैठे-बैठे रनिंग कोमैंट्री मत कीजिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश के किसी हिस्से में भी आबियाना माफ नहीं हुआ है। आबियाना हरियाणा के हर किसान से लिया जा रहा है। चौटाला साहब ने तो वाहवाही लूटने के लिए यह किया था। स्पीकर साहब, श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने एक बात क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में कही कि पानी की क्वालिटी बहुत खराब है। इसके लिए औखला और हैदरपुर के जो वाटर ट्रीटमैंट प्लांट हैं जो दिल्ली का पानी ट्रीट करते हैं, इसके बारे में हमने दिल्ली सरकार के इरीगेशन मिनिस्टर से मीटिंग की है और भारत सरकार के वाटर रिसोर्सिज मिनिस्टर के सामने भी इस मुद्दे को रेज किया है और उनको कहा है कि इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिए। हम दिल्ली के नागरिकों के खिलाफ मुकदमें दर्ज नहीं कर सकते। सही इरीगेशन करने के लिए 15 बी०ओ०डी० पानी की जरूरत होती है। लेकिन जो दिल्ली से पानी हमें मिल रहा है उसकी बी०ओ०डी0 40 है। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी मामला उठाया है कि जहां से यह पानी दिल्ली से इस नहर में ढलता है और जहां फरीदाबाद के पास पानी निकलता है इन दोनों जगह से सैम्पल लिए जायें। इस बारे में हमने सैन्ट्रल वाटर कमीशन को भी कई बार लिखा है। मैंने कई बार यह मामला भारत सरकार के समक्ष रखा है। इस बारे में पत्र भी लिखा है और वहां के अधिकारियों से भी मिला भी हूँ। मैं श्री कर्ण सिंह दलाल जी से और श्री महेन्द्र प्रताप सिंह जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के नागरिकों ने इस बारे में पी०आई०एल० डाली है उसी तरह से फरीदाबाद के नागरिकों से भी एक पी०आई०एल० डलवा दी जाए क्योंकि इस पानी से आम नागरिक बहुत तंग है। मैं तो समझता हूं कि पब्लिक के नुमाइंदे यह पी०आई०एल० डाल दें और आप लोगों का सहयोग हो तो यह हो सकता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पर्यावरण के बारे में जिक्र किया, इन्होंने खुद कबूल किया है कि पोल्यूशन का 40 BOD लैवल जो है,वह उनके हैड पर है। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि कारखानों का, सीवरेज का या कोई और जो भी एफ्लूएंट है वह दिल्ली में यमुना में पड़ रहा है उसमें हमारी मजबूरी हो सकती है हालांकि वहां भी हम कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन फरीदाबाद में मिसाल के तौर पर जो इलैक्ट्रोप्लेटिंग का धन्धा है, वह हरियाणा में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में है। इलैक्ट्रोप्लेटिंग का जो पौल्यूटैंट है उसका फरीदाबाद में कहीं ट्रीटमैंट नहीं किया जाता है। उसमें साइनाइड का इस्तेमाल होता है। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइनाइड कितना खतरनाक पदार्थ है जिसको जीभ पर रखने से भी आदमी की मौत हो सकती है। सारे इलैक्ट्रोप्लेटिंग के काम फरीदाबाद में हैं इसके इलावा फरीदाबाद के न जाने कितने कारखानों का गंद आगरा कैनाल, यमुना कैनाल और गुड़गांव कैनाल में पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे इस मामले में क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : दलाल साहब, आप मंत्री रहे हैं, आपको मालूम है कि ये दायरा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। आपने बात रेज की है, सदन में आपने मामला उठाया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी बैठे हैं और सरकार इसको नोट करेगी और जो इस तरह के काम करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। आपने यह बात रेज की है तो हम भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लिखेंगे कि उन पर रोक लगाई जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं पी०आई०एल० की बात कर रहा हूं। पी०आई०एल० एक अहम मुद्दा है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका यह फर्ज बनता है कि इस प्रकार की जनहित की याचिकाएँ डालें। दिल्ली वाले इस मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने 1996 में पी०आई०एल० डलवाई जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्ज पास कर दिए हैं। जबकि जो इंटर स्टेट का मामला होता है सुप्रीम कोर्ट का उसमें दखल नहीं होता, ऐसे केस ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अब अदालत के फैसले पर मैं क्या कह सकता हूं ? उस पी०आई०एल० के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम आर्डर पास कर दिए कि दिल्ली वालों को पीने के लिए जितना पानी देना पड़े, आपको देना पड़ेगा और जो ओखला, हैदरपुर के बैराज हैं उनका लैवल आपको रखना पड़ेगा। जब बरसात के दिनों में पानी कम हुआ तो हमें पानी कम करना पड़ा उसकी एवज में आज हरियाणा के ऊपर कंटैम्प्ट डाल दी गई है। 2000 में ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार रही इन्होंने कभी इस मामले को टेक अप नहीं किया। यह सरकार आने के बाद हमने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटीशन डाली । हमने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के आडर्ज हैं, ये सही बात नहीं है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये पी०आई०एल० की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हरियाणा का जिक्र किया है कि हरियाणा दिल्ली को पीने के लिए पानी दे। हमारा मानना है कि हरियाणा अपने हिस्से में से पानी क्यों दे, अगर दे तो सारे पानी में से कटौती होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए इन्होंने कोई अपील की है। मेरा मानना है कि इस बारे में हमें अपील करनी चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को कहना चाहूंगा कि उन्होंने आडर्ज दिए थे कि हरियाणा अपने हिस्से में से पानी नहीं देगा बल्कि पूरा यमुना का जो पानी है उसमें से रेशो के हिसाब से देगा। अध्यक्ष महोदय, आज से पहले किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में पटीशन डाली है और सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सी०डब्ल्यू०सी० को रैफर किया है। और सी०डब्ल्यू०सी० की मीटिंग एक फरवरी, 2008 को हुई है। मिस्टर पराशर जो हमारे इरीगेशन के सैक्रेटरी है उन्होंने एक लैटर दिल्ली गवर्नमैंट को लिखा है कि जो दिल्ली वाले पानी ले रहे हैं क्या ये सीवरेज के लिए ले रहे हैं या गार्डनिंग के लिए ले रहे हैं और यह भी बताएं कि आपकी ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमैंट कितनी है। क्या आज से पहले किसी सरकार ने इस तरह के लैटर लिखे हैं या इस तरह की कोई वार्तालाप की है ? इस सरकार ने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पटीशन डाली है कि यह मामला ट्रिब्यूनल को दे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है कि जहां इंटर स्टेट का मामला हो, वहां इस तरह के आदेश पारित करे। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि दिल्ली में बहुत से पी०आई०पीज० रहते हैं इसलिए दिल्ली वालों के साथ हमदर्दी रहती है। इस तरह की दिक्कत हो रही है कि एक तरफ तो हमारी पंजाब से लड़ाई है और एक तरफ दिल्ली वालों से लड़ाई है। हमारे जो किसान है वे इस मामले में पिस रहे हैं। यमुना के मामले में यू०पी० वाले हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मुद्दा इन्होंने एस०टी०पी० लगाने का उठाया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी और ए०सी० चौधरी जी ने भी यह बात उठाई है कि ट्रीटमैंट प्लांट लगने चाहिए।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

इस बारे में मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा विभाग पहले से ही सैंट्रल वाटर कमीशन से यह केस टेक अप कर रहा है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्री से भी बात चल रही है कि जैसे ओखला से हमारे यहां पानी एंटर करता है वहां पर एस०टी०पी० लगना चाहिए ताकि हरियाणा को साफ होकर पानी मिले और उसका खर्चा भी दिल्ली सरकार को देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली वाले ही पानी को पोल्यूट कर रहे हैं और उस पर कंट्रोल हरियाणा का होना चाहिए। इस प्रकार से हमने पहले से ही सैंट्रल वाटर कमीशन के सामने मामला रेज किया हुआ है। जहां तक माननीय साथी दलाल साहब ने कहा है कि हिंडन नदी से पानी ले लें। इस बारे में मैं मेरे साथी को बताना चाहूंगा कि यह इंटर स्टेट मामला है। इस बारे में पहले हम अधिकारियों के लैवल पर बात करेंगे कि वहां से किस प्रकार से पानी लिया जा सकता है। जहां तक मेरे साथी ने किठवाड़ी हैड वर्क्स से छेड़छाड़ की बात की है। इस बारे में मैं माननीय साथी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम किठवाड़ी हैड वर्क्स से छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, किसी प्रकार की वहां कन्सट्रैक्शन नहीं करने देंगे। इसके अतिरिक्त मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हम ओखला हैड वर्क्स की कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में भी बात करेंगे। इस समय ओखला हैड की कैपेसिटी 4000 क्यूसिक है, हम उसको बढ़वाना चाह रहे हैं ताकि बरसात के दिनों में हम ज्यादा पानी ले सकें। ओखला से पहले बैराज बनाने के बारे में कल यहां चर्चा हुई थी। इस बारे में भी हम विचार कर रहे हैं कि जहां पर ओखला में पानी एंटर करता है वहां से पहले एक बैराज बनाया जाये ताकि उस बैराज के द्वारा हरियाणा को फालतू पानी मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी महेन्द्र प्रताप जी ने 1994 में जो यमुना अकोर्ड हुआ था उसका जिक्र किया है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने भी कहा कि किसाऊ, लखवार और रेणुका डैम जल्दी बनने चाहिए। इस बारे में मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे अधिकारियों के लैवल पर इस बारे में कई मीटिंग हो चुकी हैं और दिल्ली में भी कई मीटिंग हो चुकी हैं। हम पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही हमारे अप-स्टोरेज बनाये जायें। इस बारे में दिल्ली में एक मीटिंग 20-12-2006 को हुई थी और दूसरी मीटिंग सी०डब्ल्यू०सी० से 11-2-2008 को हुई जिसमें feasibility of construction of Dams के बारे में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, 1994 से पहले यमुना में हरियाणा का 67 प्रतिशत पानी का हिस्सा था लेकिन 1994 में उसको घटाकर 49 प्रतिशत कर दिया। यू०पी० का जितना पानी पहले था उतना ही रखा गया । लेकिन हमारे हिस्से से दिल्ली को पानी दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आपने इस बारे में हाऊस की एक कमेटी भी बनाई हुई है। इस बारे में चर्चा की जा रही है कि किस प्रकार से उस मामले को दोबारा से टेक-अप किया जाए । क्योंकि पहले इस मामले में यह था कि रेणुका डैम की सारी बिजली और सारा पानी दिल्ली प्रदेश लेगा। उसको हमने रिओपन करवाया क्योंकि उस पर राजस्थान सरकार के हस्ताक्षर नहीं थे। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेवात कैनाल का प्रोजैक्ट हमने बना दिया है। जहां तक हांसी-बुटाना लिंक ब्रांच नहर की बात है तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कुछ लोग इसमें बहुत सी बाधायें डाल रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। उन्होंने किस प्रकार से 16 पटीशन्ज़ तो हाई कोर्ट में डाल रखी हैं और 5 पटीशन्ज़ सुप्रीम कोर्ट में डलवा रखी हैं। पूर्व सिंचाई मंत्री श्री राम पाल माजरा स्वयं हाई कोर्ट में इसकी तारीखों के दौरान बैठते हैं, मैंने उनको स्वयं देखा है। मैं यह बात ऑन दी रिकार्ड कह रहा हूं। वे इस केस में हाई कोर्ट में गये हैं और इसके लिए उन्होंने सभी कुछ करके दिया है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे यह कह कर क्या साबित करना चाहते हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मैं यह साबित करना चाहता हूं कि आप लोग नहीं चाहते कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पानी का समान बंटवारा हो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : **********

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हांसी-बुटाना नहर के निर्माण के बारे में जो हमारे इश्यूज़ थे उनको सी०डब्ल्यू०सी० ने 11-3-2008 को मान लिया है।

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : अध्यक्ष महोदय,

डॉ० सुशील इन्दौरा : आपने सीडब्ल्यूसी से पहले परमिशन क्यों नहीं ली ?

श्री अध्यक्ष : इंदौरा जी, जब मैंने आपके एक साथी को बोलने के लिए अलाऊ किया है तो आप क्यों खड़े हो। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1994 में जब यमुना जल समझौता हुआ तब किसकी सरकार थी ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो उस समय यमुना जल समझौता हुआ था उस पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई है।

श्री अध्यक्ष : साढौरा साहब, आप यह पूछ रहे हैं कि उस समय किस की सरकार थी तो इस बारे में कल आपके लीडर ने कहा था कि यह एक पूर्व मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जहां तक आपके सवाल का सम्बन्ध है तो उसमें यह टर्म ऑफ रैफ्रेंस भी थी कि जो मामला कैबिनेट से अप्रूव करवाया गया वह अलग था और जो डिसीजन लिया गया वह अलग था, दोनों में डिफरैंस था। जो डिसीज़न लिया गया था उस पर कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली गई थी। (शोर एवं व्यवधान।)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको यही बताना चाहता हूं कि उस समय जो मामला केबिनेट के सामने रखा गया था और जो समझौता हुआ था उन दोनों में भिन्नता थी इसीलिए इसको फिर से एग्जामिन करवाने के लिए हाऊस की कमेटी बनाई गई है।

श्री अध्यक्ष : हम अब इसी बात का फैसला करने जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान।) देखिए समय हो गया है आप मंत्री जी को अपना जवाब देने दीजिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, जहां तक इनके सवाल का सम्बन्ध हैं तो मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले सिंचाई मंत्री हिसार और सिरसा के ही बनते थे और इसीलिए उन्होंने यह मामला कभी उजागर नहीं किया। इस बार पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने दक्षिणी हरियाणा से किसी को सिंचाई मंत्री बनाया है और उसी ने यह मामला उजागर किया है। दूसरा मेवात कैनाल के बारे में हमने सी०डब्ल्यू०सी० को 126 करोड़ का एक प्रोजैक्ट बनाकर भेज दिया है। इसकी आवश्यक ड्राईंग वगैरह भी बन रही हैं। यह जे०एल०एन० कीडर से टेक ऑफ

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

करेगी और गुड़गांव कैनाल में गिरेगी और आपके एरिया की पूर्ति करेगी। यह मेवात कैनाल बनाने का काम भी मौजूदा सरकार ही करेगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एन०सी०आर० चैनल की बात की है, वह पलवल तक पानी लेकर जायेगी और उस पर 225 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। इस प्रोजैक्ट पर कार्य तीव्र गति से जारी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों ही इसकी आधार शिला रखी थी और 31 मार्च, 2009 तक यह चैनल बनकर तैयार हो जायेगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, साथी कर्ण सिंह दलाल ने रोस्टर सिस्टम के बारे में चर्चा की है, यह बात बिल्कुल सही है कि रोस्टर सिस्टम मेनटेन नहीं हो पा रहा है। इस रोस्टर सिस्टम को पुन: लागू करने के बारे में हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे। अगर रोस्टर सिस्टम लागू नहीं होता है। और मुझे यू०पी० सरकार से बात करनी पड़ी तो मैं स्वयं बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप जो भी सुझाव देंगे हम मानेंगे और प्रदेश की जनता की समस्याओं को हल करवायेंगे। हरचन्द डिस्ट्रीब्यूटरी को एक्सटैंड करने के बारे में जो मेरे साथी जौनापुरिया जी ने बात कही है उस पर भी हम विचार करेंगे और अपने अधिकारियों से बात करेंगे और उसको एक्सटैंड करने बारे विचार करेंगे। दूसरे जो गुड़गांव कैनाल की कैपेस्टी बहुत ज्यादा है उसके लिए गुड़गांव कैनाल के साथ-साथ हम एक छोटा चैनल बनाना चाहते हैं ताकि उसमें पानी तेजी से फ्लो कर सके और जब एस०टी०पी० लग जायेगा तब जो पानी आयेगा वह गुड़गांव कैनाल में पानी सही तरीके से चले, इसलिए हम साथ में एक छोटा चैनल बनाने पर विचार कर रहे हैं। हम इसका लैवल ठीक करके एक छोटा सा बैंक बनाकर एक 600 क्यूसिक की स्टोरेज बनायेंगे। इसके अतिरिक्त जो बैरिकेट के बारे में मेरे माननीय साथी ने बात रखी है उसको हम जरूर टेकअप करेंगे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने रावी ब्यास लिंक 2 के बारे में बात रखी है। यह पहली सरकार है जिसने यह मामला उठाया कि हमारा सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है इसलिए रावी ब्यास लिंक बैराज नं० 2 बनना चाहिए जिसको पंजाब आज भी ओपोज कर रहा है, चाहे पानी पाकिस्तान में चला जाये। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पानी के मामले में पूरी तरह से सजग है और हमारी हर सम्भव कोशिश है कि हम हरियाणा की जनता को ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाए, उनके हितों का अहित न हो। मेरे माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल और जो दूसरे साथियों ने यहाँ पर जो चर्चा की है उसके लिए मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी सुझाव दिये हैं हमारे अधिकारी उन मामलों को टेकअप करेंगे। यू०पी० के अधिकारियों से हम बातचीत भी करेंगे लेकिन मैं माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल से अनुरोध करूँगा कि अब वे इस रेजोल्यूशन को वापिस ले लें। अगर उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता है, तो चाहे मंत्री लैवल पर या मुख्य मंत्री लैवल पर हमें बातचीत क्यों न करनी पड़े, हम जरूर बात करेंगे और अगर ट्रिब्यूनल गठित करने की बात होगी तो वह भी गठित करेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जवाब दिया है, उसमें कुछ बिन्दुओं पर वह जवाब नहीं दे पाये, इसलिए उन बिन्दुओं को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दस मिनट का समय और दिया जाये।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

आगरा नहर के प्रशासनिक नियन्त्रण संबंधी गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री भांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में जो हरियाणा का शेयर बताया है वह नवम्बर से फरवरी तक 26 परसैंट है और यू०पी० का 53 परसैंट है। जुलाई से यू०पी० का 78 परसैंट और हरियाणा का 7 परसैंट हिस्सा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई समझौता दो स्टेट्स के बीच में होता है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन तो बनती होगी। जो भी जस्टिफिकेशन है वह रिकॉर्ड में तो होगी ही। यह इतना फर्क कैसे है इस बात को हाउस में बताना चाहिए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जो कैनाल है यह 1894 से ऐसे ही चल रही है। बहुत पुराने समय से ऐसे चल रही है। इस मामले को आज तक कभी भी किसी ने नहीं उठाया है। हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे कि किस लैवल पर ऐसी बातचीत हुई है। मेरे पास इस समय यह रिकार्ड नहीं है। मैं अपने अधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि पानी के मामले में इस प्रकार की जो अनियमितता हो रही है वह पता करवाएं। अध्यक्ष महोदय, जैसे कर्ण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि बरसात के दिनों में भी हमें इसी रेशो में पानी मिल सकता है। लेकिन इसमें उन्होंने यह कर रखा है कि जब 8560 क्यूसिक पानी अगर होता है तो उन्होंने माना है कि हमारा शेयर 600 क्यूसिक ही रहेगा जो कि तकरीबन 7% बनता है । (विघ्न) बरसात के दिनों में भी बारिश 8560 क्यूसिक होती है। तो भी वे हमें ऐवरेज पानी केवल 600 क्यूसिक ही देते हैं। यमुना का पानी सारे समय चलता रहता है। हम उनसे यह बात कर सकते हैं कि हमारा शेयर बढ़ा कर 600 क्यूसिक की बजाए ज्यादा किया जाए और वह फालतू पानी हमारा सिस्टम ले सकता है। स्पीकर सर, यह बात करने की है जो ऑफिसर्ज लैवल पर हम करेंगे। जो हमारा शेयर है वह 600 क्यूसिक है इससे ज्यादा नहीं है। पानी की हमारी रेशो नहीं है बल्कि वे हमें 600 क्यूसिक पानी देते हैं इसमें यू०पी० का शेयर 53%, दिल्ली का शेयर 26% और राजस्थान का शेयर 21% है लेकिन हमारा जो शेयर है लीन पीरियड में 600 क्यूसिक है और थ्रू आउट दि ईयर भी उन्होंने हमारा शेयर 600 क्यूसिक ही रखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं जुलाई से अक्तूबर तक उनमें डिस्क्रिपैंसी क्यों है यह तो रिकार्ड देखने के बाद ही बता सकेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 600 क्यूसिक पानी का हिस्सा हरियाणा का मानते हैं लेकिन असल में तो वह पानी हमें नहीं मिल रहा है, वह इनके रिकार्ड में 600 क्यूसिक कैसे हो रहा है हमें यह नहीं पता है लेकिन किसानों के खेतों में 600 क्यूसिक पानी नहीं आता है। (विघ्न) हमें तो 200 क्यूसिक पानी भी नहीं मिलता है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको आंकड़े बता देता हूं । वर्ष 2005 में 450 क्यूसिक, वर्ष 2006 में 450 क्यूसिक और वर्ष 2007 में 400 क्यूसिक हमें ऐवरेज पानी मिला है इसमें गुड़गांव कैनाल का पानी और आपकी आगरा कैनाल का भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, बरसात में पानी की कमी रही और दिल्ली में भी हमारा काफी पानी चला जाता है, यह सारी बात इनको मालूम है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि हम यू०पी० से कोई विवाद चाहते हैं। मैंने यह निवेदन किया है कि हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं और हमें भी पानी की जरूरत है। हमारी पानी की जरूरत केवल खेतों के लिए नहीं है, बल्कि हमें पीने के पानी की भी जरूरत है। अगर हमें पानी मिलेगा

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

तभी वह रजवाहों में चलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय इस बात को मानेंगे कि उसकी कैपेसिटी 3000 क्यूसिक है। हरियाणा में जो सबसे पहली नहर बनाई गई थी वह नहर ज्वायंट पंजाब में बनी थी और चौधरी रणबीर सिंह जी ने यह बनवाई थी जो कि आदरणीय मुख्य मन्त्री जी के पिताश्री हैं। यह ज्वायंट पंजाब के समय भी हमारी हरियाणा की सबसे पहली नहर है, जिसकी तीन हजार क्यूसिक की कैपेसिटी में से मात्र 300 क्यूसिक पानी ही इसमें चलता है और इसमें भी गाद भरी रहती है। अध्यक्ष महोदय, ये मानते हैं कि चार हजार क्यूसिक पानी आगरा कैनाल में चलता है और उसमें से 200 क्यूसिक पानी भी हमारे किसानों को नहीं मिलता है। इन्होंने यह भी माना है कि एक लाख 40 हजार एकड़ हमारी धरती इसके कमाण्ड ऐरिया में है और वह पानी लेने का हमारा हक है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, कल तो आप एक लाख पिचासी हजार कह रहे थे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैंने एक लाख पचास कहा था और फिर एक लाख पचास से चालीस हजार के बीच कहा था और वह इन्होंने माना भी है। स्पीकर सर, वैसे भी मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा जो रिकार्ड में है वह वही रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हम यू०पी० से कोई विवाद नहीं चाहते हैं। यह अच्छी बात है, यू०पी० हमारे साथ सहयोग करती है और हम भी उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं लेकिन यह जो सारी व्यवस्था है यह तमाम की तमाम व्यवस्था हमारे अपने मकैनिज़्म के लिए है। स्पीकर सर, मैंने अपने संकल्प में मांग भी है कि कोई मकैनिज़्म ऐसा बने जिससे पानी के बंटवारे में कोई न कोई न्यायोचित फैसला हो।

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मिनिस्टर की रिप्लाई में यह बात आ गई है कि अगर कोई amicable settlement in between the States होगी तो वह की जाएगी। इसमें यह dispute settle हो जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : सर, अगर आप सही समझें तो इस बारे में मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सर, अगले हफ्ते भी गैर सरकारी दिन आएगा। मंत्री जी हमें एक हफ्ते का समय दे दें। ये अपने अधिकारियों के साथ हमारी बैठक करवाएं और हम मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात कर लेंगे। अगर ये इस बारे में अच्छा सा फार्मूला बना देंगे तो हम अगले हफ्ते के लिए इस गैर सरकारी संकल्प को विथड्रा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, मंत्री जी ने आपको प्वायंट टू प्वायंट जवाब दे दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कही है कि ये दिल्ली की सरकार के खर्चे पर एस०टी०पी० लगाने की बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की सरकार हमें क्यों खर्चा देगी। हमारे बच्चों को गन्दा पानी पीना पड़ता है, हमारे पशुओं को गन्दा पानी पीना पड़ता है और हमारी ही फसलों में गन्दा पानी लगता है। अगर उसका खर्चा दिल्ली की सरकार देगी तो ही क्या ये वहां पर ट्रीटमैंट प्लांट लगाएंगे ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले भी कह चुका हूं कि केन्द्र में हमारे जो वाटर रिसोर्सिज मंत्री हैं उनसे इस बारे में बात चल रही है। सी०डब्ल्यू०सी० से भी बातचीत चल रही है। जो प्रदेश गन्दा पानी हमारे प्रदेश को भेज रहा है तो यह उनकी ही जिम्मेवारी बनती है कि वे हमें ट्रीटिड

पानी दें। उन्होंने जिन प्राईवेट पार्टिज को ओखला और हैदरपुर में ट्रीटमैंट प्लांट दे रखा है, वे पानी का ट्रीटमैंट नहीं कर रहे हैं। हम उनसे इस मामले को टेकअप करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही है कि सरकार इसके बारे में कोई मकैनिजम निकालें । इस बारे में मैं यह कह चुका हूं कि हमारे आफिसर्ज के लैवल पर पहले मीटिंग होगी, फिर मिनिस्टर लैवल पर बातचीत होगी अगर फिर भी बात नहीं बनी तो मुख्यमंत्री जी के लैवल पर भी बातचीत कर सकते हैं। हम भी इस बारे में चिन्तित हैं और मैंने खुद देखा है कि वहां पर बहुत ही गन्दा और काला पानी जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जितने चिन्तित ये हैं उतनी चिन्ता हमें भी हैं। अगर हमारे प्रदेश के लोगों को इस तरह का गन्दा पानी मिलता है तो उसके निपटारे के लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी यह मैं पहले भी कह चुका हूं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमने भी और सभी ने यही निवेदन किया है कि इसमें हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी नौबत खड़ी हो कि हमारी सरकार और यू०पी० की सरकार में कोई मतभेद पैदा हो। मेरा जो संकल्प है यह यही कहता है कि हमारी यह सरकार ऐसी कोई व्यवस्था बनाए, कोई ऐसा मकैनिजम बनाए जिससे यह प्रोब्लम दूर हो जाए। अध्यक्ष महोदय, हम तो इनको कहते हैं कि आप कोई मकैनिज़म बना लीजिए इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यह नहीं कहते हैं कि आप किसी से झगड़ा करें। इन्होंने जो सदन में आश्वासन दिया है उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि ये इस संकल्प को अपने महकमें में अपने पास रखें। हजूर हम इस हरियाणा के वासी हैं, आप हमारे ऊपर भी कृपा करें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चलो इन्होंने कह दिया है कि he is satisfied.

Mr. Speaker : Question is—

> That this House recommends to the State Government that some mechanism may be evolved to have the administrative control over the functioning of Agra Canal for proper and assured supply of share of water to the territory of Haryana State.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the permission may be granted for the withdrawal of the resolution ?

Voices : Yes.

(The permission was granted to withdraw the resolution and the resolution was withdrawn.)

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. On Friday, the 14th March, 2008.

*13.38 hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Friday, the 14th March, 2008.)

अनैक्श्चर

Steps Taken for Administrative Reforms

*823. **Dr. Sushil Indora** : Will the Chief Minister bepleased to state whether any steps have been taken by the Government for making Administrative Reforms in the administration during the year 2006-2007; if so, the details thereof ?

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान् जी, एक विवरणी सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

हां, श्रीमान् जी,

वर्ष 2006-2007 के दौरान प्रशासन में प्रशासकीय सुधार करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए :--

1. **प्रशासकीय सुधार विभाग:--**

   (i) उत्तरदायी और नागरिक मित्रता शासन प्रदान करने के लिए 8 विभागों ने अपने नागरिक अधिकार पत्र (चार्टर) तैयार किए हैं।

   (ii) यात्रा खर्चा क्लेम फार्म को तर्क संगत तथा सरल किया गया।

   (iii) अमले की आवश्यकता के आंकलन के लिए दो विभागों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया गया।

2. **ग्रामीण विकास विभाग** :--भारत सरकार को एम०पी०एल०डी०एस० सहित सभी केन्द्रीय क्षेत्र ग्रामीण विकास योजनाओं पर रिपोर्टों के प्रस्तुतीकरण की ऑन लाईन मॉनिटरिंग आरम्भ की गई।

3. **पर्यटन विभाग** :--वर्ष 2006-07 के दौरान चार संव्यूहों अर्थात् रैडबिशप पंचकूला, होटल राजहंस, सनबर्ड मोटल और सूरजकुण्ड में हरमीटेज की सम्पूर्ण गतिविधियों को कम्प्यूटीकरण करने के लिए सम्पूर्ण होटल प्रबन्धन सॉफ्टवेयर आरम्भ किया गया तथा पूरा किया गया जबकि 3 पर्यटन संव्यूहों अर्थात् बड़खल लेक, ओएसिस और कर्णलेक से सम्बन्धित कार्य आरम्भ किया गया।

4. **उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग** :--एम०एस०एम०ई०डी० एक्ट, 2006 के उपबंधों के अनुसार औद्योगिक उद्यमी को ज्ञापन लघु एवं उद्यमों के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम से दर्ज करना तथा स्वीकार करना आरम्भ किया जा चुका है।

5. **लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें विभाग)** :--विभाग द्वारा निम्नानुसार मुख्य पहल की गई है :-

   (i) वित्तीय शक्तियों का संशोधन

   (ii) पी०डब्ल्यू०डी० कोड का संशोधन करना

   (iii) ई-टैंडरिंग की शुरूआत।

6. **परिवहन विभाग**

हरियाणा रोडवेज कर्मशाला में अपने अमले को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव आरम्भ किया गया।

7. **विकास एवं पंचायत विभाग**

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को कार्यान्वयन के सम्बन्ध में कार्य प्रक्रिया सरल की गई है।

(ii) ग्राम पंचायतों को 3 लाख रुपये तक के कार्य अपने स्तर पर सम्पन्न करवाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन कार्यों को करवाने के लिए राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित भी की जा रही है।

8. **सिंचाई विभाग**

प्रत्येक स्थान पर विजुअल मैटीरियल निरीक्षण रजिस्टर वी०एम०आई०आर० को आरम्भ किया गया।

9. **जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग**

(i) 25.00 लाख रु० तथा अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए उचित किस्म के निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए M/s RITES and WAPCOS द्वारा तीसरी पार्टी द्वारा जांच करवाना आरम्भ किया जा चुका है।

(ii) कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति के लिए वर्ष 2006-07 में सॉफ्टवेयर का विकास आरम्भ किया गया, जो अब प्रयोग में लाया जा रहा है।

(iii) विभाग ने वर्ष 2006-07 में अपनी स्वयं की वैब-साईट भी शुरू की तथा वैब-साईट पर निम्नलिखित सूचना नियमित उपलब्ध करवाई जा रही है।

(iv) प्लान एवं नान-प्लान कार्यों के लिए महीने का साख पत्र (एल०ओ०सी०) वित्त विभाग द्वारा पहले जारी किया जा रहा था। वर्ष 2006-07 के दौरान बिजली/ऊर्जा के बिलों का भुगतान साख पत्र को जारी करने की शक्तियों को प्रत्योजित करने का प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता, हरियाणा लोक निर्माण विभाग जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग को दिया गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात् 1-4-2007 से लागू कर दिया गया है :--

(क) समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की विद्यमत प्रक्रिया के अतिरिक्त 10 लाख से अधिक लागत के कार्यों का टैण्डर नोटिस किया जाता है।

(ख) चल रहे कार्यों जल आपूर्ति एवं सीवरेज कार्यों से सम्बन्धित लम्बित बिजली कनैक्शन एवं मुख्यमन्त्री घोषणाओं की ऑन लाईन पर मॉनिटरिंग ।

10. **नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग**

(i) सरकार ने निजी लाईसैंस कालोनियों के विकास की प्रगति के संचालन के उद्देश्य से विभाग में मॉनिटरिंग एवम् लेखा परीक्षा कोष्ट स्थापित किया गया।

(ii) सरकार ने निजी लाईसैंस कालोनियों के विकास की प्रगति के संचालन के उद्देश्य से हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम 1975 के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में मोनिटरिंग एवं लेखा परीक्षा कोष्ट स्थापित किया गया।

(iii) यह मोनिटरिंग एवं लेखा परीक्षा कोष्ट आर्थिव रूप में पिछड़े वर्गों को बिना लाभ व हानि के प्लाटों/फ्लैटों (ई०डब्ल्यू०एस०) के आवंटन तथा कालोनाईजर के वित्तीय रिकार्ड की जांच करने सहित लाईसैंस की सेधा शर्तों की पालना को भी सुनिश्चित करेगा।

(iv) विभाग में सभी स्तरों पर ई-प्रशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 4.25 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटरीकरण प्रोग्राम अनुमोदित किया गया है। परियोजना को टरन-की (turn-key) बेसेज पर आरम्भ करने के लिए एक निजी कम्पनी से दिनांक 9-5-06 को एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह प्रोग्राम सभी स्तरों पर वास्तविक ई-गवर्नैंस को सुनिश्चित करेगा तथा प्रणाली में पारदर्शिता तथा कुशलता लाएगा।

11. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण

(i) हुडा ने अलाटियों के लेखों तथा कार्यालय कार्य का कम्प्यूटराईजेशन आरम्भ करके प्रशासनिक सुधार से संबंधित एक मुख्य पहल की है।

(ii) वैब के ऊपर प्रत्येक एप्लीकेशन को दो मापकों जोकि प्लाट तथा सम्पति प्रबन्धन (पी०पी०एम०) एवं वित्तीय लेखा प्रणाली (एफ०ए०एस०) के अनुसार लेने का कार्य सम्पदा कार्यालय, हुडा, पंचकूला से प्रारम्भिक आधार पर शुरू कर दिया गया है।

(iii) प्लाट तथा सम्पत्ति प्रबन्धन (पी०पी०एम०) में पंचकूला सम्पदा कार्यालय के सभी सैक्टरों को ऑनलाईन कर दिया गया है। प्रयोगकर्ता पहचान (यूजर आई०डी०) एवं कुंजी शब्द (पासवर्ड) प्रत्येक प्लाट धारक को जारी कर दिये गये हैं ताकि वे किसी भी स्थान एवं समय पर अपनी सम्पति का ब्यौरा देख सकें।

12. तकनीकी एवं शिक्षा विभाग

(i) तकनीकी शिक्षा विभाग हरियाणा ने अच्छे शासन एवं बेहतर प्रशासन के लिए राजकीय बहु-तकनीकी, उटावर, राजकीय बहु-तकनीकी, नाथुश्री चौपटा, राजकीय बहु-तकनीकी, लोहारू एवं राजकीय बहु-तकनीकी, मानेसर को राजकीय बहु-तकनीकी शिक्षा समितियों में बदल दिया। नरवाना, सांधी, लैसामा तथा धीका में नए राजकीय बहु-तकनीकी की सोसाईटी ढंग में स्थापना की गई है।

(ii) हरियाणा राज्य काउंसलिंग सोसाईटी ने सभी तकनीकी कोर्सिज के प्रवेश में एकल खिड़की प्रणाली, विद्यार्थियों का दबाव कम करने के लिए तथा पारदर्शिता लाने के लिए ऑन-लाईन स्थापित की गई है।

13. **खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग :--**

विभाग ने वर्ष 2006-07 के दौरान फतेहाबाद, झज्जर, नारनौल, पानीपत, रिवाड़ी तथा सिरसा में अधीनस्थ कार्यालयों को प्रशासनिक सुधार के लिए कम्प्यूटर सैट उपलब्ध करवाए हैं।

14. **पर्यावरण विभाग**

(i) पर्यावरण विभाग, हरियाणा ने पर्यावरण बारे जनता की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता, योजना बनाने सम्बन्धी निर्णय में पारदर्शिता तथा विश्वसनीय पर्यावरण सूचना की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए राज्य की रिपोर्ट (एस०ओ०ई०आर०) प्रकाशित की है, जिसका विमोचन 5 जून, 2006 को किया गया था।

(ii) विभाग ने जैविक विविधता के संरक्षण, इसके अवयवों का सतत प्रयोग तथा जैविक स्त्रोतों की जानकारी से होने वाले लाभों का उचित एवं न्यायसंगत हिस्सेदारी के लिए दिनांक 14-1-2006 को अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य बायो-डाईवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया है।

15. **गृह विभाग**

(i) 2007 में राज्य विधान सभा द्वारा हरियाणा पुलिस विधेयक, 2007 पारित किया गया हैं तथा विभाग इसके अधीन नियम बनाने की प्रक्रिया में है।

(ii) मई, 2006 से राज्य अपराध शाखा को सी०आई०डी० से पृथक किया गया तथा यह पुलिस के अपर महानिदेशक रैंक के अधिकारी के अधीन पृथक से कार्य कर रहा है।

(iii) जांच की गुणवत्ता में सुधार करने के क्रम में पुलिस थाना स्तर में कानूनी व्यवस्था अमले से पृथक जांच अमला बनाने के लिए भी प्रयत्न किया गया है।

16. **बिजली विभाग**

(i) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटिड के अमले के मानदण्डों तथा ढांचा को पुनः गठित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव जून 2006 में एच०बी०पी०ई० को प्रस्तुत करने की हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटिड ने पहल की है।

(ii) एक छत के नीचे उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटिड ने फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, भिवानी, हिसार तथा सिरसा में उपभोक्ता देखभाल केन्द्र स्थापित किए हैं ताकि उपभोक्ता मैत्री माहौल बनाया जा सके।

(iii) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटिड ने यमुनानगर तथा रोहतक में दो उपभोक्ता देखभाल केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

(iv) एच०पी०जी०सी०एल० ने गैर तकनीकी अमले की पुनः संरचना प्रारम्भ की है।

17. राजस्व विभाग

(i) प्राय: सभी जमाबन्दियां कम्प्यूटराईज की गई हैं राजस्व रिकार्ड से छेड़छाड़ से बचने के क्रम में बार कोडिंग तथा बायो मैट्रिक सुझावों को सुरक्षा एवं सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए तहसीलों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किये गये हैं तथा कम्प्यूटरों के माध्यम से अधिकारों के रिकार्ड की प्रतियां जारी करने का परिचालन आरम्भ कर दिया गया है।

(ii) राजस्व रिकार्ड को आन लाईन अद्यतन करना बहुत ही उपयोगी होगा, जिसके परिणामस्वरूप जनता को विभिन्न राजस्व कर्मचारियों के बार-बार धक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

(iii) विभिन्न तहसीलों के कार्य को देखने तथा कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए क्लोज टी०वी० सर्कट को स्थापित करना।

(iv) तहसील में पंजीकरण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अर्थात् निष्पादकों को, जब वे पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, क्रम संख्या/टोकन संख्या देना।

18. श्रम विभाग

(i) वर्ष 2006 में राज्य सरकार ने राज्य श्रम नीति शुरू की है, जिसके द्वारा अन्य नीति निर्णयों के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर कार्य के निपटान के लिए एक समय सूची के निर्धारण द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने सम्बन्धी कार्य सुव्यवस्थित किए गए हैं।

(ii) 1948 के फैक्टरी एक्ट के तहत आवेदन का पंजीकरण, लाईसैंस देने तथा फैक्टरी भवन के नक्शे का अनुमोदन मुख्यालय की बजाय फील्ड के उपनिदेशक (आई०एस० एण्ड एच०) के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है।

(iii) विभिन्न श्रम नियमों के अधीन कम्प्यूटराईज्ड वैधानिक रिकार्ड स्वीकार्य होंगे तथा आवश्यकता के मुताबिक प्रारूप एवं सूचना देने के लिए किसी भी उद्योग या वाणिज्यिक स्थापना के लिए मान्य होंगे।

(iv) सूचना प्रोद्योगिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी योग्य बनाने वाली सेवाओं में रात्रि बारी (नाईट शिफ्ट) के दौरान महिला कर्मचारियों को रोजगार तथा उनके अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा की शर्त पर।

19. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

(i) जन सेवा वितरण प्रणाली में सुधार लाने तथा प्रशासकीय विभाग को बेहतर बनाने हेतु विभाग द्वारा हरियाणा समाज कल्याण पैंशन प्रक्रिया सूचना प्रणाली (एच०ए०पी०पी०आई०एस०) सॉफ्टवेयर अपनाया गया है जो कि उपभोक्ताओं के अनुकूल है। कोई भी व्यक्ति आसानी से सभी प्रकार के विवरण वेबसाईट पर प्राप्त कर सकता है। हाल ही में, विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं को उन्नत सोफ्टवेयर में अपलोड करने बारे कई कदम उठाये गये हैं।

(ii) मुख्यालय के अधीनस्थ अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को वित्तीय एवं प्रशासकीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि देरी से बचा जा सके और कार्य कुशलता में सुधार किया जा सके।

(iii) हरियाणा में समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं की एक निदेशिका वर्ष 2006 में प्रकाशित की गई है।

20. अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग

(i) वर्ष 2006 में इस विभाग द्वारा लागू की जा रही विभागीय सभी योजनाओं की एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इसमें जनता की सुविधा के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के सभी ब्यौरे शामिल हैं।

(ii) संयुक्त निदेशक एवं मुख्य लेखा अधिकारी को विभिन्न वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि देरी से बचा जा सके तथा कार्यकुशलता में सुधार किया जा सके।

21. आवास विभाग

(i) निर्माण कार्य में प्रयोग में लाई गई सामग्री के परीक्षण के लिए परियोजनाओं के कार्य स्थल पर क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई।

(ii) आवासीय योजनाओं के अलाटियों को शुरू से ही मकानों के निर्माण कार्य में शामिल किया जा रहा है ताकि उनकी अधिक भागीदारी एवं उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके।

(iii) बड़ी हिस्सेदारी तथा उपभोक्ता संतुष्टि के लिए गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए मकानों के निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था से ही आवास योजनाओं के अलाटियों को शामिल किया जा रहा है।

(iv) अलाटियों के अवलोकनों तथा सुझावों को दर्ज करने के लिए स्थल पर एक रजिस्टर रखा गया है। इससे कार्य के निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

(v) सभी श्रेणियों के मकानों के लिए मुख्यालय स्तर पर हस्तांतरण-पत्र विलेख तथा मकानों के स्थानान्तरण के निष्पादन की शक्तियां फील्ड में सम्बन्धित सम्पदा प्रबन्धकों को प्रत्यायुक्त कर दी गई हैं।

(vi) अलाटियों द्वारा अदा की गई अधिक राशि को वापिस करने की शक्तियां मुख्यालय से फील्ड में कार्यकारी अभियन्ताओं को प्रत्यायुक्त कर दी गई हैं।

22. औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग

(i) कार्यकारी, वित्तीय, प्रबन्धकीय, स्वायत्तता उपलब्ध करवाने के लिए 41औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 29 समितियों में परिवर्तित किया गया है। समितियों को सत्र प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने, अपने कर्मधारियों को मानदेय देना तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चलाने के लिए ठेके संबंधी संकाय नियुक्त करने की व्यापक शक्तियां दी गई हैं (2006-07 में सुधार प्रारम्भ किए गए)।

(ii) 23 औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों का दर्जा बढ़ाने के लिए 13 उद्योगों के साथ समझौता (एन०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर किए गए, उनमें से कुछ बड़ी कम्पनियां जिन्होंने अपनाया वे हैं मैसर्ज मारुति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव, मैसर्ज सोना कोयो स्टीरिंग सिस्टम लिमिटेड, गुड़गांव, मैसर्ज लिबर्टी फुटवियर लिमिटेड, करनाल, मैसर्ज जय भारत मारुति लिमिटेड, फरीदाबाद और इंडुकाम्प सोल्युशन लिमिटेड, नई दिल्ली हैं (सुधार 2006-07 में शुरु किए गए)।

(iii) Skill Development Initiative (SDI), डी०जी०ई० एण्ड टी० स्कीम, Moduls Employees Skill (MES) के तहत 22 moduls शुरू किए गए हैं। 15 में बहुत से ट्रेडों में School drop-out की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी हैं। 2384 प्रशिक्षु इस स्कीम के तहत प्रशिक्षण ले चुके हैं (सुधार 2006-07 से शुरू किया गया)।

(iv) एक नई स्कीम जिसका नाम "Testing & Certification of workers in Informal Sector" है सी०आई०डी०सी० के सहयोग से शुरू की गई है। यह स्कीम लघु अवधि के प्रशिक्षण देती है, परीक्षा का संचालन करती है तथा अनौपचारिक क्षेत्र एवं उद्योगों में लगे उनके कुशल श्रमिकों को, जिनके पास कोई औपचारिक शिक्षा तथा कोई तकनीकी अर्हता नहीं है, विभिन्न स्तरों के प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना। इस स्कीम के तहत 8934 व्यक्ति प्रमाणित किए गए हैं (सुधार 2006-07 से शुरू किया)।

23. स्वास्थ्य विभाग

(i) मेवात जिले में आउट सोरसिंग पोलिसी दिनांक 1-9-2006 वर्ग सी० एवं डी० श्रेणियों तकनीकी/गैर तकनीकी कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। वर्ष 2006-07 के दौरान, 133 वर्ग-सी० एवं डी० श्रेणियों के पद तथा वर्ग - बी० श्रेणी के 15 पद तकनीकी/गैर तकनीकी कर्मचारियों को आउट सोरसिंग पोलिसी द्वारा नियुक्त किए गए। वर्ग - सी० एवं डी० श्रेणी के 387 पद तकनीकी/गैर तकनीकी कर्मचारियों को मेवात सहित सम्पूर्ण राज्य में आउट सोर्सिंग पौलिसी द्वारा नियुक्त किए गए।

(ii) विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं की मुरम्मत तथा रखरखाव के लिए 10.00 लाख रुपये तक की राशि लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) से लिया गया तथा जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समितियों द्वारा करवाया जा रहा है।

24. विद्यालय शिक्षा

विद्यालय शिक्षा विभाग ने विस्तृत कम्प्यूटराईज्ड पर्सनल सूचना प्रणाली को विकसित किया है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के आई०डी० नम्बर दिये गये हैं और उनके विवरणों को कम्प्यूटराइज किया गया है।

25. **वन विभाग**

(i) विभाग ने वर्ष 2005-06 में समीक्षा प्रक्रिया तथा विभागीय वित्तीय नियमों (डी०एफ०आर०) का अद्यतन करना आरम्भ किया तथा वर्ष 2006-07 के दौरान राज्य सरकार को अपनी सिफारिश भेजी।

(ii) विभाग ने अपने बजट नियमावली तथा सिविल सेवा नियमों के अद्यतन की प्रक्रिया भी आरम्भ की।

(iii) विभाग ने वैबसाईट को अद्यतन बनाना जारी रखा। कार्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वैबसाईट पर वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के पौधारोपण नक्शों (प्लानटेशन मैप्स) को डाला।

(iv) गवनमैंट पब्लिक इन्टरफेस प्रारम्भ करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम मामला आवेदकों के लिए उनके मामलों की स्थिति जानने के लिए वेबसाईट पर डाले गये थे।

26. **आबकारी व कराधान विभाग**

विभाग ने वर्ष 2006-07 के लिए अपनी नई आबकारी नीति आरम्भ की। नई आबकारी नीति जिसने दूसरी बातों के साथ-साथ आम जनता के लिए व्यापार प्रारम्भ किया। अनौपचारिक उत्पादन संघ बनाने की प्रतिक्रिया को समाप्त किया योग्य मूल्यों पर अच्छी शराब उपलब्ध कराई तथा शराब माफिया के समापन को सुनिश्चित किया।

27. **कृषि विभाग**

(i) कृषि विभाग ने 1-1-2006 से प्रत्येक कीटनाशक/खाद/बीज निरीक्षक को कृषि कीटनाशक/खाद/बीज/ निरीक्षक कृषि आदानों के नमूने भरते समय किसान क्लब के प्रतिनिधि को अपने साथ रखना।

(ii) विभाग ने किसानों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए निःशुल्क एस०एम०एस० सेवा वर्ष 2006-07 से भी शुरू की है। किसान अपनी समस्या मोबाइल नं० 9915862026 पर अथवा एस०एम०एस० भेज सकते हैं तथा उन द्वारा उठाए गये प्रश्नों का कृषि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा 24-28 घंटों में जवाब दिया जाता है।

28. **खाद्य एवं पूर्ति विभाग**

(i) विभाग द्वारा आई०आई०एस०एफ०एम० परियोजना को लागू किया। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य ओन लाईन कम्प्यूटराईज्ड नैटवर्क पर केन्द्रीय पूल में खाद्यान्न स्टाक पर समायोजित तथा विश्वसनीय आंकड़े एकत्रित करना था।

(ii) विभाग द्वारा बजट घटाने-बढ़ाने पर (बी०एम०-26 व 29) वैब एनैबिल्ड एप्लीकेशन सौफ्टवेयर विकसित किया तथा लागू किया।

29. **सिविल विमानन विभाग**

वर्ष 2006-07 के दौरान प्राईवेट सैक्टर आप्रेटर के सहयोग से हिसार हवाई पट्टी को उन्नत करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी।

30. न्याय प्रशासन विभाग

(i) हरियाणा लीगल सैल, हरियाणा भवन, नई दिल्ली का कम्प्यूटरीकरण भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, उच्च न्यायालय तथा दिल्ली में स्थित अन्य स्थानीय न्यायालयों में उनके विवादों की नवीनतम स्थिति हेतु नेटवर्क पर तुरन्त पहुंच के लिए सम्बन्धित विभागों को सुविधा देने के लिए शुरू किया गया था।

(ii) हरियाणा राज्य अभियोजन विधिक सेवाएं (ग्रुप-क) नियम, 1979 के निरसन के लिए तथा नये सेवा नियम बनाने के लिए मामला शुरू किया गया था। यह भी व्यक्त किया जाता है कि विद्यमान सेवा नियमों में निदेशक के पद के लिए कोई नियम नहीं थे। प्रस्ताव में यह प्रस्तावित किया गया है कि नये सेवा नियमों में निदेशक तथा अपर निदेशक के पद को भी शामिल किया जाये। यह राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सम्मुख उनके अनुमोदन के लिए रखा जाना सम्भावित है।

(iii) सहायक लोक अभियोजकों/लोक अभियोजकों द्वारा दोषसिद्धि की कितनी प्रतिशतता की गई, के बारे में नया कॉलम जोड़ने के लिए मामला शुरू किया है तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा तदानुसार वर्ष 2006-07 से आगे इसे वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के फार्मों में शामिल किया जा चुका है।

31. सहकारिता विभाग

वर्ष 2006-07 के दौरान अल्पकालिक ऋण व्यवहार्य बनाने के लिए 2443 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण एवं सेवा समितियों को समायोजित करके 580 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां बनाई गई तथा भारत सरकार के आदर्श सहकारी समितियाँ अधिनियम 1991 के पैटर्न पर सहकारी समितियों के कार्यकरण को अधिक प्रजातान्त्रिक बनाने तथा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां के नियन्त्रण को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2006-07 के दौरान हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 में बड़े संशोधन भी किये गये। दबावपूर्ण तरीकों द्वारा वसूली अर्थात् किसानों की गिरफ्तारी सम्बन्धी अधिनियम के उपबंध को हटा दिया गया।

32. वित्त विभाग

वित्त विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों एवं हिदायतों से सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकें **(WWW. finhry. gov.in)** वित्त विभाग की वैबसाईट अर्थात् पर पहले ही उपलब्ध करवाई जा चुकी है। विभाग ने अधिसूचना क्रमांक 4/4 (2) 2003-2 एफ०आर०, दिनांक 9-5-2006 केवल सामान्य भविष्य निधि नियमों को ही सरल नहीं बनाया गया बल्कि कार्यालय अध्यक्ष को वित्तीय शक्तियां भी प्रदान की गई। सामान्य भविष्य निधि अग्रिम/निकासी स्वीकृत करने की शक्तियां कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सौंपी गई।

44445-H.V.S.-H.G.P., Chd.